खण्ड-211, अंक-7
मंगलवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1882
(22 मार्च, 1960 ई0)

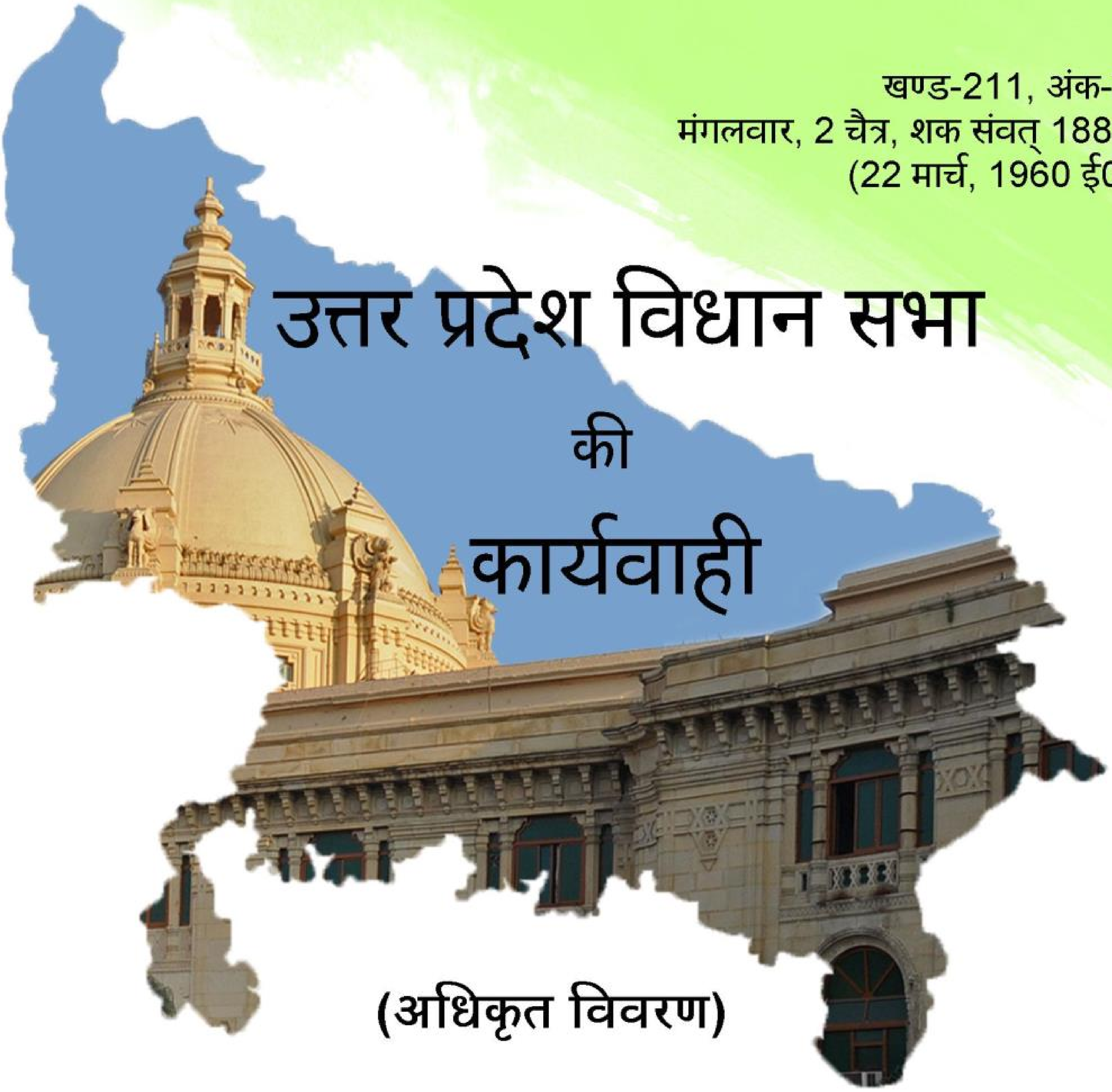

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुल्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय , श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा,श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नकुड़ में विकास खण्ड अधिकारी की जीप से लड़के की मृत्यु

***१--श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को पता है कि गत ५-३-६० को एक लड़का कस्बा नकुड़, जिला सहारनपुर में एस० डी० एम० की कार से दब कर मर गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--एस० डी० एम० की कार से कोई लड़का दब कर नहीं मरा वरन् विकास खंड अधिकारी नकुड़ की सरकारी जीप द्वारा एक लड़का आहत हुआ था, जिसकी मृत्यु अस्पताल में हुई। मामले की जांच हो रही है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतलायेगी कि उस कार पर केवल बी० डी० ओ० ही थे या एस० डी० एम० भी थे ?

श्री उपाध्यक्ष--सवाल तो यह था कि कार का ओनर कौन था । जिसकी कार होती है चार्ज उस पर लगता है ।

श्री राजनारायण--मेरा प्रश्न यह है कि एस० डी० एम० की कार से दब कर क्या लड़का मर गया ? कार तो सरकारी है और जब उसमें एस० डी० एम० जाते हैं तो वह उनकी होती है. . .

श्री उपाध्यक्ष--बी० डी० ओ० के नाम जो कार एलाट होती है वह उसकी होती है।

श्री राजनारायण--मेरी जानकारी ऐसी नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष--आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उस कार को उस समय कौन ड्राइव कर रहा था ?

श्री रामस्वरूप यादव--ड्राइवर ही ड्राइव कर रहा था।

श्री राजनारायण--उस कार को बी० डी० ओ० स्वतः ड्राइव कर रहे थे जब कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने बतला दिया कि सूचना यह है....

श्री उपाध्यक्ष--वह कह रहे हैं कि आप पता लगा लें।

श्री रामस्वरूप यादव--पता चला लिया जायगा।

बलिया जिले में उपल वृष्टि से क्षति

****२--श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)--क्या सरकार को ११ मार्च की संध्या को हुई बलिया जिले में भीषण वर्षा एवं उपल वृष्टि की सूचना है ?

राजस्व उपमन्त्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--बलिया जिले में ११ मार्च की संध्या को हल्की वर्षा तथा सदर व बांसडीह तहसीलों में मामूली ओले पड़ने की सूचना मिली है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को सूचना मिली है कि इस वर्षा के कारण मटर, चना, मसूर, प्याज, आलू, की फसल करीब-करीब १२ आना और आम तौर पर रबी की फसल की ८ आना क्षति हुई है ?

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--नुकसान दो आने से ६ आने के दर्मियान हुआ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने हाल में इस बात की सूचना मंगाई है कि किन-किन जिलों में ओला पड़ा है और उनमें वर्षा से कहां-कहां और कितनी-कितनी हानि हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, ऐसी सूचना मंगायी गयी है कुछ जिलों से।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि बलिया में मालगुजारी और तकावी की वसूली जोरों से हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिन हिस्सों में ८ आने से अधिक नुकसान हुआ वहां रोक दी गई है और बकिया हिस्सों में वसूली हो रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

*१-२—**श्री कैलाशप्रकाश** (जिला मेरठ)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३-४—**श्री गौरीशंकर राय**—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*५-६—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

श्री उपाध्यक्ष—माननीय निर्माण मंत्री जी ने प्रार्थना की है कि वे आज उपस्थित नहीं रह सकेंगे इस कारण उनके प्रश्न १२-४-६० के लिये स्थगित कर दिये जाते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—उपाध्यक्ष महोदय, नियम ३६ में है कि जब कोई विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थिति हो तभी अध्यक्ष प्रश्नों को आगामी दिन के लिये स्थगित करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी अनुपस्थिति का ऐसा कारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—वे लिख रहे हैं कि "मुझे भारत सरकार की एक आवश्यक मीटिंग में २१ तारीख को दिल्ली जाना है। संभव है कि उसकी बैठक २२ तारीख को भी चले....। अतः असमर्थ हूं।" यह श्री गिरधारी लाल जी ने लिखा है।

[२२ मार्च, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—**श्री-रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३-४—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*५-६—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*७-९—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—[हटा दिये गये।]

वन यातायात विकास योजना

*१०—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में जंगल का कितना रकबा ऐसा है जिसका उपयोग आवागमन के साधनों बिना नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार ने उपरोक्त प्रकार के भूभागों के आवागमन के साधनों को दुरुस्त करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

संसदीय विषयक उपमन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—इस राज्य में जंगल का २,३८४ वर्गमील रकबा ऐसा है जिसका उपयोग आवागमन के साधनों के बिना नहीं हो पा रहा है। "वन यातायात का विकास" नामक एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र में यातायात के साधनों का विकास करना है। ऐसी ही एक दूसरी योजना प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि इस समय विचाराधीन है, के अन्तर्गत रखने का विचार है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये इन अनयूटिलाइज्ड वन विभाग की जिन सड़कों को बनाने की योजना विचाराधीन है, उससे क्या यह मुमकिन हो सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह सारा वन हम अपने इस स्टेट के लिये इस्तेमाल कर सकें ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---बात यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तो अभी फाइनल हुई नहीं है न हमको अभी यही मालूम है कि कितना पया उस काम के लिये हमें मिलेगा। जाहिर है कि जितना रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा से ज्यादा जितनी मील सड़कें बन सकेंगी, बनायी जायेंगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें वन विभाग की बनाने से बाकी रह गयीं, मौजूदा वित्तीय वर्ष में कोई विशेष एफर्ट वे करने की कृपा करेंगे, जिससे अधिक से अधिक सड़कें बन जायं ?

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, सूरत यह है कि सन् ५७-५८ में १२६ मील सड़क बनने को थी जब कि १५६ मील सड़क बन गयी है, सन् ५८-५९ में २०९ मील सड़क बनने को थी जिसमें से २०६ मील बन गयी है और १९५९-६० में २४० मील बनने को थी और उम्मीद है कि २४० मील बन जायगी और यह भी उम्मीद है कि सन् ६०-६१ के लिये जो २५० मील बनाने का लक्ष्य है उसे भी पूरा कर दिया जायगा।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क बनाने की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है उसमें ऐसी सड़क बनाने की योजना भी विचाराधीन है जिसका वन विभाग के साथ-साथ सर्व साधारण भी उपयोग कर सके ?

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग तो अपने इस्तेमाल के लिये ही सड़कें बनाता है। यह और बात है कि कहीं-कहीं जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां पर कुछ को पब्लिक के लिये भी खोल देते हैं। लेकिन जब वह सड़क बनाता है तो इसी खयाल से कि वन विभाग का काम कम से कम उससे निकल सके।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वनों के लिये जितनी सड़कें बननी हैं उनके लिये कुल कितना खर्चा होगा और कितने मील लम्बी सड़कें बनायी जायेंगी, इसका कोई लेखाजोखा आपके पास है ?

श्री उपाध्यक्ष---वे कह चुके हैं कि अभी निश्चित नहीं है कि इसके लिये कितना पया केन्द्रीय सरकार से मिलेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो सड़कों का माइलेज कवर किया गया है उनमें कुछ ऐसी सड़कें थीं, जो मजूर नहीं थीं, वे तो बन गयीं और कई मंजूरशुदा सड़कें नहीं बन पायीं, तो यह देखते हुए कि ये सड़कें ओरिजिनल एस्टीमेट से बहुत कम रुपये में बन गयीं, वे पुरानी मंजूरशुदा सड़कों को बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---इसके लिये अलग से नोटिस दीजिये।

*११---**श्री मदन पांडेय**---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२-१४---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६-१७---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८-१९--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२२---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर वन खंड में निर्माण कार्य तथा सस्ती लकड़ी

*२३---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७, १९५७-५८ में वन विभाग, गोरखपुर ने कितने व्यक्तियों को सस्ती कीमत की लकड़ी दी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---गोरखपुर वन खण्ड में १९५६-५७ में ६७ व्यक्तियों को तथा १९५७-५८ में ७ व्यक्तियों को सस्ती कीमत की लकड़ी दी गई ।

*२४---श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग, गोरखपुर की तरफ से १९५२-५३, १९५३-५४ व १९५४-५५ में कितने पुल-पुलियों का निर्माण किस-किस स्थान पर किया गया ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---गोरखपुर वन खंड में १९५२-५३ व १९५३-५४ में कोई पुल-पुलियों का निर्माण नहीं किया गया, परन्तु १९५४-५५ में निम्नलिखित पुल-पुलियों का निर्माण किया गया---

(१) गुलरिया घाट पुल---यह पुल मधौलिया रेंज में बसौली-मानापुर मोटर रोड पर दो वर्षों, अर्थात् १९५४-५५ व १९५५-५६ में बनाया गया ।

(२) तीन पक्की पुलियां---(पहली) मधौलिया रेंज में निचलौल-मधौलिया सड़क पर, (दूसरी) निचलौल रेंज में सिंगहा ताल निचलौल-डोमा सड़क पर और (तीसरी) चौक रेंज के निर्यात मार्ग पर बनाई गई ।

श्री गौरीराम गुप्त---यह जो लकड़ी दी गई है वह किस काम के लिये दी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, यह पुराना तरीका था वन विभाग का कि मुख्तलिफ किस्म की जरूरतों के लिये या कभी-कभी जब किसी को कुछ आर्थिक कठिनाई होती थी या स्कूल के लिये कुछ लकड़ी पी० डी० के ऊपर दी जाती थी लेकिन वह तरीका अब दो साल से बन्द है और अब नहीं दी जाती । अब जिसे जरूरत हो वह खरीदे नीलाम से या और तरीके से ।

श्री मदन पांडेय---क्या इस वक्त भी लकड़ी कुछ लोगों को दी जाती है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर---अब तो सब को नीलाम के द्वारा दी जाती है, खाली कुमायूं में बाज वक्त किसी स्कूल, यतीमखाने या आश्रम के लिये सस्ते दाम पर दे दी जाती है बाकी आमतौर से यह तरीका बन्द कर दिया गया है ।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मुख्तलिफ कामों के लिये लकड़ी दी गई उसमें से क्या मकान बनाने के लिये भी दी गई थी और क्या पूर्व प्रथा के अनुसार मकानों के लिये आगे भी लकड़ी वह देने जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है कि पिछले २ सालों ५६–५७ और ५७–५८ में मकान बनाने के लिये भी दी गई हो लेकिन अब यह प्रथा नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में जहां से वन विभाग की लकड़ी का नीलाम होता है वहां परगापुर घाट का पुल बनाने की कृपा की जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह वही पुल है जिसके मुताल्लिक माननीय सदस्य कई बार बातचीत भी कर चुके हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि जंगल विभाग अभी उसे बनाने में असमर्थ है क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा है ।

पुरन्दरपुर तथा पिचुरखी ग्राम समाजों को भूमि व जंगल देने की प्रार्थना

*२५—**श्री गौरीराम गुप्त**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के लेहरा स्टेट के अन्तर्गत परगापुर घाट व हड़वा घाट और छिटपुट पेड़ छोटे जंगलों को और करीब के बंजर भूमि को जो लेहरा स्टेट के कब्जे में जमींदारी उन्मूलन के पहले थी और अब वन विभाग के पास है उसे उसी जिले वह तहसील के ग्राम समाज पुरन्दरपुर और पिचुरखी को वापस करने को प्रश्नकर्ता ने ३० मार्च, १९५९ को वन मंत्री को लिखा था ? यदि हां, तो सरकार को वापस करने में कौन सी आपत्ति है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां , इन जंगलों को ग्राम समाज को दे देना प्रदेश के और जंगलों के हित में न होगा ।

श्री गौरीराम गुप्त—वहां पर जंगल को छोड़कर, जिस ताल की मछली का ठेका दिया जाता है और जहां कोदों की खेती होती है, उसको गांवसमाज को वापस करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*२६—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२७—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित सातवें गुरुवार के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२८—**श्री देवकीनन्दन विभव**—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२९—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०–३१—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*३३–३५—**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६—**श्री देवकीनन्दन विभव**—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७–३८—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०—श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१—श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२—श्री राजनारायण—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३–४५—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६–४८—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गय ।]

*४९–५१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*५२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[१२ अप्रैल,१९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३–५५—श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—[आठवें गुरुवार के लिये प्रश्न १२२–१२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

रजमुड़िया भगवन्तपुर में जंगल कटवाने की शिकायत

*५६—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रजमुड़िया भगवन्तपुर, जिला पीलीभीत में अधिकारियों द्वारा जंगल काटने के सम्बन्ध में २०–१–५९ को व ११–२–५९ को वित्त मंत्री को शिकायत प्राप्त हुई थी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां, दिनांक २० जनवरी, १९५९ तथा २१ फरवरी, १९५९ को दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं किन्तु ११ फरवरी, १९५९ को जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

*५७—श्री रूमसिंह—यदि हां, तो अब तक क्या जांच की गई और क्या परिणाम निकला ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इन शिकायतों पर छानबीन की गई परन्तु वे सब निराधार पाई गईं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायतों की जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री सैयद अली जहीर—डी० एफ० ओ० ने की थी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि जिन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत थी पत्रों में, उन्हीं से यह जांच करायी गई ?

श्री सैयद अली जहीर—शिकायत थी रेंज अफसरों के खिलाफ और मुकामी फारेस्टर वगैरह के। जांच की डी० एफ० ओ० ने।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कि जो शिकायतें उनको प्राप्त हुई हैं, उनमें मुख्य-मुख्य क्या हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—कुछ दरख्तों के जंगल नाजायज तौर से काटे गये। नाजायज तरीके से जो दरख्त काटे गये उसके लिये अधिकारियों ने कुछ रुपया ले लिया था। गांववालों को जिस लकड़ी के पाने का हक था वह उनको नहीं दी गई। और चौथी शिकायत यह थी कि बावजूद इसके कई दफा कहा गया लेकिन इन मामलात के ऊपर कोई जांच नहीं हुई। तो इन चारों शिकायतों के ऊपर डी० एफ० ओ० ने फिर से तहकीकात की जो निराधार पायी गई।

श्री रूर्मसिंह—क्या यह सही है कि रेंजर से जो लोग दोस्ती रखते हैं उनको वह बगैर पैसे के लकड़ी दे दिया करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो खुली बात है अगर सरकार को ऐसी इत्तिला होती तो हम यकीनन रेंजर के खिलाफ ऐक्शन लेते। हमारे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री राजनारायण—जिन नन्हूलाल जी ने शिकायती-पत्र भेजा था और जो जांच करने वाले अफसर गये थे उन्होंने श्री नन्हू लाल से इस बात की जानकारी की थी कि किस आधार पर उन्होंने शिकायत की ?

श्री सैयद अली जहीर—उनको दो दफा कहा गया कि वह तशरीफ लायें और सबूत दें लेकिन दोनों दफा उन्होंने आने से इंकार किया।

श्री शिवप्रसाद नागर—सबूत में शिकायत करने वाले को न बुलाकर क्या किसी जांच करने वाले अधिकारी ने उस सबूत को देखने का कष्ट किया है जो कटे हुए दरख्त के ठूंठ वहां पर मौजूद हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने तो बता दिया कि जो शिकायत करने वाले थे उनसे कहा गया कि वह आ करके उनको साबित करने की कोशिश करें। लेकिन कोई नहीं आया। उसके अलावा डी० एफ० ओ० जो खुद तहकीकात कर सकता था वह का और वह शिकायतें सही नहीं पायी गईं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि श्री नन्हूलाल जी स्वतः यहां पर आये थे और उनकी शिकायतों को मैंने स्वतः मंत्री जी से कहा था, मेरा पत्र स्वतः मंत्री जी की सेवा में गया रहा होगा ७–४–५९ को.....

श्री उपाध्यक्ष—आप मंत्री जी से पूछ लीजिये कि ऐसा हुआ कि नहीं, नन्हूलाल जी आये थे राजनारायण जी के साथ, मंत्री जी ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे याद नहीं है।

श्री राजनारायण—श्री नन्हू लाल जी आये थे, मंत्री जी से बातें की थीं और मंत्री जी से ७–४–५९ को मिलने गये थे.....

श्री उपाध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं। अब इसकी तो कोई रेमेडी नहीं है।

श्री राजनारायण—वे मिलने गये और मंत्री जी को शिकायती-पत्र भेजा गया। तो मंत्री जी कैसे कहते हैं कि जब नन्हूलाल जी को बुलाया गया तो वह नहीं आये ?

श्री उपाध्यक्ष—मेरा खयाल है आप श्री नन्हू लाल जी को फिर से मंत्री जी के पास भेज दीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बुलाने के लिये जो समन्स भेजे गये उसके बाद भी वह नहीं आना चाहते थे, ऐसी कोई तहरीर है और गांव सभापति की या अन्य किसी व्यक्ति की उस पर गवाही है ?

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तो मुझे इत्तिला नहीं है कि किस तरह से बुलाया गया उनको लेकिन जाहिर है कि नन्हूलाल जी को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनको इत्तिला दी गयी और दो दफा उनको बुलाया गया और वे नहीं आये और उसके साथ ही साथ हमारे यहां यह भी रिपोर्ट आई है कि यह पहली दफा नहीं है, पहले भी वे जंगल के अफसरों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें भेज दिया करते थे और इसकी बहुत पुरानी रिपोर्ट सन् ५८ की है, उसमें भी उनके मुताल्लिक उन्होंने ऐसी शिकायत की थी और जब तहकीकात की गयी तो साबित नहीं हुई। तो वे इस तरह से शिकायतें भेजा ही करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—गोविंदसिंह विष्ट जी यह पूछ रहे हैं कि क्या जरिया था नोटिस तामील करने का ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी सूचना नहीं है कि इस पर्टीकुलर मामले में किस तरह से उनको इत्तिला दी गयी ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो अपने वक्तव्य में कहा कि वे शिकायतें कर दिया करते हैं तो उन्होंने पहले जो शिकायतें की क्या उनका भी यही नतीजा निकला जो आज शिकायतें करने का नतीजा निकला है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, सितम्बर, सन् ५८ का नोट है जिसमें नन्हूलाल जी ने इस तरह की शिकायत की थी। उसे मैं पढ़ कर सुना दूं :—

"As Nanhoo Lal of Pilibhit is in the habit of sending petitions off and on making false allegations against the forest staff. He is a history-sheeter and was fined several times for illicit fillings and illicit export. His previous petitions were deposited as noted on page 2. This may also be deposited."

यह सितम्बर, सन् ५८ में था लेकिन बावजूद इसके कि शिकायत आई मैंने उसकी इंक्वायरी कराई और जो नतीजा है उसे मैंने सदन के सामने पेश कर दिया।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं भी पढ़ दूं। क्या सरकार को यह मालूम है कि श्री नन्हू लाल जी ने ७-४-५९ को माननीय मंत्री, वन विभाग, को यह पत्र लिखा है " महोदय, मैं आपसे १२ फरवरी, को पीलीभीत वन विभाग में व्याप्त गड़बड़ी व भ्रष्टाचार तथा धांधली व वन के गरीब निवासियों की परेशानियों के सम्बन्ध में श्री राम सिंह जी एम० एल० ए० के साथ मिला था और इससे सम्बन्धित समस्त बातें बताई थीं ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब भी उनको याद आ रहा है कि वे मिले थे या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझ से इतने आदमी मिलते हैं कि मुझे बिलकुल याद नहीं है कि मिले थे या नहीं ।

*५८—**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९--६१—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*६३—श्री लक्ष्मणराव कदम—[हटा दिया गया ।]

*६४—श्री रामस्वरूप वर्मा—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*६५--६६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल [१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*६८—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—[दसवें बुधवार के लिये प्रश्न ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६९--७०—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७१—श्री राजनारायण—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२-७३—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७४—श्री शिवप्रसाद नागर—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]]

*७५—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—[हटा दिया गया ।]

*७६-७७—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७८-८०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*८१-८२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*८३-८४—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*८५—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*८६-८७—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*८८—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*८९—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*९०-९१—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*९२-९३—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पीड़ित जनता संघ, कोटद्वार की मांगें

*९४—श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास पीड़ित जनता संघ, कोटद्वार (गढ़वाल) की ओर से फरवरी, ६० के प्रथम सप्ताह में भूमि हीनों को बसने के लिये फालतू जमीन देने का कोई प्रस्ताव आया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इस विषय पर सरकार के पास फरवरी १९६० के तीसरे सप्ताह में एक प्रस्ताव आया है और विचाराधीन है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस प्रस्ताव में जमीन के अतिरिक्त और क्या-क्या मांगें मुख्य-मुख्य थीं?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रस्ताव मुझे श्री हरीराम मिश्र, 'चंचलजी' हैं कोई, उन्होंने भेजा है और वह गढ़वाल में, जो भूमिहीन हैं उनके बसाने के बारे में कुछ तदबीर की जाय इस संबंध में है। उसी पर विचार हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—इसके अलावा भी कुछ और मांग हैं क्या?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। खास मांग यही है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां पर कितने भूमिहीन व्यक्ति हैं और कितनी जमीन फालतू पड़ी है जिस पर वह बसाने की मांग कर रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, फालतू जमीन का सवाल नहीं है, कोई जमीन फालतू नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि कितने भूमिहीन वहां पर बसाये जा सकते हैं, उसके लिये विचार हो रहा है और जब उस पर विचार हो जायेगा तो उसका जवाब दिया जा सकेगा।

श्री राजनारायण—यदि जमीन फालतू बिलकुल नहीं है तो क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि किसी दूसरे की जमीन, जिस पर कि वे लोग खेती वगैरह करते हों, उनको दे दी जाय और उस पर उनको बसा दिया जाय?

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, यही सब मामला तो अभी विचाराधीन है कि आप किसको फालतू कह सकते हैं और किसको नहीं कहते हैं। यही तो देखना है।

*९५—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)—[स्थगित किया गया।]

*९६—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[स्थगित किया गया।]

*९७-९८— श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किये गये।]

*९९-१००—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[स्थगित किये गये।]

*१०१-१०२—श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—[स्थगित किये गये।]

*१०३—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—[स्थगित किया गया।]

बिक्री-कर विभाग के बर्खास्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

*१०४—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या यह सही है कि बिक्री-कर विभाग में सन् ५८ में १४ अधिकारियों की नौकरी लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दी गयी थीं और बाद में ८ अधिकारियों को वापस ले लिया गया? क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आठों को किन शर्तों पर वापस लिया गया?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जी हां। आठ अधिकारियों को, जिनकी सेवायें १९५८ में समाप्त कर दी गई थीं, उनके मामलों पर फिर से विचार करने पर, सरकार के उन अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिनके अनुसार उनकी सेवायें एक महीने की सूचना अथवा सूचना की एवज में एक महीने का वेतन देकर, समाप्त की जा सकती हैं, वापस बुला लिया गया। उनको यह सूचित किया गया कि उनके काम तथा चरित्र पर दो साल तक दृष्टि रक्खी जायगी जिसके बाद उनके नौकरी में चलते रहने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*१०५---श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या यह सही है कि बिक्री-कर विभाग में कुछ ऐसे भी सहायक बिक्री कर अधिकारी अपने पदों पर आज भी काम कर रहे हैं जिनको लोक सेवा आयोग ने अपने अपने पद के लिये अयोग्य ठहराया? यदि यह सही है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---कुछ अधिकारियों के विषय में सरकार के पास लोक सेवा आयोग की सिफारिशें आई हैं, जो विचाराधीन हैं। उन सिफारिशों का ब्योरा देना जनहित में न होगा।

श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जो, सिफारिशें आयी हैं वे कब तक विचाराधीन रहेंगी?

श्री सैयद अली जहीर---शीघ्र ही उन पर फैसला हो जायेगा।

श्री ऊदल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह सिफारिशें कब भेजी गयी हैं?

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है फाइल में। वह मैं यदि माननीय सदस्य मुझ से पूछेंगे तो बाद को बता दूंगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक-सेवा आयोग ने, जिन ८ व्यक्तियों को अयोग्य ठहराया था, उनमें क्या कमी थी?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, वह तो उनका जो कैरेक्टर रोल वगैरह था वह सब देखा गया और उसके बाद यह फैसला किया गया। अब जो उनकी सिफारिश आयी है उस पर सरकार विचार कर रही है, फैसला कोई नहीं किया है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किस आधार पर और किन कारणों से लोक सेवा आयोग ने उन लोगों को अयोग्य ठहराया था?

श्री सैयद अली जहीर---अयोग्य करार देने की मुख्तलिफ वजह होती है उनकी एजूकेशनल क्वालिफिकेशंस, पास्ट रेकार्ड आफ सर्विस, इन सब को देख कर अयोग्य करार देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---इस मामले में क्या खास बात है?

श्री सैयद अली जहीर---इस मामले में कोई खास बात नहीं है। जो औरों के साथ हुआ वही उनके साथ भी हुआ। इनकी पास्ट सर्विस और रेकार्ड डिपार्टमेंट में देखा गया, वह अच्छा नहीं था। उस पर गवर्नमेंट ने ऐक्शन लिया। अब उनकी दोबारा सिफारिश आयी है तो हम दोबारा विचार कर रहे हैं।

कानपुर क्षेत्र में बिक्री-कर कार्यालयों के कुछ चपरासियों की बहाली

*१०६---श्री चिरंजी लाल जाटव---क्या यह सही है कि वर्तमान बिक्री-कर आयुक्त श्री विजयबहादुर साही के आने के पश्चात् कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत बिक्री-कर

कार्यालयों के कुछ चपरासीगण अपने पदों पर पुनः बहाल किये गये और उन्हें चार्ज लेने की तारीख तक का पूरा वेतन दिया गया, क्या यह पैसा सरकारी आदेश तारीख १३-८-५८ के अनुसार उन अधिकारियों के वेतन में से काट लिया गया जो इन चपरासीगण को निकालने के लिये उत्तरदायी थे ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--जी हां, यह सही है कि श्री विजयबहादुर साही, मौजूदा कमिश्नर सेल्स टैक्स के आने के बाद कानपुर रेंज के १५ चपरासियों को अपने पद पर बहाल किया गया और उनको निकाले जाने की तारीख से बहाल होने तक की तारीख तक का वेतन व भत्ता दिया गया । चूंकि उन चपरासियों को निकाले जाने का आदेश किसी गलतफहमी की वजह से दिया गया था, इसलिए संबंधित अधिकारियों से कोई वसूली नहीं की गई ।

श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन चपरासियों की क्या गलती थी, जिसकी वजह से निकाले गये और फिर क्यों रखे गये ?

श्री सैयद अली जहीर--ये इस वजह से निकाले गये कि रिपोर्ट यह थी कि इनका काम बहुत अच्छा नहीं है, तो बजाय इसके कि इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जाय इनको १ महीने का नोटिस देकर अलग कर दिया गया । एक आर्डर यह गया हुआ था सेल्स टैक्स कमिश्नर का हालांकि वह ३ वर्ष पुरान थ , लेकिन उस आर्डर में यह था कि एक महीने का नोटिस देकर अलग किया जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने अपील की तो मालूम हुआ कि ऐप्वाइंटमें डिपार्टमेंट का एक इंस्ट्रशन यह है कि अगर एक टेम्पोरेरी आदमी अर्से से काम कर रहा है और उसको निकालने की जरूरत हो और अगर उसके खिलाफ कोई खास बात न हो तो इस तरह से निकालना मुनासिब नहीं है । सेल्स टैक्स कमिश्नर ने कहा कि शायद उस इंस्ट्रक्शन पर ख्याल नहीं किया गया और यह ऐक्शन गलत हुआ, तो फिर उनको रेस्टोर किया गया और फिर वह काम कर रहे हैं ।

*१०७-१०८--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये]

*१०९-१११--**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*११२--**श्री देवकीनन्दन विभव**--[१२ अप्रैल १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११३--**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल**--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११४-११५--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*११६-११७--**श्री मुक्तिनाथराय**--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*११८--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११९-१२०--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२१--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२२-१२३---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा वन खंड में तेंदू की पत्ती का नीलाम

*१२४---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा डिवीजन वन विभाग में बीड़ी के लिये तेंदू के पत्तों के नीलाम से १९५७-५८ व १९५९ में अलग-अलग हर साल कितनी आमदनी हुई ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---१९५७-५८ में ४,२६,३२२ रुपये और १९५८-५९ में १,५३,५९५ रुपये।

श्री जगपतिसिंह---पहले १९५६-५७ के नीलाम के मुकाबले में इस बार चौथाई कीमत आयी जंगल की, इसका कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो नीलाम की बोलियों के ऊपर होता है। इस साल शायद कुछ खराब हो गये थे पत्ते या जो खरीदार थे उनके पास पहले का कुछ माल बचा हुआ था। लिहाजा उसकी बोली कम आई और उसी पर नीलाम किया गया।

श्री जगपतिसिंह---क्या यह बात मंत्री जी को ज्ञात है कि भूतपूर्व जमींदारों के नाजायज दबाव के कारण जंगल के ठेकेदारों ने नीलाम में बोली कम बोली ?

श्री उपाध्यक्ष---इसके लिये आपको फिर से नोटिस देनी पड़ेगी।

*१२५---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२६-१२८---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१२९---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

मैलानी जंगल का हैप्रेस गोदाम

*१३०---श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि मैलानी जंगल में हैप्रेस गोदाम के लिये वन विभाग ने गत, वर्ष जो रुपया स्वीकार कर लिया था, वह हैप्रेस के बजाय किसी अन्य कार्य में खर्च किया गया ? यदि हां, तो किस कार्य में और किसके आदेश से तथा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस विषय में अधिकारियों को तथा सरकार को शिकायतें भेजी गयीं ? यदि हां, तो वे क्या-क्या थीं ?

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल तो मुझे शिकायत की इत्तिला नहीं है, लेकिन इसमें अब जब सवाल आया तो इसकी इंक्वायरी की गयी और ज्ञात हुआ कि जो रुपया, जिस काम के लिये दिया गया था, वह उसी पर सर्फ किया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैलानी में हैप्रेस गोदाम किस जगह बना हुआ है और बना है तो वह कब तैयार हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं ठीक से नहीं जानता। वैसे मेरे खयाल से मैलानी में ही बना होगा।

नोट :---तारांकित प्रश्न १३० श्री गोविन्द सिंह विष्ट ने पूछा।

*१३१--श्री मन्नालाल--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३२--श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३३-१३४--श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१३५--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३६--श्री लोकनाथसिंह--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३७--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३८--श्री ऊदल--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३९--श्री ऊदल--[हटा दिया गया ।]

*१४०--श्री रघुवीर सिंह--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४१--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४२--श्री रामसुन्दर पांडेय--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४३--श्री रामसुन्दर पांडेय--[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१४४-१४६--श्री ऊदल--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४७-१४८--श्री रामस्वरूप वर्मा--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४९-१५०--श्री प्रतापसिंह--[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

लीसा का संग्रह

*१५१--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके द्वारा गत पांच वर्षों में लीसा के संग्रह में कितनी वृद्धि हुई और आगामी पांच वर्षों में कितनी वृद्धि करने का अनुमान है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--विभाग द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित वर्षों में संग्रहीत लीसे की मात्रा इस प्रकार है :--

वर्ष			संग्रह (मनों में)
१९५४-५५	..	..	३,०४,०८०
१९५५-५६	..	..	३,०८,४५०
१९५६-५७	..	..	३,२३,२३७
१९५७-५८	..	..	२,९५,७००
१९५८-५९	..	..	३,३७,९५५

विभाग द्वारा वन क्षेत्रों से अधिक लीसा निकालने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और आगामी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष २ से ३ लाख मन और अधिक लीसा निकालने का लक्ष्य है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लीसा की वृद्धि के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं और अब तक जो वृद्धि हुई है उसके क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका मुख्य कारण तो यह है कि जंगलों में कम्युनिकेशन के रास्ते बनते जा रहे हैं । हमें उम्मीद है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम जंगलों में कई सौ मील का रास्ता और बना लेंगे । बहुत से हिस्से जंगलों में एसे हैं जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिये लीसा, लकड़ी और दूसरी चीजों का निकालना मुमकिन नहीं है । तो असली वजह यही है जिससे बराबर पैदावार बढ़ती चली जा रही है और उम्मीद है कि और बढ़ेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इधर पांच सालों में लीसे की वृद्धि के लिये कितनी सड़कें बनाई गईं ?

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये आपको अलग से सूचना देनी होगी ।

श्री देवकीनन्दन विभव—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वैधानिक प्रश्न है । मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जिसका प्रश्न हो उसको सप्लीमेन्टरी करने के लिये प्राथमिकता देना आवश्यक है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—जहां तक पहले या बाद में सप्लीमेंटरी करने का सवाल है उसके लिये मौका तो दिया ही जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्नों के महत्व के अनुसार विरोधी दलों के नेता प्रश्न करना चाहते हैं तो उनको पहले मौका दे देते हैं । मैं समझता हूं कि यह तो प्रश्नकर्ता के हित में है कि उनके प्रश्न को इतना महत्व दिया गया और विरोधी दल के लोगों ने उसमें इतनी दिलचस्पी ली । आपको सप्लीमेंटरी करने का मौका मिलेगा, आप वंचित नहीं रहेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि लीसा की वृद्धि के लिये सड़कों के अलावा कोई और भी उपाय अपनाये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—लीसे का निकालना स्पेशलाइज्ड काम है और वहां कोआपरेटिव्ज भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—मुझे पूरक प्रश्न करने का अवसर पहले न देने के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री देवकीनन्दन विभव सदन छोड़कर चले गये)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा खयाल है कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका मूल प्रश्न हो उसे उस बात की विशेष जानकारी होती है, तब प्रश्न पूछता है । पहले उसे ही मौका देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि उसे क्यों ज्यादा मौका दिया जाता है । नेता, विरोधी दल को प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसमें कुछ मेरी भी गलती है । परम्परा यह है कि नेता, विरोधी दल बहुत ही कम सवाल करते हैं । इस समय नेता, विरोधी दल की हैसियत रखते हुये मैंने उसे निभाने की कोशिश की है । वरना आप जानते ही हैं कि मैं कितने अधिक प्रश्न पूछता हूं । अगर विभव जी की शिकायत यह हो कि आपने मुझे मौका दिया तो मैं नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह खड़े नहीं हो रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने बता दिया है कि नेता, विरोधी दल को उनके खड़ा होने पर प्राथमिकता दी जाती है ।

*१५२–१५३—श्री लोकनाथसिंह—[१२ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये ।]

*१५४–१५५—श्री उग्रसेन—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५६–१५७—कुंवर श्रीपालसिंह—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५८–१५९—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[३० मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ३१–३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१६०–१६१—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६२–१६३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

भागपुर की वन विहीन भूमि तथा छीनी चौकी जंगल के भूमिहीन मवासा शिल्पकार

*१६४—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के टनकपुर बनबसा के पास भागपुर नामक जगह वन विहीन कर के साफ किस हेतु की गई है ? क्या यह हरिजन भूमिहीनों को दी जायगी ? यदि हां, तो किस प्रतिबन्ध के साथ ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१६५—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसी टनकपुर में छीनी चौकी जंगल में करीब १०० मवासा भूमिहीन शिल्पकार (हरिजन) विशेष कठिनाई के साथ वृक्षों के नीचे पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो जब तक इनके लिये भूमि का प्रबन्ध न हो जाय तब तक उसी स्थान पर रहने का प्रबन्ध सरकार उनके लिये करेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यह कहना सही नहीं है कि छीनी जंगल में १०० हरिजन परिवार पेड़ों के नीचे रह रहे हैं । वास्तव में अल्मोड़ा जिला के १०० हरिजन परिवारों ने छीनी जंगल की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है । सरकार उनको वहां रहने की अनुमति देने में असमर्थ है, और उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको कहीं बसाने की भी कार्यवाही हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—वे चाहेंगे तो कोशिश की जायगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्रीजी को ज्ञात है कि इन हरिजन लोगों को जिस भूमि में वे पहले आबाद थे वहां से हिस्सेदारों ने निकाल दिया और अब जंगल में से सरकार ने हटा दिया, और इसके बारे में सरकार कोई कदम शीघ्र उठावेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—पहली बात की तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुये कि भूमिहीनों को ५ एकड़ के हिसाब से भूमि दी जायगी, भागपुर जगह को जो खाली है, इन लोगों को देने पर विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जंगल की सभी जमीन खाली है और अगर उसे देने लगें तो जंगल खत्म हो जायंगे ।

श्री बंशीधर शुक्ल—जो आदमी उजाड़े जा रहे हैं ये पहले से आबाद थे या सरकार को जंगल पहले मिले थे या उन आदमियों के पास जमीन पहले से जुती हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—ये जबरदस्ती वहां काबिज हो गये थे । पहले वहां नहीं थे ।

श्री बंशीधर शुक्ल—सरकार के कब्जे में जंगल आने से पहले काबिज हुये थे या बाद में ?

श्री सैयद अली जहीर—यह दूसरे जिले की बात है । ये आदमी सब अल्मोड़े जिले के हैं । अभी थोड़े दिन हुये, वहां से आकर यहां आबाद हो गये हैं और उनको हटाया जा रहा है ।

*१६६—श्री उग्रसेन—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६७—श्री बंशीधर शुक्ल—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६९—श्री रामस्वरूप वर्मा—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७०—श्री रणबहादुर सिंह—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

संशोधित बजट मैनुअल की तैयारी तथा कुछ सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

*१७१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नये बजट-मैनुअल को तैयार करने हेतु अब तक क्या प्रगति हुई है और वह कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—संशोधित बजट मैनुअल का आलेख्य तैयार किया जा चुका है और महालेखापाल, उत्तर प्रदेश तथा कुछ और संबंधित विभाग से भी इस सम्बन्ध में परामर्श किया जा चुका है, महालेखापाल आदि की टीका के आधार पर नियमों के परिष्कृत आलेख्य की अन्तिम रूप से परिनिरीक्षा (final scrutiny) की जा रही है । जैसे ही यह परिनिरीक्षा (scrutiny) कार्य समाप्त हो जायगा नियमों को अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

*१७२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने दिसम्बर, १९५९ के प्रथम सप्ताह में कुछ कर्मचारियों के हेतु २ रुपये मासिक वृद्धि की है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वृद्धि किन-किन निश्चित कर्मचारी श्रेणियों को दी जायगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—जी हां । १ नवम्बर, १९५९ से तनख्वाह में दो रुपये मासिक वृद्धि उन कर्मचारियों को दी गई है जो निम्नलिखित वेतनक्रमों में तनख्वाह पा रहे हैं :—

२०-१-२५, २०-१-३०, २०-१/२-३०, २५-१/२-३५, २५-१/२-३०-१-३५, २५-१-३५, २५-१-४०, २५-१ १/२-४० ।

यह वृद्धि उन वर्कचार्ज्ड (work charged) कर्मचारियों को भी दी गई है जो ऐसे ही वेतन क्रमों में तनख्वाह पा रहे हैं । यह वृद्धि केवल ३५ रुपये तनख्वाह तक ही दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी संशोधित बजट मैनुअल के आलेख्य यानी ड्राफ्ट की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--इस वक्त मैं यह बतलाने में बिलकुल असमर्थ हूं कि उसमें क्या-क्या तरमीमें हो रही हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इसमें फाइनेन्शिल ईयर को पहली अप्रैल से बदल कर पहली अक्टूबर से रखने का भी इरादा है ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मुझे मालूम है, अभी ऐसी कोई ीति नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--क्या माननीय वित्त मंत्री जी कृपा करेंगे कि बजट मैनुअल इस प्रकार से बने जैसे बम्बई और अन्य प्रान्तों में है, कि कितने नौकर हैं और कितनी तनख्वाह है, बजट को पढ़कर यह सब बातें मालूम हो जावें ?

श्री सैयद अली जहीर--हमारी कोशिश तो यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरी इत्तिला बजट के जरिये दी जाय । तरमीमें आने पर माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर विचार किया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर--हमारे देश का फाइनेन्शिल ईयर फसली सन् से शुरू होता है, तो क्या मंत्री जी बजट का अधिवेशन फसली सन् शुरू होने पर रखेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरा खयाल है कि सन् के मामले में फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि एक ही सन् तमाम देश में लागू है। अलग-अलग सूबों में अलग-अलग सन् होने से कनफ्यूजन हो जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस संबंध में किन-किन विभागों से परामर्श लिया गया है और क्या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और ऐस्टीमेट्स कमेटी से भी परामर्श लिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुख्तलिफ विभागों से पूछा गया, कमेटीज से नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--बजट मैनुअल के तैयार करने में किस स्टेज पर और किस प्रकार से सदस्यों की राय ली जायगी, जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा था कि उनसे राय ली जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर--जब भी वे कोई तजवीज देंगे वह वेलकम की जायगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह वृद्धि सन् ५६-५७ के बजट में दिये गये आश्वासन कि दो पया मासिक चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जायगा, उसके अनुसार दी जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो उन लोगों को दिया गया है जिनको ५५ में वृद्धि नहीं मिल पायी थी । इसलिये उनके लिये यह फैसला किया गया कि उनको ५६ से दिया जाय, जनरल इन्क्रीमेंट के यह अलावा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कौन-कौन ऐसी श्रेणियां रह गयी थीं जिनमें ५५ का वेतनक्रम लागू नहीं किया जा सका, उनकी संख्या क्या है और इस बढ़ोत्तरी से कितना खर्चा होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—उनकी संख्या तो इस वक्त मालूम नहीं है, लेकिन जो ग्रेड्स हैं वे जवाब में दिये गये हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सन् ५६ में सरकार ने जो वायदा किया था कि फारेस्ट गार्ड्स को भी यह तरक्की दी जायगी, तो ३५ तक के ग्रेड वालों को तो दिया गया है लेकिन ४० का ग्रेड वालों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—कहीं न कहीं तो लाइन खींचनी ही पड़ेगी। बताया गया है कि २५—१/१/२—४० और २५—१—४० की तनख्वाह वालों को भी यह वेतन वृद्धि मिल सकेगी ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह वेतन वृद्धि म्युनिसिपल बोर्ड और जिला परिषद् के कर्मचारियों पर भी लागू है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह वृद्धि तो सिर्फ सरकारी कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों को दी गई थी । मगर जो वृद्धि महंगाई भत्ते में १९५७ और १९५९ में की गई उसमें लोकल बांडीज के मुलाजमीन भी शामिल थे । *

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या वजीर यह बताने की जहमत गवारा करेंगे कि वह कौन सी श्रेणियां हैं जिन पर यह वृद्धि लागू नहीं की गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जवाब में बता दिया गया इन लोगों से लागू नहीं हुआ था, इसलिये इनको दिया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो बढ़ोत्तरी का वेतन है वह सन् ५६ से लागू होगा, ५९ से लागू होगा या सन् ६० से मिलेगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो प्रश्न में ही पूछा गया था कि दिसंबर ५९ के प्रथम सप्ताह में कुछ कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी गयी है क्या, उसी के हिसाब से जवाब भी दिया गया था । यह वृद्धि १ नवम्बर, ५९ से दी गयी है ।

श्री मदन पांडेय—जिस श्रेणी के कर्मचारियों को इस वक्त के भी आदेश कदर नहीं करते हैं क्या सरकार उनकी तनख्वाह बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो आम सवाल है । उसके उपर सरकार विचार कर रही है कि उनको किस तरह से फर्दर रिलीफ दिया जा सके ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा विभाग भी है जिसमें ये नियम लागू नहीं होते ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे तो नहीं मालूम मैं समझता हूं कि सभी जगह इसको लागू किया गया है । अगर कहीं लागू नहीं हुआ तो माननीय सदस्य बता दें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निम्न—वेतन—भोगी कर्मचारियों के वेतन और बाजार के बढ़े हुए भावों में सामंजस्य स्थापित करने के किसी कमीशन के बैठाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, किसी पे कमीशन की योजना पर विचार नहीं कर रहे हैं । यह जरूर सोच रहे हैं कि चूंकि कास्ट आफ लिविंग बढ़ गयी है, इसलिये उनको कुछ सुविधायें दी जायं ।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पी० डब्लू० डी० और इर्रीगेशन विभागों के गैर मुस्तकिल वेतनभोगी कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी गयी है ?

---

*३ मई, १९६० को सदन में दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

श्री सैयद अली जहीर—पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों को न देने की कोई वजह नहीं है। आपने देखा होगा कि यह वृद्धि वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी दी गयी है जो इस प्रकार के वेतनक्रमों में हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इन कर्मचारियों को सन् ५५ के स्केल के मुताबिक सन् ५६ में ही वेतन मिल जाना चाहिये था और अब देने जा रहे हैं तो पिछले तीन साल को कम्पेनसेट करने के लिये क्या उपाय सोचा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये कोई उपाय नहीं सोचा गया है। यही सोचा गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको मिल सके वह मिल जाय।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—मैं आप की आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर० —ए० एम० २६।७७८—बी०—३०—१६—एच०—६०, दिनांक २९ फरवरी, १९६० तथा संख्या एम० वी० आर० (ए० एम० —२५) —६८४—बी० /३०—१५०—एच०—५९, दिनांक २० फरवरी, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रश्नोत्तर के संबंध में आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष—अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव . . .

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्. . . .

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्नों के बारे में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मुझे लिखित दें।

श्री राजनारायण—आप सुन तो लीजिये कि कितना अनर्थ हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण—आप सुनेंगे भी नहीं। आपने उनको तो पढ़ने की इजाजत दे दी और उन्होंने हिस्ट्री-शीटर और न जाने क्या-क्या कह दिया जो बिलकुल झूठी बात है।

श्री उपाध्यक्ष—यह कैसे कहा जा सकता है कि वह बिलकुल झूठी बात है।

श्री टीकाराम पुजारी के निलम्बन को समाप्त करने का सुझाव

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल की बात के सम्बन्ध में आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय टीकाराम जी पुजारी के सम्बन्ध में जो आप का आदेश न मानने पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था वह हाउस में मान्य हो गया था, यह सोचते हुये कि पुजारीजी इस सदन के बहुत बुजुर्ग सदस्यों में से हैं, मैं आप से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो उनको दो दिन के लिये निलंबित किया गया था उसको माफ़ कर दिया जाय।

---

*छापे नहीं गये।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आचार्य जी को याद दिला दूं कि माननीय आचार्य जी अभी मुझ से मेरे चेम्बर में मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि माननीय पुजारीजी की तरफ़ से अगर वह कुछ लिखवा कर दें तो उस समय उस पर विचार किया जा सकता है। यह सदन के अनुशासन के हित में नहीं होगा कि माननीय पुजारी जी पर तो उसकी कोई प्रतिक्रिया न हो या वह उस के सम्बन्ध में कुछ न कहना चाहते हों और अन्य माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सदन में कोई सुझाव रखें। मैं समझता हूं कि यह सदन के अनुशासन के हित में नहीं होगा। इसलिये मैं अन्य माननीय सदस्यों से और माननीय पालीवाल जी भी कुछ बोलना चाहते हैं इसलिये उनसे भी निवेदन करूंगा कि अनुशासन के सम्बन्ध में वह चेयर की मदद करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ कहा उससे मैं सर्वथा सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सदन में किसी प्रकार की अव्यवस्था का होना और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की आज्ञाओं का न माना जाना एक ऐसी बात है जिसकी सब को निन्दा करनी चाहिये और सब इस बात के पक्ष में हैं कि जो ऐसा करें उनको दंड दिया जाना चाहिये। लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि दंड देने के बाद यदि क्षमा दान किया जाय तो दंड का प्रभाव अधिक स्थायी होता है। पुजारीजी को दो दिन के लिये निष्कासित किया गया था। उसमें से एक दिन जा चुका और दूसरे दिन का भी कुछ समय जा चुका। अब क्षमादान कर दिया जायगा तो मेरी राय में अच्छा होगा। और मैं इतना और निवेदन कर दूं कि जहां तक मेरी सूचना है माननीय उपनेता सदन जो कि इस समय नेता सदन हैं वह भी इस बात के पक्ष में हैं अगर आप आज्ञा दें तो ऐसा कर दिया जाय। इसके अलावा जहां तक लिखित रूप में क्षमा याचना देने का सम्बन्ध है, तो इस समय तो पुजारी जी हैं नहीं लेकिन उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूं। प्रस्ताव ही क्षमा याचना के रूप में होता है। इसलिये अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो कुछ कहा वह बिलकुल पार्लियामेंटरी विधान के अनुकूल है। आपने जो मर्यादा की बात बतायी तो दूसरा रास्ता जो उन्होंने स्वयं क्षमा याचना का निकाला वह लागू हो या न हो लेकिन इतना तो हो सकता है कि माननीय नेता सदन और यह सारा सदन मिल कर के स्वयं ही उनको क्षमा कर सकता है. . .

श्री उपाध्यक्ष---जरा फिर से कहिये कि आप ने क्या कहा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं यह कह रहा था कि उस के दो तरीके हो सकते थे। एक तो माननीय टीकाराम जी स्वयं कुछ लिख कर देते और आप कहते हैं कि यह आपके पास लिख कर आया है। दूसरा तरीका यह है कि सदन स्वयं ही यह सोच ले कि यह सजा काफी है और अब हम उसको निरस्त करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह तरीका तभी हो सकता है जब मैं उस प्रस्ताव की अनुमति दे दूं। वह मैंने दी नहीं। उसके पहले ही यह बातें हो रही हैं ताकि मैं सदन को बता दूं कि मेरी प्रतिक्रिया उस सम्बन्ध में क्या है। मैंने अभी किसी फार्मल प्रस्ताव की अनुमति दी ही नहीं है। जब तक प्रस्ताव सदन के सामने नहीं होगा अब तक आप उस पर विचार नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं तो आप की आज्ञा से एक निवेदन माननीय पालीवाल जी से करना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आज्ञा न मानने का उन्हें स्वयं खेद है, पश्चात्ताप है और दुख है और सभी को मानना चाहिये। इसमें हमारा संशोधन यह है कि अध्यक्ष की वैध आज्ञा मानने से मर्यादा बढ़ती है और अवैध आज्ञा मानने से घटती है. . .

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर के स्थान ग्रहण करें। मैं आप को आगे बोलने की इजाजत नहीं देता।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---श्रीमन्, मुझसे और पालीवाल जी से सीधे-सीधे कोई बात नहीं हुई । अभी श्री बलदेव सिंह जी आये थे और उन्होंने कहा कि उधर की राय है कि उनको माफ कर दिया जाय। मेरे दिल में जो बात थी वह यह थी कि अगर उनको पश्चाताप है तो माफी देने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---(पालीवाल जी से) आप कह रहे हैं कि उनको किसी किस्म का पपश्चाता है

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---श्रीमन्, जब मैंने कह दिया कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूं तो मैं भी उसके लिये दोषी और अपराधी हो सकता हूं और उसका दंड सहने के लिये भी तैयार हूं। मानें या न मानें यह आप के हाथ है।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने विरोधी दल के माननीय नेताओं और सदन के नेता की भी बातों को सुना और अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा दूं। यह अनुशासन के हित में है। जहां तक अध्यक्ष की वैध और अवैध आज्ञा का सवाल है वह यह है कि चेयर से जो आज्ञा दी जाती है वह हमेशा वैध मानी जाती है। यदि वैध और अवैध आज्ञा का निर्णय करना हर मेम्बर की मर्जी पर छोड़ दिया जाय तो इससे सर्वथा एक अनार्की फैल जायगी और इस तरह से सदन का काम नहीं हो सकता। अब मैं कोई वाद-विवाद इस सम्बन्ध में नहीं चलाना चाहता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न यह है कि नियमावली के नियम २९९ का दूसरा प्रोवीजन है कि . . .

श्री उपाध्यक्ष---पुजारी जी के बारे में है ?

श्री राजनारायण---जी नहीं। प्रोवीजो इस प्रकार है कि, "किन्तु सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह संकल्प कर सकेगा कि ऐसे निलम्बन को समाप्त किया जाय।' यह स्पेशल प्राविजन है, अध्यक्ष किस शक्ति से, जब कि यह सदन में प्रस्तुत हुआ तो अमान्य कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते थे, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी प्रस्ताव की आज्ञा नहीं दी। जब तक मैं इजाजत न दूं तब तक सदन में कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता है। स्थिति स्पष्ट है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि. . .

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हर माननीय सदस्य को हक है कि वह प्रस्ताव कर सकता है कि उनका निलम्बन समाप्त किया जाय बिना सूचना दिये हुये और सदन में इसका विरोध नहीं हुआ है। केवल आप विरोध कर रहे हैं, सदन प्रस्ताव लाने के पक्ष में है। तो मतलब यह माने जाने चाहिये कि

"No-confidence motion against the Speaker". इसका पद-अर्थ होगा कि सदन का विश्वास आप में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आप चेयर पर ही न आ जायं।

श्री राजनारायण---हम क्यों आ जायं। आप चाहेंगे तो आ जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष---कहने का मतलब यह है कि चाहे सूचना देकर या बिना सूचना दिये जो भी प्रस्ताव आयेगा, अध्यक्ष की आज्ञा से आयेगा जब तक इजाजत न दी जाय तब तक सदन में विचार नहीं हो सकता। वैसे जो कुछ सुझाव दिये गये उन पर मैंने विचार कर लिया।

श्री राजनारायण---तो यह बात लिखी जाय कि अध्यक्ष के सुझाव के विरुद्ध यह सारा दिन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं।

श्री राजनारायण--क्योंकि माननीय उपनेता . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप कैसे खड़े हो कर बोलने लगे ? एक पहला नियम, नियमावली का यह है कि जब कोई माननीय सदस्य खड़े हो कर कुछ कहना चाहें, उस समय अगर माननीय अध्यक्ष उनका नाम पुकारें तो खड़े हो कर कहें। लेकिन खड़े हो कर ही अपना यह राइट समझ लेना और बोलना शुरू कर देना यह आप की आदत सी हो गयी है।

श्री राजनारायण--इस सम्बन्ध में एक निवेदन सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप कृपा करके बैठें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने जो रूलिंग दी उस पर एक प्वाइंट आफ आर्डर उन्होंने उठाया था कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी समय निलम्बन को रद्द करने का प्रस्ताव ला सकता है। अभी लोक सभा में एक ऐसी घटना घटी थी। एक माननीय सदस्य का निलम्बन हुआ। नेता सदन, पंडित जवाहर लाल नेहरू, के कहने पर निलम्बन समाप्त किया गया और उस पर प्रस्ताव हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--उसके लिए मैंने कहा कि जब तक चेयर की अनुमति न हो तब तक प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री राजनारायण--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर अध्यक्ष किसी उपयुक्त और उचित बात को कहने से किसी सदस्य को बार बार रोकता हो और उचित समय पर प्रश्न उठाने का उसको मौका न देता हो तो क्या किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--व्यवस्था के प्रश्न को अध्यक्ष नहीं रोक सकता। इसी लिये जब भी माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं मैं उनको सुनता हूं। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उपयुक्त अवसर पर उसको बोलने नहीं दिया जाता है तो वह अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री राजनारायण--वही चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं स्वागत करता हूं। एक बार आप के दल द्वारा लाया जा चुका है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं इस बात के सम्बन्ध में आप का निर्णय जानना चाहता हूं कि जब नियमावली के अनुसार सदस्यों को कोई प्रस्ताव लाने का अधिकार है, जैसा कि निलम्बन को रद्द करने का प्रस्ताव है, और उपाध्यक्ष महोदय उसको लाने की इजाजत नहीं देते, तो कृपा कर के यह बता दें कि जो सदस्यों का लिखित अधिकार है उसको इजाजत आप किस कारण नहीं देते हैं, किस नियम के अनुसार नहीं देते हैं। अगर यह हो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब चाहें तब प्रश्न न करने दें, नियम के अनुसार प्रस्ताव न रखने दें, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हर एक अधिकारों की एक सीमा होती है, अधिकारों का प्रयोग औचित्य की सीमा के भीतर होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो विद्रोह के लिये नेवता दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--जो प्रश्न माननीय पालीवाल जी ने उठाया है वह बहुत उपयुक्त प्रश्न है। यह प्रश्न सदन के अनुशासन और मान का है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन की मान-मर्यादा रखने के लिये, डिग्निटी और डिकोरम रखने के लिये यहां बैठते हैं। ऐसे प्रश्नों के बारे में सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा मेरा खयाल है, पहली मर्तबा कल विभाजन मांगा गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न, निलम्बन आदि के सर्व सम्मति से तय होते हैं। इसीलिये मैंने

माननीय दीपंकर जी से कहा था कि वह अगर इस सम्बन्ध में बात करना चाहें तो दूसरे दलों से बात कर लें और जो कुछ निश्चित करें वह मुझसे मिलकर बता दें कि हमने यह निश्चित किया है और यह चाहते हैं। पालीवाल जी को आज पहली मर्तबा इस तरह का प्रश्न उठाना पड़ा। मैं समझता हूं कि मैं हूं या कोई भी चेयर पर हो, वह अपने डिस्क्रीशन से जो भी मुनासिब समझता है, सदन को कार्यवाही सुचा रूप से चलाने के लिए, वैसा करता है। ऐसे प्रश्नों में अगर सदन के सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तो काफी गम्भीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मैं पालीवाल जी से स्वयं निवेदन करूंगा कि वह मुझसे मिलें और मैं समझता हूं कि वह संतुष्ट हो जायंगे कि क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।

श्री राजनारायण--मैं सूचना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--इस समय मैं काम रोको प्रस्ताव ले रहा हूं।

श्री राजनारायण--इसके बाद लेंगे ?

श्री उपायध्क्ष--जी नहीं। इसके बाद भी नहीं।

आचार्य दीपंकर--मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अब वह समाप्त हो गया। मैं समझता हूं कि आप लोग बातचीत करके मुझे कंविस करें। आर्थिक दंड का जहां तक प्रश्न है वह आर्थिक दंड न हो, उसकी व्यवस्था बाद में भी हो सकती है, लेकिन एक अनुशासन को बनाये रखने की जो बात है उसमें आप लोग चेयर की सहायता करें।

सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा लाउड स्पीकर संबंधित बनाये गये बाई-लाज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है--

"म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट की धारा २९९ के अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड राज्य सरकार की स्वीकृति से ऐसे बाई लाज लागू कर सकती हैं जिनके तोड़ने पर ५ सौ रुपया तक जुर्माना हो सकता है। सहारनपुर की नगरपालिका ने राज्य सरकार की स्वीकृति से एक ऐसा बाई-ला बनाया है जिसके अनुसार बिना नगर पालिका की आज्ञा के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिना नगर पालिका की पूर्व स्वीकृति के कोई विषय एलान नहीं किया जा सकता। ९ बजे रात्रि के बाद जन सभा में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता।"

राजनारायण जी ने यह भी प्रश्न उठाया है कि सोशलिस्ट पार्टी क और लोगों को और साथ ही साथ राजनारायण जी को भी इससे काफी असुविधा हुई। म्युनिसिपल बोर्ड ने यहां तक अधिकार ले रखा है उस बाई लाज में कि वह निर्देश करे कि कौन कौन विषयों पर एलान हो सकता है और कौन कौन विषयों पर एलान नहीं हो सकता। तो यह प्रश्न यों तो एक स्वशासन संस्था से संबंधित है। लेकिन चूंकि इस डेमोक्रेटिक सेट अप में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये, इसलिये यह एक आवश्यक प्रश्न बन जाता है। तो मैं इस काम रोको प्रस्ताव को तो इजाजत नहीं दूंगा लेकिन सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी से मैं चाहूंगा कि वह स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये बयान दें कि कैसे यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। क्योंकि इस किस्म की बात अगर है तो प्रजातंत्रीय सेट अप में प्राइमाफेसी यह एक ग़लत चीज मालूम हो रही है।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--श्रीमन्, मुझको तो इसकी सूचना सुबह ही मिली। वह भी राजनारायण जी से। उन्होंने फोन पर मुझ से कहा था। सहारनपुर से मेरे पास उनके बाई-लाज एप्रूवल के लिये आये या नहीं आये, यह मैं अभी नहीं कह सकता। मैंने पुछवाने की कोशिश की थी लेकिन उसमें कृतकार्य नहीं हो सका।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप समय ले लीजिए।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--लेकिन मैं समझता हूं कि बाई लाज में यदि कोई ऐसी अनुचित चीज होगी तो वह दुरुस्त कर दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--नहीं, तो आप परिस्थिति बता दीजिए।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--दो दिन का समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप २५ को दे दीजिएगा।

श्री राजनारायण--२५ को तो हम नहीं रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---तो माननीय मन्त्री जी २४ को दे दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं नहीं रहूंगा शायद, लेकिन मेरे उपमन्त्री जी दे देंगे।

श्री राजनारायण--जरा मेरी एक सूचना सुन ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिए। (श्री राजनारायण के खड़े रहने पर) जब चेयर बोल रही है तो आप कृपा कर के बैठें।

श्री राजनारायण--चेयर तो जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो बोलने लगती है। आपको एक गलत सूचना दी गई।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठिए। मैं नियम ५२ के प्रश्न ले रहा हूं।

श्री राजनारायण--तो बाद में मुझे मौका मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष--जब मैं चाहूंगा तो यह हो जायगा। स्पष्टीकरण जब वह कर लेंगे तब हो सकता है।

श्री राजनारायण--हमने कल सूचना दे दी थी सेक्रेटरी को।

मिश्रिख में श्री दधीचनाथ के मेले में अनधिकृत सिनेमा शो के कारण सरकारी आय में कमी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार दो तीन प्रश्न मेरे सामने आये हुये हैं जिनमें से सब से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह श्री शिवप्रसाद नागर का है जो इस प्रकार है--

"नियम ५२ के अनुसार सरकार का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला सीतापुर के मिश्रिख में होली के अवसर पर श्री दधीचनाथ का जो मेला होता है और ८४ कोस की परिक्रमा के अवसर पर जो कई लाख व्यक्तियों की भीड़ कई दिन तक बराबर रहती है उस अवसर पर मिश्रिख के मेले में चार सिनेमा करीब १५ दिन तक चलते रहे और न तो उनका कोई लाइसेंस था और न तो सरकार के खजाने में कोई मनोरंजन कर का एक भी पैसा ही जमा हुआ।" .....इस तरह से नागर जी ने लिखा है कि कई हजार रुपये सरकरी धन की हानि हुई है। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या परिस्थिति है इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें।

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, यह अभी सुबह के वक्त हमको मिला। डी० एम०, सीतापुर से कहा गया कि इसके पूरे विवरण के साथ में हमारे पास रिपोर्ट भेजें। ज्यों ही रिपोर्ट आजायगी उसको मैं सदन के सामने रख दूंगा। मैं २४ तारीख तक कोशिश करूंगा कि इस संबंध में जितनी सूचना हो उसको दे दूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये विषयों के संबंध में जानकारी

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैंने भी अपना एक बहुत महत्व-पूर्ण प्रस्ताव दफा ५२ के अन्तर्गत दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—दफा ५२ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव थे उनक संबंध में मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। जो बाकी रह गये वह रिजेक्ट हो गये हैं।

सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा लाउड स्पीकर संबंधित बनाये गये बाई-लाज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री राजनारायण—मैं यह सूचना दे रहा था कि कल मैंने सायंकाल को स्वशासन विभाग के मंत्री से संबंध स्थापित करने की कोशिश की, किन्तु जब वह नहीं मिले तो स्वशासन विभाग के सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने बताया, जब हमने उनसे यह कहा कि आपने इस प्रकार के बाईलाज को लागू करने की कैसे इजाजत दे दी, तो उ होंने कहा कि हमको कुछ ऐसा स्मरण आता है कि शायद दो एक म्युनिसिपैलिटी को हमने इस प्रकार के बाइलाज के लिये मान्यता दी है। वह सूचना यहां पर भी मिल सकती है तो उसके लिये समय लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—अब उसके लिये २४ तारीख तक का समय मांगा जा चुका है। उस समय वह आपको सूचना देंगे ही। हां, यह ठीक है कि इस प्रकार की सूचना यदि सेक्रेटरि-येट में मौजूद हो तो उसके लिये माननीय मंत्री जी भविष्य में समय न लिया करें तो अच्छा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे सवेरे ही मालूम हुआ है। पहले से कैसे मालूम हो सकता था कि दफा ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव आयेगा ?

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये विषयों के संबंध में जानकारी (क्रमागत)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो यह दफा ५२ के विषय में व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है, क्योंकि इस में भी लगभग बीस हजार रुपये का सरकार का नुकसान हो गया। मेरा निवेदन यह है कि जब ओले के संबंध में पूरी सूचना दें माननीय मंत्री जी तो बनारस या दूसरी जगह जहां-जहां पर ओले पड़े हैं उस सब की जानकारी दें। इस संबंध में मेरा और दशरथप्रसाद जी का प्रस्ताव था तो उस संबंध में भी सूचना दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—खासकर ओले के प्रश्न को लेकर जब जब माननीय सदस्यों ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का नोटिस दिया तब-तब मैंने माननीय मंत्री जी से कहा और उन्होंने उसकी सूचना दी। बल्कि यहां तक हुआ कि वे खुद कई जिलों में गये और सूचना एकत्रित की। वह सूचना फिर आकर उन्होंने सदन को दी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जब आपने हमसे कहा कि इसके लिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न दो तो हमने ११ तारीख को जबरदस्त ओला देवरिया और गोरखपुर में गिरने के संबंध में अल्पसूचित प्रश्न दिये लेकिन उनका उत्तर आज तक नहीं मिला। कल भी चार घंटे तक वर्षा हो का वहां का समाचार मिला है। वे हमारे प्रश्न मंजूर नहीं हुये हैं। हमारा प्रस्ताव भी दफा ५२ के अन्दर था। इसलिये मैं यह समझता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष—आप यह अजीब तरीका अपना रहे हैं। अब आप कृपया बैठ जायं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम ५२ का मंशा सिर्फ इतना है कि हमारा ध्यान उस तरफ दिलाया जाय। तो हमारा ध्यान उस तरफ है . . .

(श्री उग्रसेन द्वारा व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप तो इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे किसी गांव में बोला करते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---आप किस तरह से बात कर रहे हैं, यह बौंस क्यों दे रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं इस तरह से बोल रहा हूं जैसे असेम्बली में बोला जाता है। मैं यह कह रहा था कि कल शाम भी ओला पड़ा है। यहां भी पड़ा और दूसरी जगह भी पड़ा होगा। सब सदस्य यहां पर इकट्ठा थे। हमने भी उसको अपनी आंखों से देखा है। हमारे मित्र तो १० बजे सो गये होंगे लेकिन हम १२ बजे तक रात में खड़खड़ाते रहे और कलेक्टरों को आगाह करते रहे कि जितनी जल्दी हो सके वह सारी सूचना इकट्ठा करें। तो हमारा ध्यान उस तरफ है। हां, यह जरूर है कि जो नोटिस देंगे उनका नाम अखबार में छप जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं उपनेता सदन से यह कहूंगा कि साधारणतः जब तक कोई इस प्रकार की बात न हो तो इस प्रकार की हलकी बात कह देना उनके लिये शोभा नहीं देता कि अखबार में नाम छप जायगा। मैं समझता हूं वह अपने शब्दों पर पुनर्विचार करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आइन्दा से नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी चूंकि मजाक में ज्यादा विश्वास करते हैं इसलिये ऐसा कह दिया होगा। अगर सचमुच में कहा है तो अवश्य अनुचित है।

श्री उग्रसेन---लखनऊ में बैठे रह कर आपको वहां के बारे में क्या पता होगा . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये। आर्डर, आर्डर।

श्री राजनारायण---जब कोई सदस्य सोशलिस्ट पार्टी का उठता है तो आप उसे आर्डर, आर्डर कहते हैं। यह क्या है ? हर सदस्य के साथ समान व्यवहार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---कारण यह है कि नियमों का पालन करने में जितनी असावधानी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से होती है उतनी और किसी से नहीं होती।

श्री राजनारायण---लेकिन हम सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---व्यवहार भी नियमानुकूल होना चाहिये।

श्री राजनारायण---आप के ही दल के हैं टोकाराम पुजारी जी, आप उनको समझाते हैं . . . .।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये।

अब दूसरा आगे का कार्यक्रम है। एक स्वायत्त शासन का अनुदान है और दूसरा सूचना का। मैं यह जानना चाहता हूं कि . . . .

श्री राजनारायण--मैं सदन का त्याग करना चाहता हूं ५ मिनट के लिये। अभी आचार्य दीपंकर जी ने श्री टीकाराम पुजारी जी के संबंध में प्रस्ताव दिया था और नियम के मुताबिक उनका प्रस्ताव आना चाहिये था। आपकी उस व्यवस्था के विरोध में मैं ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य श्री राजनारायण के साथ सदन का त्याग कर चले गये। सदन में खूबजोर से तालियां बजीं और इस पर सदन त्याग करते समय श्री राजनारायण ने भी खूब जोर से मेज पीटी।)

श्री उपाध्यक्ष--मैंने इस संबंध में इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मेरे सामने कोई फार्मल रेजोल्यूशन नहीं आया और न मैंने उसकी इजाजत दी।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों के लिये समय निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष--अब मेरे सामन दो अनुदान हैं। एक अनुदान संख्या ३७-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान और दूसरे अनुदान संख्या ३२-सूचना संचालन कार्यालय। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि इन के लिये कितना कितना समय रखा जाय। इस समय साढ़े बारह बज गये हैं। मैं समझता हूं कि दोनों को आधा-आधा समय दे दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--यह तो ठीक है कि आधा-आधा समय रखा जाय दोनों के लिये लेकिन पहले अनुदान संख्या ३७ ले लिया जाय और बाद में सूचना का अनुदान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--तो यह ठीक है। अनुदान संख्या ३७ ढाई बजे तक चलेगा और उसके बाद दूसरा अनुदान ले लिया जायगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं। यह जो आपने व्यवस्था दी है कि यह नागरिक निर्माण कार्यों का अनुदान पहले चलेगा और सूचना का बाद में तो यह पहला वाला कितने समय तक चलेगा और कब से दूसरा अनुदान लिया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष--ढाई बजे तक यह और उसके बाद सूचना वाला अनुदान लिया जायगा।

अनुदान संख्या ३७-लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०५,१८,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, जो खास-खास बातें अपने विभाग के संबंध में कहनी थीं वह मैं कल निवेदन कर चुका और मैं समझता हूं कि अच्छा होगा यदि मैं सदन का अधिक समय न लूं। बजट साहित्य में इन मांगों के संबंध में काफी अच्छी तरह से समझा दिया गया है और अगर माननीय सदस्य बहस में कोई नये प्रश्न उठायेंगे तो मैं उनके लिये बाद में निवेदन करूंगा। इसलिये इस समय माननीय सदस्य अपनी अपनी बात कहें। मैं इसके साथ ही यह प्रार्थना करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार कर।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान ३७ के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

लखनऊ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा इम्प्रूवमेंट स्कीमों से प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेद-भाव का बर्ताव करना और सरकार द्वारा भी पक्षपात की नीति का बरतना तथा सरकार द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों का समर्थन करने आदि पर चर्चा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि समस्त शासन में पार्टी बन्दी के आधार पर ऊपर से लेकर नीचे तक जो व्यवस्था इस सरकार के जमाने में चल रही है उससे सारी जनता में, इस प्रदेश में क्षोभ है। मैं विशेषकर स्थानीय निकायों के संबंध में और लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में कहना चाहता हूं। लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में कई बार चर्चा इस सदन में हो चुकी है। कितना भेद-भाव वहां पर किया जाता है, कितना नियमों का उल्लंघन वहां पर होता है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां पर खुले आम हो रहा है, कितना पक्षपात वहां पर होता है, उस सब की चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं। जमीन के एक्वीजीशन में, मकान बनाने के लिये इजाजत देने में जितने प्रकार की शर्तें हैं, उन सब को इस तरह का तोड़ मरोड़ कर जिस व्यक्ति को फायदा पहुंचाना होता है, फायदा पहुंचाया जाता है। ऐग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ कर, किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये यह सरकार स्वयं आगे बढ़ती है। यह ऐसी शिकायतें हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी को स्वयं जानकारी है। मैं कंधारी बाजार के बारे में कहना चाहता हूं। कन्धारी बाजार की वेलफेयर सोसाइटी की जो शिकायतें हैं उन्हें कहना चाहता हूं। कई बार उन्होंने अपना प्रस्ताव पास करके माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार से सम्बंधित, माननीय मंत्री जी से उनका डेपूटेशन भी मिला है उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। यहां पर यह व्यवस्था चल रही है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा उन्हीं लोगों को जमीन दी जाती है तथा मकान बनाने की उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाती है जिनको अधिकारी चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करायें। वे इस संबंध में व्यक्तिगत जानकारी करें या अन्य किसी सूत्र से जानकारी करायें कि क्या यह सब सही है कि जो घूस में रकमें देते हैं उन्हीं को मकान बनाने की इजाजत दी जाती है। दो व्यक्ति मेरी जानकारी में हैं ऐसे जिनको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने नाजायज पैसा लेकर जमीन दी और वह जमीन पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा एक्वायर की गयी और फिर उस जमीन को उन लोगों को दिया गया। वह जमीन एक्वीजीशन की गई जमीन में शामिल थी। लेकिन बाद को उस जमीन को इसके एक्वय्र्ड क्षेत्रफल से अलग कर दिया ताकि उनको जमीन का मुआवजा न देना पड़े। इस तरह की तमाम शिकायतें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब की जांच हो। इससे जनता में बड़ा ही असंतोष फैला हुआ है।

इसके अलावा यह भी सही है कि वहां पर न कोई नक्शा किसी चीज का है और न कोई स्कीम ही है कि कहां तक किसी चीज का विस्तार होगा। विधान भवन का कहां तक विस्तार होगा इसका भी कोई नक्शा नहीं है और न कोई योजना ही तैयार है।

इसके अलावा मैं स्थानीय निकायों को जो सड़कें और पुल आदि बनाने के लिये अनुदान दिया जाता है उस संबंध में कहना चाहता हूं। जो अनुदान दिया जाता है वह बहुत ही कम है। यह बात अपनी जगह पर निर्विवाद तथा सत्य है कि जो रुपया स्थानीय निकायों को सड़कें बनाने के लिये, पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा उनके रख-रखाव के लिये, तथा अच्छी सड़कों को पक्की बनाने के लिये दिया जाता है वह बहुत कम है। उसके कारण आज आप देखते हैं कि जो सड़कें हैं, चाहे वह स्थानीय निकायों में, जिला परिषदों की हों या नगर निगम

की हों, या नगर पालिका की हों उनकी हालत क्या है ? उन पर कोई सवारी चल नहीं सकती। वे इतनी गन्दी हैं कि उन पर चलना मुश्किल है उसमें तमाम गड्ढे हो गये हैं।

अब स्थानीय निकायों को जो अनुदान दिया जाता है उसका किस तरह उपयोग होता है उस पर भी निगाह डाली जाय। अगर आप उस पर भी नजर डालें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा पार्टी केआधार पर वहीं पर कार्य होता है जहां जिसकी पहुंच होती है। एक जगह तो सड़कों का विस्तार हो रहा है, उसका जाल सा बिछा हुआ है, और दूसरी जगह के लोग उससे वंचित रह जाते हैं। नगरपालिकाओं में भी यही है, जिसका बहुमत है वह जो जिस निश्चित क्षेत्र में चाहता है विकास कर लेता है, सड़कें बना लेता है, मरम्मत भी करा लेता है और बाकी भाग वैसे ही पड़े रह जाते हैं।

जहांतक प्राइमरी स्कूलों का संबंध है, जो कि अंतरिम जिला परिषद की देख-रेख में खुले हुए हैं, उनके भवनों की दशा बड़ी चिन्तनीय है। उनका एक सर्वेक्षण करा लिया जाय ताकि सारे सूबे के ऐसे स्कूलों की स्थिति का पता चल जाय। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन २५ फीसदी उनमें ऐसे हैं जो धराशायी हो चुके हैं। वहां बरसात के मौसम में बच्चों के पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं है, पेड़के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि उनके पढ़ने का प्रबन्ध है, लेकिन साया भी जब नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे ?

सड़कों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि सारी सड़कों को स्थानीय निकायों के हाथ से निकाल दीजिये और यह दोहरा इन्तजाम समाप्त कीजिये। जो इकानामी कमेटी हमारी बैठी थी उसने यह सिफारिश की है कि लोकल-सेल्फ डिपार्टमेंट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका अमलगमेशन पी०डब्ल्यू० डी० से कर देना चाहिये। यह सिफारिश अवश्य गवर्नमेंट को मान लेनी चाहिये। इसी के साथ साथ स्थानीय निकायों की देख-रेख में जो सड़कों पर पुल या नालों पर पुल हैं उनकी दशा भी बहुत शोचनीय है और जहां नये पुल बनाने की आवश्यकता है वहां ये स्थानीय निकायें बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपकी सहायता अपर्याप्त होती है, इसलिये उनका काम भी पी०डब्ल्यू० डी० को दे दिया जाय।

स्थानीय निकायों के डाक बंगलों को भी देखिये। उनकी इमारतों की हालत भी बहुत खराब है। साथ ही अंतरिम जिला परिषद् और स्थानीय निकायों के जो अस्पताल हैं उनकी इमारतों की दशा भी चिन्तनीय है। पर्याप्त सहायता उनको नहीं मिलती है और उनके पास इतने साधन नहीं हैं। जो सड़कों आदि के लिये अनुदान दिया जाता है उससे वे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, सड़कों की देख-रेख भी नहीं हो पाती और न नव-निर्माण किया जा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सड़कों का इन्तजाम पी०डब्ल्यू० डी० को देने के बाद जो रुपया आप का बच जाता है उसको इमारतों के निर्माण के लिये, डाक बंगलों की मरम्मत और अस्पतालों की मरम्मत के लिये इस्तेमाल किया जाय।

अब मान्यवर, मुहकमे में जो काम करने वाले कर्मचारी, सड़कों पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वह बहुत कम हैं। राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति उनकी अपनी समस्यायें हैं जिनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री श्यामलाल (जिला मथुरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो अनुदान प्रस्तुत है उसका समर्थन करना चाहता हूं। वास्तव में पिछले कुछ सालों में नागरिक निर्माण के सिलसिले में शहरों में या देहातों में जो काम हुए हैं, शहरों में खास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल]

तौर से, गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिये जो रुपया खर्च हुआ और नये मकानात बनाने के लिये बहुत सी जगहें एक्वायर की गईं और लोगों को लीज पर दी गईं, इससे जनता को निवास करने में और गन्दगी दूर करने में बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। यह सही है कि इस काम को करने में बहुत से लोग उजड़े, उन्हें दिक्कत हुई और उनको उनकी सुविधानुसार अच्छी जगह पर नहीं बसाया जा सका लेकिन उसके बाद जो नयी जगहें बनाई गईं, नये मकानात बने उससे बहुत से लोगों की कठिनाइयां दूर हुईं।

इस संबंध में बहुत सी नगरपालिकाओं को अनुदान दिये गये हैं और उनमें काम भी हुए लेकिन कई नगरपालिकायें हमारे यहां ऐसी हैं जहां पर उचित तरीके से पये की व्यवस्था नहीं की जाती है? इस संबंध में मैं विशेषतौर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान बनारस की रामनगर नगरपालिका की ओर ले जाना चाहता हूं। उस नगरपालिका में एक दल विशेष का बहुमत है जोकि सोशलिस्ट पार्टी कही जाती है जोकि इस प्रदेश में प्रजातंत्र का बहुत ही ढोंग पीटती है। अगर किसी भी माननीय सदस्य को सोशलिस्ट पार्टी के काले कारनामे इस प्रदेश में देखने हों तो वह रामनगर नगरपालिका की ओर पधारें। अब तक जितने भी अनुदान रामनगर नगरपालिका को दिये गये उनका एक पैसा भी जनता के हित में नहीं खर्च किया गया बल्कि सारा का सारा पैसा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन या उनको पार्टी के लिये खर्च किया गया। पिछले साल जब माननीय यादव जी, उपमंत्री बनारस गये थे तो हमने उनको एक दरख्वास्त दी थी लेकिन हमारे मंत्री महोदय की पालिसी यह है जैसा कि उन्होंने कल इस सदन में प्रदर्शित किया कि हर नगरपालिका को मौका देना चाहिये कि वह काम करे चाहे सही या गलत और जबतक कि ऐसी स्थिति न आ जाय कि उसका चलना असंभव हो जाय तबतक वह उसको नहीं छुवेंगे। उसी नीति के आधार पर आज वह नगरपालिका वहां पर सारा रुपया जो अनुदानों का जाता है या जनता से जो टैक्स वसूल होता है, उसको खत्म कर रही है और जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारे मंत्री जी ने कहा था कि हमको ऐक्शन लेने में साल भर लग जाता है लेकिन मैं देखता हूं कि तीन वर्ष से वह उस नगरपालिका को छोड़े हुये हैं। वहां पर सड़क के लिये रुपया दिया गया लेकिन न तो सड़क पर मिट्टी डाली गई, न गिट्टी डाली गई और न तारकोल ही डाला गया। मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से कहा कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ है इसलिये रुपये का भुगतान न किया जाय और वह स्वयं उसका निरीक्षण करें लेकिन उन्होंने न तो सड़क ही देखी न और कुछ किया लेकिन पूरा भुगतान कर दिया। वहां पर सड़कें वैसी की वैसी ही हैं। इसी प्रकार से वहां पर पया दिया गया कि ड्रेन बनाई जायं लेकिन वह भी नहीं किया गया। वहां पर कभी एक क्षेत्र में और कभी दूसरे क्षेत्र में खोदा जा रहा है और पया जाया किया जा रहा है।

बनारस राज्य में महाराजा के समय में पानी की व्यवस्था थी। जब विलीनीकरण हुआ तो केंद्रीय सरकार ने कहा कि राज्य में जो सुविधायें उपलब्ध हैं वह विलीनीकरण के उपरान्त भी प्राप्त रहेंगी। वहां पर ट्यूबवेल के लिये म्युनिसिपैलिटी को कर्ज दिया गया। लोगों ने अपने पये से ट्यूबवेल बनवाये। वह रुपया नगरपालिका अदा नहीं कर रही है। उस नगरपालिका पर जो सरकार का कर्ज है उस मद में अभी एक रुपया भी वसूल नहीं हुआ है। उसके फंड में आप जिला अधिकारियों से पूछ सकते हैं, आज इतना भी पैसा नहीं है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे सकें। आप के अनुदानों को लेकर वह किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। वहां पर शिक्षा के लिये, सड़कों के लिये या सफाई के लिये जो रुपया जाता है वह सारा रुपया व्यर्थ जा रहा है। आपने वहां की जनता को आश्वासन दिया था कि वहां पर महाराजा के समय में जिस प्रकार से पानी की व्यवस्था थी वह मिलेगी लेकिन वहां की नगरपालिका सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में न तो कर्जा ही अदा कर रही है और न उस कर्जे की माफी की ही कोई व्यवस्था कर रही है और न उसकी वसूली के लिये

उसने आजतक कोई कदम उठाया है। वहां पर जनता की यह मांग है कि जिस तरह से महाराजा के समय में हमें मुफ्त पानी की सुविधा प्राप्त थी वह सुविधा आज भी दी जाय। मैं मंत्री जी से नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि वह बनारस राज्य के विलीनीकरण की शर्तों को देखें और जनता को जो सुविधायें पहले प्राप्त थीं वह दें। वह चाहें तो बनारस महाराजा से बात भी करें कि विलीनीकरण के पहले वहां पर क्या सुविधायें प्राप्त थीं और उन सुविधाओं को देने की कृपा करें।

मान्यवर, इसके पश्चात् मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जो पया दिया गया उसका सदुपयोग नहीं हुआ। नगरपालिका में जो पुरानी पाइपलाइन थी वह सब सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के हाथ में चली गई और जो रुपया आपका गया उससे नयी पाइप लाइन ली गई। आपने बिजली के लिये अनुदान दिया। मुझे खेद है कि सोशलिस्ट पार्टी जो दूसरों पर इतने गलत आरोप लगाया करती है, उसके नेता श्री राजनारायण जी अपनी पार्टी के कारनामों को बनारस में नहीं देखते कि वहां पर कैसे काले कारनामे हो रहे हैं, किस तरह से जनता त्रस्त हो रही है। वहां पर राजनारायण जी की धाक जमी हुई है जिले के अधिकारियों पर और मैं समझता हूं कि शायद मंत्री जी पर भी धाक जमी हो।.....

श्री उपाध्यक्ष--आपका मतलब स्वायत्त शासन के अधिकारियों से है?

श्री श्यामलाल--जी हां। वहां पर कलेक्टर और कमिश्नर वगैरह सभी राजनारायण जी से दबे हुये हैं। वहां पर आज तक जनता के साथ सब गलत काम किये गये और जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि वह उस ओर तुरन्त ध्यान दें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य इस समय हाउस में नहीं हैं, उनका किसी नगरपालिका से संबंध नहीं है, केवल यहीं के सदस्य हैं तो क्या उनके बारे में उनकी अनुपस्थिति में किसी माननीय सदस्य को आक्षेप करना चाहिये?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वह सदन की सेवा करें, लेकिन कोई माननीय सदस्य अपनी इच्छा से बाहर चले जाते हैं और वह किसी बात का जवाब देने से वंचित रह जाते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं।

श्री श्यामलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जो रुपया दिया गया नगरपालिका को कि रोशनी की जाय, उस रुपये के बारे में यह तय हुआ था कि हरिजनों की बस्ती में रोशनी की जायगी लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन अपने घर तक रोशनी ले गये, हजारों रुपया इस पर खर्च हुआ लेकिन हरिजनों की बस्ती तक बिजली नहीं पहुंच पायी। हमने जिला अधिकारियों के द्वारा मंत्री जी से अनुरोध किया कि इस बारे में उचित कार्यवाही की जाय। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन वहां रहें लेकिन जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको देखें कि किस तरह से वहां जनता की सेवा होनी चाहिये।

वहां पर चुंगी का बहुत सा रुपया बकाया है। वहां पर चुंगी कमीशन के बेसिस पर उगाही जाती है। वह रुपया एकत्रित करते हैं। चुंगी अदा नहीं होती है, इसलिये जो ग्रान्ट आप शिक्षा को देते हैं वह खर्च हो जाती है। जब अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है तो कहते हैं कि यह हमें अधिकार है, यह टेक्निकल बातें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया गया है वह नगण्य है। प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं चल रही है। लड़कियों का एक जूनियर हाईस्कूल था वह भी नहीं चला पा रहे हैं। इसलिये शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया। माननीय

[श्री श्यामलाल]

शिक्षा मंत्री जी ने कृपा करके शिक्षा विभाग की तरफ से लड़कियों का एक स्कूल खोल दिया है। जितने कर्मचारी नगरपालिका में हैं उतने ही मोअत्तल हैं। आपके जो आदेश जाते हैं उनका पालन नहीं होता है। विश्वनाथ प्रसाद हैड क्लर्क को मोअत्तल हुए दो वर्ष हो गये, इस सोशलिस्ट पार्टी के राज्य में।

श्री उपाध्यक्ष--आप बार-बार उसी बात को दुहरा रहे हैं। अगर आपके पास और कुछ बोलने के लिये नहीं है तो खत्म कीजिये।

श्री श्यामलाल--मैं यह निवेदन कर रहा था कि न तो उसको रिइंस्टेट किया गया है और न उसको तनख्वाह ही दी गयी है। मेरा अनुरोध है कि मुगलसराय नगरपालिका का शहर बढ़ रहा है, उसकी अभी से व्यवस्था होनी चाहिये ताकि भविष्य में कोई समस्या न खड़ी हो सके।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया है। श्रीमन्, जब मैंने इस अनुदान को देखा और पढ़ा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें प्राइमरी स्कूल के भवनों को बनाने के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। श्रीमन्, प्राइमरी स्कूलों की इमारतों को अगर देखा जाय तो उनकी दशा बड़ी शोचनीय है। माननीय मंत्री जी को भी पता है कि वहां बच्चों को पढ़ाने के लिये जगह नहीं है। वे लोग पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरे क्षेत्र सादुल्लानगर, जिला गोंडा, में बस्ती खास का स्कूल का भवन बिलकुल गिरा हुआ है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों के बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा अनुदान देकर उन गिरी हुई इमारतों को शीघ्र से शीघ्र बनवा दिया जाय।

बहुत से स्कूलों में बच्चों के पानी पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। गोंडा अन्तरिम जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया था कि कुएं का निर्माण किया जाय या नल की व्यवस्था की जाय लेकिन कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है और वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मैं अपने जिले की ही नहीं सारे प्रदेश के बारे में कहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय कि कहां कहां बच्चों के पानी पीने का प्रबंध नहीं है। जहां नहीं है वहां पानी की व्यवस्था की जाय और जहां के भवन गिर गये हैं वहां शीघ्रातिशीघ्र भवनों को बनवाया जाय। उसके लिये प्रदेश से अथवा केन्द्र से विशेष अनुदान प्राप्त कर यह काम किया जाय। इस तरीके से तमाम स्कूल खोले जा रहे हैं परन्तु वहां बच्चों के पढ़ने की कोई इमारत नहीं है, इस तरह तमाम चीजों पर रुपये का अपव्यय होता है पर स्कूल भवनों की उपेक्षा की जाती है।

अन्तरिम जिला परिषद् की सड़कों की दुर्दशा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज १०, १२ साल से हमारे क्षेत्र के अन्दर सादुल्लानगर, बूढ़ापार परगने में सड़कों पर मिट्टी भी नहीं पड़ी है। कई पर तो एक फीट भी मिट्टी नहीं पड़ी है और यदि कहीं पड़ी भी है तो एकाध फर्लांग पर। गौराचौकी से खोड़ारा और गौराचौकी से बुकनापुर सड़क पर मिट्टी के कट जाने से और अरसा से मिट्टी न डालने से बरसात में घुटनों तक पानी सड़क में भर जाता है, यहां तक कि जाड़े में भी उस पर पानी भरा रहता है जिससे आम जनता का यातायात बिलकुल बन्द हो जाता है। वहां पर यातायात के सुधार की कोई व्यवस्था न तो जिले से ही हुई और न प्रान्तीय सरकार ने की। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन सड़कों को बनाने का शीघ्र से शीघ्र आदेश दिया जाय। कोई लम्बा फासला भी नहीं है, एक जगह ५,६ फर्लांग है तथा दूसरी जगह ६, ७ फर्लांग है, वहां पर अगर मिट्टी पड़ जाय तो ग्रामीण जनता को जिसे गन्ना लेकर मिल में जाना पड़ता है सुविधा हो जायगी और उनके जो हजारों रुपये के बैल उसमें फंस फंस कर मर जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी की बैलगाड़ी उलट जाती है, उससे उनकी जो हानि होती है बच सकती है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस तरफ कोई विशेष व्यवस्था करने की वह कृपा करें।

श्रीमन्, जो शहरों के अन्दर गन्दी बस्तियां हैं, जो स्लम्स हैं, उनको साफ करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है परन्तु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कोई ऐसी स्कीम नहीं चलायी जा सकी है कि देहातों में जो हरिजन बस्तियां हैं या हरिजन लोग जो अपना भवन निर्माण करना चाहते हैं उनको किसी किस्म की सहायता दी जाय। मैं यह चाहूंगा कि सरकार को इसके लिये विशेष प्रबन्ध करना चाहिये और जो विकास सम्बन्धी कार्य हैं उनके लिये प्लानिंग डिपार्टमेंट या और अन्य डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे परामर्श करके वह देहातों में ज्यादा धुन देने के लिये व्यवस्था करें ताकि जो वहां की गरीब जनता है, जो हरिजन व पिछड़ी जाति के लोग हैं वे भवन आदि बना सकें इसकी सुविधा के लिये उनको अनुदान मिले।

श्रीमन्, एक बात मैं और आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां अमघटी और सिंगारघाट नाम के दो पुल बिसुई नदी पर हैं जिनकी बड़ी खराब हालत है। उनके बनाने का अब तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। अन्तरिम जिला परिषद् गोंडा ने दो साल पहले इस सम्बन्ध में एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। परन्तु आज तक उसकी कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं आयी। न उसने कुछ किया न सरकार ने ही कुछ किया। इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं माननीय मुख्य मंत्री के पास प्रार्थनापत्र भेजा परन्तु उसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। रेलवे स्टेशन जाने का एकमात्र साधन सिंगारघाट होकर जाने का ही है उस क्षेत्र के लोगों के लिये, लेकिन वह पुल अभी तक नहीं बना है। मैंने उस सड़क के बारे में प्रश्न भी किये थे, छोटे छोटे पुल बना दिये गये हैं और नदी के किनारे की सड़क भी पाट दी गई है लेकिन वह मेन ब्रिज नहीं बना है। जिला बोर्ड का काफी पैसा इस सड़क और छोटी-छोटी पुलियों के विषय में खर्च हो चुका है लेकिन बड़े पुल के न बनने से सब काम बेकार हो रहा है इसलिये उसके बनाने के लिये शीघ्रातिशीघ्र आदेश दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस ओर वह विशेष ध्यान दें। उस क्षेत्र के लोगों के लिये केवल एक ही रास्ता है और वहां की जनता जो पैसा टैक्स के रूप में दे रही है उसके एवज में आज तक वह नहीं जानती कि उसे क्या मिला है।

एक बात मुझे सादुल्लानगर के अस्पताल के विषय में भी कहनी है। वहां पर रोगियों के रहने के लिये स्थान की और इमारत की बहुत कमी है। वहां के लिये एक आपरेशन-हाल शल्य चिकित्सा के लिये बनाने की प्रार्थना की गई थी और शायद वहां की अन्तरिम परिषद् से भी सरकार के पास प्रस्ताव आया है, ९६ स्क्वायर मील में वह एक अस्पताल है जिस में कोई चिकित्सा सामग्री का प्रबन्ध नहीं है, रोगियों को बहुत दूर जाना पड़ता है और वहां कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, प्लानिंग के अस्पतालों की तो कोई रूपरेखा नहीं है और उनके पास कोई साजसज्जा नहीं है। इसलिये प्रार्थना है कि इस पुराने अस्पताल के लिये शल्य रूम और साज-सज्जा का प्रबन्ध किया जाय ताकि आकस्मिक दुर्घटना वाले मरीजों के लिये चिकित्सा का प्रबन्ध हो सके।

प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के वेतन के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं, उनका वेतन बहुत कम है और इसी कारण से वे लोग रुचि के साथ अपना कार्य सम्पादन नहीं करते, न वह समय से स्कूल आते हैं, न पूरा समय देते हैं। मैं चाहता हूं कि उनका वेतन बढ़ाया जाय जिससे वह समय से आ सकें और पूरा समय दे सकें और जो बच्चे भावी राष्ट्र के निर्माता होंगे उनके द्वारा बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके।

आज प्रायः यह देखने में आता है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो अनुमान तैयार किया जाता है उस में और पी० डब्ल्यू० डी० इंजीनियर्स द्वारा लगाये गये अनुमान में अन्तर होता है और वह बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि इन इंजीनियरिंग विभाग के रेट्स में समानता आनी चाहिये और शिड्यूल्ड रेट्स यकसां होने चाहियें, दोनों विभागों के रेट्स और अनुमान एक से होने चाहिये, उनमें अन्तर होना उचित नहीं है। अन्त में मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

जिन प्राइमरी स्कूल के भवनों, पुलों तथा सड़कों का मैंने जिक्र किया है उनके लिये रुपया देने तथा उन्हें तुरन्त बनवाने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, कदाचित यह मेरा पहला असवर है सदन में बोलने का. . . .

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार बोलने वालों को भी बहुत बड़ी शिकायत रहती है, आप का तो यह पहला ही अवसर है।

श्री कैलाशनारायण गुप्त—मैं अपना विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं मंत्री जी के प्रस्ताव क समर्थन में तथा कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने कल जो अपना प्रस्ताव रखा था उस में उन्होंने भूमिका के तौर पर बहुत ऊंची बातें कही थीं और बहुत सी बातें भावुकता में कही थीं। यद्यपि सभी सदस्यों के लिये उन ऊंचाइयों तथा भावनाओं तक पहुंचना कठिन मालूम होता है लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से और सदन के अधिकांश सदस्यों की ओर से उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना सीमित हमारा कार्य-क्षेत्र है और जितने सीमित हमारे साधन हैं उनके अन्दर मंत्री जी की भावना के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे उनको दुख या क्षोभ हो।

इस सिलसिले में उस भूमिका के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर इस स्वायत्त शासन विभाग का नाम बदल कर स्वायत्त सेवा विभाग कर दिया जाय तो कदाचित ठीक होगा क्योंकि शासन और सेवा में बहुत अन्तर है और सेवा की भावना से कार्य अच्छा हो सकता है लेकिन शासन के नाम से थोड़ी सी हुकूमत की बू आ जाती है, उससे हम अपनी बात को मनवाने का अधिकार सा समझते हैं लेकिन अगर सेवा की भावना रहेगी तो विभाग के कार्य में भी अन्तर हो जायगा। इस तरह से विभाग जनता के दृष्टिकोण को समझने में भी अधिक समर्थ हो सकता है।

हमें दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करनी चाहिये। मुमकिन है कि हम गलत हों और दूसरे सही हों। तो यह समझना कि दूसरे का दृष्टिकोण सदैव ही गलत है, यह कोई उचित बात नहीं जान पड़ती है। मैंने समय-समय पर जो कमेटीज हैं उनमें और जब जब मंत्री जी इलाहाबाद गये वहां उनसे मिला हूं और इलाहाबाद नगर महापालिका की कुछ ऐसी समस्यायें उनके सामने रखीं हैं। इलाहाबाद नगर महापालिका के अन्तर्गत और खासकर मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर करीब-करीब ४०,५० गांव ऐसे हैं जिनमें म्युनिसिपैलिटी की ओर से नहीं के बराबर काम हुआ है। कोई-कोई स्थान ऐसा है कि जहां पीने के पक्के कुएं या कच्चे कुएं तक नहीं हैं, रोशनी के लिये किरोसिन तेल की बत्तियों तक का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इन क्षेत्रों का विकास महापालिका की सामर्थ्य और साधनों के बाहर हैं और नियोजन विभाग द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन गांवों के विकास का प्रबन्ध किया जाय। मैंने जब नियोजन विभाग से कहा कि कुछ मदद की जाय तो उन्होंने कहा कि यह सब शहरी क्षेत्र हैं इसलिये हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ न कुछ तो सरकार को करना ही चाहिये, और खासकर जो बुनयादी आवश्यकताओं की चीजें हैं, जैसे पीने का साफ पानी, रोशनी आदि का प्रबन्ध, पक्के रास्ते, शौचालय आदि के लिये रुपया जिस मद से भी लिया जा सके ले कर उनको पूरा किया जाय। मैं मानता हूं कि जितना इसका विस्तार है उसमें महापालिका के साधनों के अन्दर यह असम्भव है कि वह इन कामों को करा सके, इन क्षेत्रों का विकास करा सके। मगर इन बुनियादी चीजों की इन क्षेत्रों में निहायत आवश्यकता है।

अब मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जो स्लम क्लीयरेंस की स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि स्लम क्लियरेंस होना चाहिये लेकिन उसके आंकड़े पहले से तैयार करा लेने चाहियें कि कितने मकान गिराये जायेंगे, कितने लोग बेघरबार होंगे

और पहले से उनके बसाने का प्रबन्ध करके, उनको नो प्रोफिट नो लास के अनुसार जमीन दे करके तब स्लम क्लियरेंस का काम शुरू होना चाहिये। इस प्रकार की कई-स्कीमें इलाहाबाद महापालिका के अन्दर चली हैं मगर मुझे भय है कि उनका स्वागत होने के बजाय बड़ा विरोध हो रहा है, केवल इसलिये कि उन लोगों का भविष्य अनिश्चित है। वे लोग कहां रहेंगे, इसका कुछ पता नहीं। अगर सरकार की ओर से उनको कोई आश्वासन मिल जाय कि तुमको मुनसिब कीमत पर, नो लास नो प्रोफिट बेसिस (no loss no profit basis) पर मकानों के लिये जमीन मिल जायगी तो जनता एक स्वर से स्लम क्लियरेंस का स्वागत करेगी और इसका कोई विरोध नहीं रह जायगा।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से और भी मुझको बहुत सी शिकायतें हैं। मेरे ही क्षेत्र में कम से कम दस हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि बिल्कुल अनिश्चित अवस्था में पड़ी हुई हैं। पिछले १५ वर्ष का समय इस देश के लिये एक असाधारण समय रहा है। सन् ३९ में लड़ाई छिड़ी जो सन् ४५ तक चली। इस बीच में तरह तरह के कानून पुरानी सरकार और इस वर्तमान सरकार ने भी लागू किये जिनमें एक रेन्ट कंट्रोल भी है जिसका मतलब यह है कि अपनी स्वेच्छा से कोई अगर चाहे कि कोई घर किराये पर ले तो उसको नहीं मिल सकता, उसको रेंट कंट्रोलर के यहां जाना पड़ेगा और जैसा कि सभी को मालूम है, उसमें कितनी दिक्कतें हैं। इस दौरान में न मालूम कितनी मशरूम बस्तियां प्रयाग नगरमहापालिका के अन्दर उभड़ीं। लोगों को सस्ते दामों पर जमीन मिल गयीं और उन्होंने बिला इस बात का लिहाज किये कि म्युनिसिपैलिटी उनका नक्शा मन्जूर करती है या नहीं और वह स्कीम मन्जूर है या नहीं मकानात बना लिये और पचीसों लाख रुपये की लागत के मकानात बन गये हैं परन्तु वे स्कीमें मन्जूर नहीं हैं। नतीजा यह है कि म्युनिसिपैलिटी यद्यपि गृह कर इत्यादि वहां से वसूल करती है पर वहां पर कोई कार्य नहीं कर रही है, न वहां मेहतर झाड़ू लगाता है, न वहां कोई सड़कों पर रोशनी का इन्तजाम है, न सड़कें और गलियां पक्की की जा रही हैं। मंत्रीजी को याद होगा कि पिछली दफा जब वह इलाहाबाद गये थे और गांधी आश्रम में ठहरे थे तो मैंने उनसे कहा था कि यह मैं मानता हूं कि कानून के विरुद्ध ये बस्तियां खड़ी हो गयी हैं परन्तु जब राष्ट्र की इतनी लागत उनमें लग चुकी है तो अब उनको बिलकुल नजरअन्दाज तो नहीं किया जा सकता। कानून को आप कुछ शिथिल कीजिये और ये जो ८–१० बस्तियां अनिश्चित अवस्था में पड़ी हैं उनका भी कुछ ऐसा प्रबन्ध कीजिये कि म्युनिसिपैलिटी की सारी सुख और सुविधा मिल सके।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले भी इशारा किया है कि महापालिका के साधन सीमित हैं, उसकी आमदनी भी सीमित है, तो आपकी तरफ से कुछ उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये, मसलन जो मनोरंजन कर है या मोटर वैहिकिल्स टैक्स है, मेरा आपसे यह सुझाव है कि उसका कुछ ज्यादा हिस्सा उनको देने की आप कृपा करें। अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो इस तरह की मांग महापालिका की तरफ से आपके पास आयी होगी और मैं यह समझता हूं कि आपको इन करों में से कुछ हिस्सा उनको देना चाहिये और उनकी यह मांग जायज है। मैं समझता हूं कि इस पर भी आप ध्यान देने की कृपा करेंगे।

मैं एक बात मंत्री जी से आपके द्वारा और कहना चाहूंगा और वह यह कि पिछले ५–६ वर्षों से वहां की म्युनिसिपैलिटी सस्पेंडेड थी और एडमिनिस्ट्रेटर के जरिये कार्य होता था। एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कार्य होने में बहुत सी गड़बड़ियां हुईं। मैं एक दृष्टांत दे कर इस बात को ज्यादा न बढ़ाऊंगा। इलाहाबाद में कटरा एक मुहल्ला है और दुर्भाग्य से वह मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है। वहां की सड़क और पटरियां दो दफा खुदीं। ईंट गिराई गयी, फिर उठायी गयी। फिर गिट्टी गिराई गयी और उठायी गयी। मेरा खयाल है कि अगर मंत्रीजी इसकी जांच करेंगे तो बीसियों हजार रुपया उस उठाने और गिराने में नष्ट हुआ और साथ ही जनता को इतना कष्ट हुआ कि त्राहि त्राहि मच गयी। तो मेरा उनसे यह भी निवेदन होगा कि वह इसकी भी जांच करें कि इस कटरा वाले मामले में म्युनिसीपैलिटी को कितनी हानि उठानी पड़ी? अंत में मैं यह भी कहूंगा कि जब तक प्रशासक का कार्य रहा वहां पर, जितने भी आदेश जाते

[श्री कैलाश नारायण गुप्त]

रह, उनको ताक पर रखकर काम होता रहा। वहां पर निम्न वर्ग के कर्मचारी सस्पेंड हुये और जितने समय में इंक्वायरी करके या तो उनको बरखास्त किया जाता या बहाल किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बल्कि एक एक केस डेढ़-डेढ़ दो-दो साल तक चला और निम्न वर्ग के कर्मचारियों की बड़ी दुर्गति हुई। मुझे आशा है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसका ध्यान रखेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---श्रीमान्जी, अभी जो हमारी विरोधी पार्टी की ओर से कटौती-प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करते हुये कहूंगा कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं सरकार की ओर से वे अमीरों के परिपालन के लिये और शहरों के लिये हैं, देहात के लिये कुछ नहीं है। देहातों में कुछ भी नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो ऐसी जगह जहां कोई लीडर, किसी मिनिस्टर का खानदानी कोई सरकारी अफसर रह रहा होगा, उसके दबाव से हुआ होगा। कहीं एक आध दरख्त उगा दिया गया होगा। इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं। लाखों रुपये लगाये जाते हैं और मुश्किल से हजार पांच सौ का काम होता है। सरकार की तरफ से एक तरफा काम हो रहा है। इसलिये मैं कहूंगा कि जो रुपया दिया जा रहा है उससे माननीय सदस्यों को चाहिये अगर वह देहातों की वोट से यहां आये हैं, तो इस काम को देहातों में होने दें। इसका शहरों से सम्बन्ध न रखा जाय तो ठीक है।

शहर तो, श्रीमन्, जनता का शोषण करने के लिये हैं। उनसे गरीब जनता को कोई लाभ नहीं होता है। शहर भोग भूमि और गांव कर्म भूमि है, इसलिये गांव वालों के परिश्रम से शहर वाले आनन्द करते हैं। आज शहर में जायें तो वहां दुकानदार रास्ता देखते हैं कि जो श्रीमान जी के पास हो वह सब यहां रख जायें। इस तरह की उनकी मनोभावना है। इनके ही परिपालन या सुधार करने की बात की जाती है। यही सरकार की रीति हो गई है। यह बड़ा निन्दनीय होगा अगर हम इस अनुदान को स्वीकार करेंगे।

श्रीमन्, हमारा जिला तो कुदरती पिछड़ा हुआ है और यहां पर कोई सुधार नहीं हुआ है। अंग्रेजी राज्य में ३० सड़कें बनाई गई थीं और हमारे यहां ३० ही छोटी बड़ी नदियां हैं। इसलिये उनके अनुसार सड़कें बनाई गई थीं जिससे आने जाने में बाधा न हो और पुल भी बनवाये थे। एक बढ़ई डीहा का पुल बनाया गया था जिसको हमारी सरकार ने तुड़वा दिया। हमारे परगने श्रीनगर का रास्ता ऐसा है जिसके द्वारा लाखों मन गन्ना, जूट और मक्का जाती है। एक गांव ऐसा है जिसकी आबादी ५, ६ हजार है। इस प्रकार का कोई काम सरकार की ओर से नहीं होता है। एक हजार से ऊपर हमने दरख्वास्तें दी होंगी लेकिन इंसपेक्टर और सेक्रेटरी को रिश्वत नहीं दी इसलिये एक भी नल नहीं लगाया गया। आज सरकार कहती है कि निर्माण करो, निर्माण करो और हम भी तैयार हैं, लेकिन क्या करें? किसी भी गांव सभा पर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप तो विश्वास करेंगे ठेकेदार पर। हमारे यहां स्कूल बनाया गया जो हमारी दृष्टि से १२००, १३०० रुपये में बन गया होगा। लेकिन सरकार का ५, ६ हजार रुपया लगा होगा। अगर हम स्कूल बनाना चाहें तो सरकार हमें पैसा नहीं देती क्योंकि हम ठेकेदार नहीं हैं। अगर हम ठेका लें तो पैसा मिलेगा। गन्ना सोसाइटियों की ओर से गलियारे बनाये जा रहे हैं हमारे फरदहन के सब डाइरेक्टरों ने पास किया कि प्रत्येक डाइरेक्टर के क्षेत्र में सड़क बनायी जाय और उस सड़क में ठेकेदारों से काम न लिया जाय। मगर वहां के आनरेरी सेक्रेटरी और जो भी अधिकारी हैं वह स्वीकार नहीं करते। वह तो जब ओवरसियर महोदय पास कर देंगे, जो विधाता हैं, तब करेंगे। जब से ओवरसियर बढ़ाये गये हैं तब से काम नहीं होता है। यह काम तभी पास करते हैं जबकि उनको रिश्वत मिल जाती है। बिना रिश्वत वाला कोई ओवरसियर है ही नहीं, चाहे मंत्री जी मानें या न मानें। अगर मंत्री जी का कोई रिश्तेदार ओवरसियर हो तो पूछ लें कि बेटा बताओ, तुमको कितने रुपये रिश्तव में मिले हैं, घर का आदमी होने से वह बता देगा।

मेरे जिले में तीन म्युनिसिपैलिटियां हैं——लखीमपुर, गोला और मुहम्दी। मुहम्दी म्युनिसिपैलिटी ने इस्लामाबाद गांव की जमीन अपने एरिया में शामिल कर ली है। गांव वाले कहते हैं कि यह हमारा एरिया है, हम को दे दिया जाय, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उनकी जमीन पर वाटर वर्क्स और बिजलीघर बनाया गया है। न उनको मुआवजा दिया जाता है और न उनकी जमीन वापस की जाती है। नगरपालिका को, उस समय एक डी० सी० इस प्रकार का साम्प्रदायिक था, इस ढंग से बना दिया है कि जब चुनाव होगा तो उसी के बिरादरी के लोग कामयाब हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष——अधिकारियों के खिलाफ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें।

श्री बंशीधर शुक्ल——गोला में मिल का गंदा पानी तीर्थ में भर दिया जाता है, जहां पर लाखों ही नहीं करोड़ों आदमी पर्वों पर स्नान करते हैं। बार-बार सरकार से कहा गया, सरकार ने यह आश्वासन दिया कि म्युनिसिपैलिटी और मिल का गंदा पानी तीर्थ में नहीं जायगा। लेकिन बराबर गिरता है। कुछ नहीं किया जाता है। इस प्रकार का यह सरकार इंतजाम करती है।

धौरहरा, सिंगाही और पलिया——तीन टाउन एरिया बड़ी मुश्किल से बनी हैं, निघासन में। पलिया में बिजलीघर बना है लेकिन टाउन एरिया के किसी भी व्यक्ति को बिजली नहीं दी गयी। सरकारी बंगलों में बराबर जलती है, रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में बराबर बिजली जलती है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यह असेम्बली छोड़ दूं या शरीर छोड़ दूं, क्योंकि यह चीज अब बरदाश्त के बाहर है। हमारे यहां एक कहावत है——राह पुरानी चलत हैं कायर। कूर, कपूत राह छोड़ तीनों चलें, सायर सिंह, सपूत। आपको परम्परा तोड़नी होगी जब हम कोई बात कहते हैं तो मंत्री जी अफसरों के प्रतीक बन कर, उनकी ओर से ठाट से उत्तर दे देते हैं। जब अफसर कुछ लिख कर भेजते हैं तो यह उस पर अंगूठा लगा देते हैं।

मेरे जिले में ओयल टाउन एरिया है। अभी बहुत थोड़े दिन से बनी है। वहां पर बर्तनों का काम होता है। सरकार ने कहा कि बर्तनों को बड़ा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। एक बर्तन बनाने का स्कूल भी वहां खोला गया लेकिन उसके द्वारा जितने विद्यार्थी निकले हैं सम्भव है कि सिवा नौकरी के और किसी भी काम के न हों। ओएल टाउन एरिया में इतनी बड़ी बस्ती है उसमें अगर एक ही पक्की सड़क बना दी जाय तो बड़ा भारी काम हो सकता है। लखीमपुर जिले में एक सड़क अंग्रेजों ने बनायी थी जो लखनऊ से सीतापुर से लखीमपुर होती हुई शाहजहांपुर जाती है। बस, इसके अलावा कोई सड़क नहीं है। राजा साहब झंडी जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लखीमपुर के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक सड़क अपने यहां घाटपर तक बनवा दी थी और राजा साहब जब चेयरमैन थे तब खमरिया ने भी एक सड़क अपनी तरफ से बनवा दी थी। इसके अलावा और कोई सड़क नहीं बनी सिवाय पांच सात मील को छोड़ कर। गन्ने की जो सड़कें बनायी जाती हैं वे ऐसी बनायी जाती हैं कि जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। हमारे यहां एक मालपुर गन्ने का क्षेत्र है जहां का गन्ना गोला मिल को आता है। लेकिन उस जगह का गन्ना इसलिये नहीं लिया जाता कि यह कहा गया कि वहां कोई सड़क नहीं है और यह कहा गया कि बीच में नदी पड़ती है, जबकि वहां कोई नदी नहीं है। बार बार कहा गया, केन कमिश्नर से भी कहा गया, कि आप चलकर देख लें, लेकिन अभी तक कोई नहीं गया। तो इस तरह के प्रज्ञाचक्षु बनने से तो काम नहीं चल सकता। आप गांवों के गलियारों तक को बना नहीं सकते। कम से कम उनको दुरुस्त तो करवा दें। लेकिन आप तो वही गलियारे बनावायेंगे जिसमें से आपको निकलना होगा, और जिसमें से सरकारी अफसरों को निकलना होगा। उनके बंगलों के सामने देखिए कि कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। बिजली लग रही है, उनके पाखाने देखिए, लेकिन गांवों में क्या किया है आपने समझा? गांवों में आदमी नहीं रहते हैं? सरकारी नौकरों को तो आप रईस बनाते हैं और गांव वालों

[श्री बंशीधर शुक्ल]

को कंगाल बनाते जाते हैं तो मैं श्रीमती सरकार आलिया के पूज्य मन्त्रीगण से यह कहूंगा कि अब यह परम्परा बन्द कीजिये, यह अफसरावलियों की पालने की परम्परा अच्छी नहीं लगती है। आज तो यह अफसरावली मन्त्रिमंडल के सिर पर बैठी हुई है।

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

एक एक सरकारी नौकर के घर पर जाइए, बाहर आपको एक चपरासी बैठा हुआ मिलेगा और वह अफसर तो दूर रहे, बीच में वह चपरासी ही इतने खूंख्वार ढंग से चिल्लायेगा कि आप मारे डर के भाग जायेंगे। मैं तो इतना डरता हूं इन अफसरों से जितना कि कुत्ते और सुअर से नहीं डरता। जिस दिन किसी अफसर के यहां जाना होता है उस दिन समझ लेता हूं कि भगवान् के घर चलना है। माननीय मंत्री जी के पास तो चला भी जाता हूं। इसलिये कि यह कम से कम हमको काट तो नहीं खायेंगे, पुराने साथी हैं, अगर नहीं पहचानेंगे तो दुत्कारेंगे तो नहीं। मगर यह अफसर खूंख्वार बनकर खाने को बैठे रहते हैं। जनता को आपने उनके मुंह में छोड़ रखा है।

किसानों को आज आपने मरने और कत्ल होने के लिये छोड़ दिया है। इतने ज्यादा कत्ल और डाके आज होते हैं कि जिनको कहा नहीं जा सकता। ये अपने आंकड़े आपरख छोड़िये, सब गलत हैं। ५ सौ कत्ल रोज और ५० हजार की चोरी डकैती रोज पूरे सूबे में होती है। यह आप सही मानिये। लेकिन आप तो अपने कागजों की तरफ देखेंगे थानेदार जो कहेगा उसी पर विश्वास करेंगे। सब चीजों को छोड़िए और इन कत्लों को रोकिये और गांवों का का निर्माण कीजिये। गांव वालों का विश्वास लीजिये। गांव पंचायतों के द्वारा काम कराइए। ठेकेदारी समाप्त कीजिये। नहीं तो यह जो परम्परा आप चला रहे हैं यह चलने वाली नहीं है। इससे आपकी बदनामी हो रही है और आपकी बदनामी के माने सरकार की बदनामी। सरकार पर जनता का विश्वास नहीं रहा। सरकारी नौकरों को कोई ईमानदार नहीं समझता, उनकी सेवाओं को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अनुदान देने का जहां तक सवाल है, देहात का कोई आदमी कर्जा चाहता है तो उसे नहीं मिलेगा; दौड़ते-दौड़ते थक कर बैठ जायगा। हम ही एक ट्यूबवेल बनाना चाहते हैं। वैसे वहां नहर बनाने की जरूरत थी। हमने दरख्वास्त दी। मंत्री जी ने कहा कि नहर नहीं ट्यूबवेल के लिये कहो तो हो सकता है। हमने कहा कि चार-पांच ट्यूबवेल वहां बन सकते हैं उनके लिये बिजली ही दे दीजिये, तो वह बिजली भी नहीं मिलेगी, ट्यूबवेल भी नहीं बनेंगे, जो मांगो नहीं मिलेगा। यह निर्माण हो रहा है। तो इस तरह क्या निर्माण आप करेंगे? हम पर आपको विश्वास नहीं। मैं कहता हूं कि अगर हम पर आपको विश्वास नहीं तो अपने सदस्यों पर ही विश्वास कीजिये। इन्हीं की इन्क्वायरी आप एक बैठाइए। ये आपके साथी हैं, जिनके बल पर आप यहां बैठे हैं। ये जो लिखकर दे दें उसको आप बाबा, वाक्यं प्रमाणम मानकर चलिये। मैं कहता हूं कि देखिए इससे कितनी जल्दी सुधार होता है। और अगर आप इन पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिये जनता के ऊपर। जनता इन सरकारी नौकरों को ही नहीं सरकार को भी ठीक कर सकती है। तो किसी तरह से इस खूंख्वार अफसरावली को ठीक कीजिये। वरना निर्माण कार्य इस तरह से नहीं हो सकता है। शहरों की तरफ आप देखते हैं, देहातों की तरफ नहीं देखते। देहातियों के पास आज पहनने को कपड़े नहीं हैं। वह जब आते हैं तो शहर वाले दस रुपये की चीज का १५ रुपया उनसे ले लिया करते हैं और कुछ न कर सकते तो यह मुनाफाखोरी को ही बन्द कर दीजिये। कुछ तो आपने किया होता, जिसके द्वारा आपका नाम होता और हम भी कहते कि कांग्रेस की सरकार ने ये ये कार्य किये। इतना कहकर मैं अपने मंत्री जी से यह कहूंगा कि निर्माण कार्य देहातों में ठीक ढंग से होने चाहियें।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमती अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। नागरिक निर्माण कार्यों का जो अनुदान चल रहा है वह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है। इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा कार्य हमारे देहातों में और शहरों में भी हुआ है लेकिन अभी कुछ उसमें कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि धन के कारण ही यह कमी रह गई होगी। जैसा कि हमारे उधर के भाइयों ने कहा कि शहरों में इसका कार्य बिलकुल नहीं होना चाहिये और गांवों में ही होना चाहिये, मैं यह निर्मूल और गलत समझती हूं। मेरा विचार यह है कि दोनों जगह पर कार्य होना चाहिये। शहरों में भी और गांवों में भी कार्य होने चाहियें।

मेरे यहां बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां पर पानी की बहुत कठिनाई है। पहाड़ों पर पेय जल को गांव तक लाने में बहुत कठिनाई होती है। लोगों को पहाड़ों में पेयजल २, २ और ३, ३ मील से लाना पड़ता है। मेरा स्वशासन मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। मेरे यहां देवप्रयाग क्षेत्र में पानी की व्यवस्था के लिए कुछ कार्य किया गया है, उसके लिये मैं आभारी हूं लेकिन अब भी बहुत सी जगह हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी हैं कि जहां पर पेयजल की बहुत कठिनाई है। लोग गन्दा पानी पीते हैं जिससे उनका पेट खराब हो जाता है। जहां पर ऊंचाई पर लोग रहते हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

पर्वतीय जिलों में जहां पर यात्रा-पथ है वहीं अधिकांश नगरपालिका हैं, वहीं पर पर्यटक भी आते हैं। ये नगरपालिकायें पर्यटकों को ठहरने इत्यादि की सुविधा के लिये भी बनायी गयी हैं किन्तु जब तक उनको अधिक धन नहीं दिया जाता है तब तक वे उनके आवास की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। इसलिये मेरा स्वशासन मन्त्री जी से अनुरोध है कि जहां पर यात्री लोग आते जाते हों उन नगरपालिकाओं को आप थोड़े कुछ और टैक्स लगाने की अनुमति देने की कृपा करें जिससे उनको धन की इफरात हो।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि जो जर्जर अवस्था में हैं। वे एक बार खोल दिये लेकिन दोबारा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उन स्कूलों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जो यह छोटी सी पुस्तक हमको प्राप्त हुई है इसको सारी टटोलती हूं लेकिन हमारे पर्वतीय जिलों के लिये और खास कर टेहरी जिले के लिये कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं इसको देख कर बहुत निराश हुई हूं। पहाड़ों में थोड़ा बहुत कार्य हुआ है लेकिन पूरा कार्य जो होना चाहिये वह अभी नहीं हुआ है। इसलिये मैं चाहती हूं कि माननीय मन्त्री महोदय उस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

स्कूलों के जो मास्टर हैं उनका वेतन बहुत दिनों में और देर देर से मिलता है। उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो स्कूल जर्जर अवस्था में हैं उनकी तरफ तो जरूर ही ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों की संख्या वहां पर वैसे ही कम रहती है लेकिन जब पहाड़ों में पानी टपकता रहता है और बैठने के लिये कोई स्थान नहीं होता तो और भी बच्चे कम आते हैं। इसलिये उनकी इस अवस्था की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे तो मैं उनसे मिलती भी रही हूं और कई बार लिख कर भी भेजा है और उस तरफ आप ने ध्यान दिया है लेकिन फिर भी ध्यान देने की जरूरत है।

कीर्तिनगर और देव प्रयाग में यात्रियों की सुविधा के लिये और स्थान बनाये जा सकते हैं। किन्तु यह तभी हो सकता है कि जब इनके लिये कुछ और टैक्स लगाने की अनुमति मिले। अगर टैक्स बढ़ाया जाय तो तभी ये यात्रियों को अधिक सुविधा दे सकते हैं। यदि टैक्स के द्वारा उनका धन बढ़े तभी वे यात्रियों के आने जाने तथा ठहरने की सुविधा कर सकते हैं।

[श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन]

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे क्षेत्र में जब कि बहुत साल पहले से पानी की बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी और अब तक उसकी पूर्ति नहीं हुई थी। लेकिन इस साल माननीय मन्त्री जी ने उसके लिये बहुत बड़ी धनराशि दी है और उस कार्य की शुरूआत हो चुकी है। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं और आशा करती हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं माननीय मन्त्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे।

*श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया मैं आप की बहुत आभारी हूं। जो अनुदान पेश हुआ है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि जितने पिछड़े जिले हैं, चाहे वे पर्वतीय हों चाहे बुन्देलखंड के हों या कोई और हों, आप सब को समानता से देंगे तो यह अनुदान बहुत ही कम है। हमारे बुन्देलखंड के जो जिले हैं वहां पर बहुत परेशानी है। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं देखा है। वहां पर जो जिला परिषद् के अधिकार में सड़कें हैं उनकी मरम्मत तो होती ही नहीं और किसान जब बैलगाड़ी लेकर निकलते हैं तो उनकी गाड़ियां टूट जाती हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उन सड़कों को जरूर ठीक करवाना चाहिये।

मौदहा के अन्दर पानी की तकलीफ है। जितने यहां के माननीय सदस्य हैं मैं समझती हूं कि सबको मालूम है और मैं तो घबराती हूं कि अब गर्मियां आयी हैं, क्या पानी की हालत होगी? इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वहां जरूर नल लगवाने हैं। मैं यह नहीं कहती कि सरकार कुछ नहीं करती। काम होता है लेकिन फिर भी जितना संतोषजनक होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक दिन वहां एक स्कूल में गयी। वहां पर २ सौ लड़के थे जब कि वहां १० लड़कों के बैठने की जगह है। लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे हुये थे। मैंने पूछा कि स्कूल कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि यह स्कूल है। वहां पट्टी लाकर, बिछाकर, सिर्फ १० लड़के बैठ सकते थे लेकिन वहां २ सौ बच्चे बैठे थे। इसलिये मुझे प्रार्थना करनी है कि इस तरह से वहां का प्रबन्ध करना चाहिये ऐसे स्कूलों में कि बच्चों की तकलीफ दूर हो और उनकी सेहत हो। मैं सोचती हूं कि माननीय मंत्री जी जरूर ऐसे स्थानों के लिये आदेश देंगे और मेरी प्रार्थना पर. उन बच्चों पर उन किसानों पर जो गाड़ी लेकर जाते हैं सड़कों पर, और जो लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं अवश्य ध्यान देंगे। बस, मैं यही कहने के लिये खड़ी हुई थी।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदान पर अपना मत जाहिर करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं जो बजट उन्होंने पेश किया है उसके लिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे शब्दों से माननीय मंत्री जी प्रसन्न हुए हैं।

मैं मन्त्री जी का ध्यान पहाड़ के छोटे छोटे नगर जो उत्तराखंड में स्थित हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जैसे कोटद्वार, दुगड्डा, पौड़ी, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और चमोली हैं। ये छोटे छोटे टाउन्स हैं और उनमें ड्रेनेज की व्यवस्था में बड़ी कमी है। श्रीनगर में हमारी सरकार की ओर से कुछ अनुदान जरूर मिला था, लेकिन मैंने देखा कि वह बहुत नाकाफी है और वहां की ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत खराब है और इस ओर हमारी सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये। यही हाल पौड़ी का है और इसी प्रकार कुछ कमियां कोटद्वार में भी हैं।

दूसरी बात जो मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि उन स्थानों पर प्राइमरी स्कूलों की उचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। वे स्कूल ऐसे ही चल रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और उनमें कोई सुविधा बालिकाओं अथवा बालकों को नहीं मिल पा रही है। कहीं चटाई नहीं है, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है, कहीं बैठने की सुविधा नहीं है और कहीं अध्यापक और अध्यापिकायें ही कम हैं।

इसके साथ साथ जो इन टाउन्स का सेनीटेशन है, खास कर श्रीनगर का, उस ओर सरकार का बहुत कम ध्यान गया है। यात्रा के समय बहुत से यात्री आकर रात में श्रीनगर में आश्रय लेते हैं और नदी के किनारे जाते हैं। उनको बहुत सी असुविधायें होती हैं और ऐसा कोई उचित स्थान वहां नहीं है कि जहां वे शौचादि कर सकें। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अर्ज करना चाहता हूं कि श्रीनगर के लिये वह जरूर कुछ करें। अगर इस समय हो सके तो बहुत अच्छा नहीं तो आने वाले वर्ष में इसका अवश्य ध्यान रखें और वहां सेनीटेशन इम्प्रूव करने की ओर अवश्य प्रयत्न किया जाय।

हमारे पौड़ी में छोटे बालक बालिकाओं के लिये जो म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से इंतजाम हुआ है वह इतना नाकाफी है कि मैं चाहता हूं कि आप उसकी इन्क्वायरी करें। छोटे बच्चों को बड़ी तकलीफ है। एक किराये की बिल्डिंग में वहां का स्कूल चलता है। मैं चाहता हूं कि वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को अनुदान या लोन दिया जाय, जो भी सुविधा हो सकती हो और किया जा सकता हो, वह अवश्य होना चाहिये।

मैं देहात के क्षेत्रों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने देखा कि यह नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये ही अनुदान है, लेकिन चूंकि सदन में काफी ऐबसेंट रहा हूं इसलिये यह मौका जो मुझे मिला है उसमें वहां की स्थिति पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। यह मेरी गलती न समझी जाय हालांकि वैसे गलती है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---आज बड़े ठंडे दिल से विचार हो रहा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---यह आपका सौभाग्य है कि मैं बहुत थका हुआ हूं। हमारे देहात में जो सरकार की तरफ से अनुदान मिले हैं उनमें मुझे बहुत कमी मालूम होती है। जैसे मिट्टी के खिलौने और बच्चों को तकली सिखाने के लिये ऊन दिया जाता है, मैं समझता हूं कि इन चीजों का इस तरह से बटवारा करने से हजारों रुपये का हमारी सरकार का जो अनुदान है वह अच्छे काम में नहीं आता है। मिट्टी के खिलौने ट्रान्सपोर्ट करने में ही टूट जाते हैं तथा दूसरी जो इसी प्रकार की चीजें होती हैं वे इधर उधर जाने में ही खराब हो जाती हैं। इससे बड़ा नुक्सान होता है। विद्यालयों तक पहुंचते पहुंचते वे चौथाई के करीब ही रह जाती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि बजाय इसके अगर इस प्रकार की चीजों की वहीं व्यवस्था हो जाय तो इससे उनकी शिक्षा दीक्षा में बड़ी इमदाद मिल सकती है और यह बेहतर भी रहेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं उस मैटीरियल के बारे में जो स्कूलों के लिये खरीदा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से गढ़वाल जिले में या और जितने जिले उस तरफ के हैं कुछ जिलों में सेन्टर्स आप कायम करते हैं, उन सेन्टर्स द्वारा जो मेटीरियल दिया जाता है वह ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यह बड़े खेद की बात है कि वह मैटीरियल बाज वक्त पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है लेकिन बांटा नहीं जाता है। एक बार रुद्रप्रयाग के लिये जितनी चटाइयां सप्लाई करने के लिये थीं वे सब बरसात में ही एक जगह पड़े-पड़े सड़ गयीं। उसका न कोई मालिक मालूम होता था और न कोई उठाने वाला और न देखभाल करने वाला ही। इसके अलावा पिन्डल नदी के किनारे, परगना नारायणगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काफी सामान जैसा का तैसा पड़ा रहता है और खराब हो जाता है। इसके लिये डिप्टी कमिश्नर महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया गया परन्तु अभी तक कोई इस काम के लिये इस्पीडी व्यवस्था नहीं की गई। जो मैटीरियल पाठशालाओं के लिये खरीदा जाता है वह उन पाठशालाओं तक पहुंच जाय इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। मैं चाहता हूं, कि माननीय मंत्री जी एक आर्डर इस बात के लिये निकालें जिससे

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

उनको यह संतोष हो जाय कि जो रुपया सरकार उन पाठशालाओं के लिये सामान खरीदने के लिये देती है वह उन तक पहुंच जाय। आज कहीं किसी पाठशाला में ब्लैक बोर्ड नहीं है, किसी में चाक नहीं है, किसी में यह नहीं है तो किसी में वह नहीं है। उन सबके लिये सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है, यह देखना चाहिये कि उसका ठीक तरह से उपयोग हो और उस रुपये से वह सामान खरीद कर उन पाठशालाओं तक पहुंच सके। जो आय-व्यय आज अनुदान का होता है उसको रोका जाय। जो लैक आफ सुपरवीजन है, वह नहीं होना चाहिये। अगर सुपरवीजन ठीक तरह से हो तो यह कठिनाई पैदा न हो। आपके द्वारा रुपया दिये जाने का क्या फायदा है अगर उसका फायदा स्कूल के उन बच्चों तक न पहुंच सके? हमें देखना चाहिये कि जो लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं वह ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं और उस रुपये का फायदा जनता को पहुंच रहा है या नहीं।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत अनुदान का विरोध करने के लिये तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक नगर निर्माण का संबंध है और इस अनुदान का संबंध है, बड़े-बड़े शहरों में क्योंकि उनकी आमदनी बहुत काफी होती है, उनके निर्माण के कार्य होते ही रहते हैं लेकिन जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है वह ऐसे ही कार्य में खर्च होना चाहिये, उन जगहों में ही खर्च होना चाहिये जहां की आमदनी कम है। शहरों में जहां गन्दगी पड़ी हुई है, जहां भी कार्य नहीं हुआ है, वहां पर खर्च होना चाहिये। आपके सूबे में अनेकों ग्राम ऐसे हैं जहां की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां अभी तक उनका विस्तार नहीं हुआ है। जो अनुदान प्राप्त होता है वह उन्हीं नगरों के हाथ में पहुंच जाता है जहां कि कुछ प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं और उन्हीं नगरों के कार्यों में वह रुपया लगा दिया जाता है। जैसे, मेरा अपना जिला बिजनौर है। उसमें कई एक कस्बे इस प्रकार के हैं, तराई भाग में जैसे बड़ापुर है, अफजलगढ़ है, नगीना, शेरकोट, मंडावर छोटे-छोटे कस्बे हैं, इनमें कोई भी निर्माण कार्य गरीब आबादी जो वहां हैं उनके लिए नहीं किया गया। न सड़कें बनायी गयीं, न उनके लिये नालियों का इन्तजाम हुआ जब कि इस प्रकार के अनुदानों को ऐसे नगरों के उन क्षेत्रों में लगाना चाहिये जहां गरीब बस्तियां हैं ताकि उनका सुधार हो सके।

यहां तक देखने में आया है कि शहरों के गरीब मोहल्लों में माताओं और बहिनों के लिए शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता। मैं खास तौर से मंत्री जी का ध्यान देहरादून के मुहल्ला बिहारीगढ़ की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह मोहल्ला कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री चौधरी बिहारी लाल जी की यादगार में बसाया गया। इस सदन के माननीय सदस्यों को उनसे जानकारी है। लेकिन वहां अगर देखा जाय तो ठीक प्रकार से रोशनी का भी इन्तजाम नहीं है, न सड़कें ठीक प्रकार से बनी हुई हैं और इतना भी नहीं कि टट्टी फिरने के लिये नगर-पालिका की तरफ से कोई लैट्रीन वगैरह ठीक प्रकार से बनाई गई हों, अर्थात् निर्माण करा दी जायं। इस तरह से गरीब मुहल्लों की अवहेलना की जाती है। न तो सड़कें ही बनायी जाती हैं और न सफ़ाई शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। तो उनकी ओर भी ध्यान दिया जाय ताकि कम से कम उनको भी सोचने विचारने का मौका मिले कि हमारी मौजूदा सरकार ने हमारी तरफ़ भी तवज्जह दी है।

लखनऊ नगर के मोहल्लों को देखा जाय जहां गरीब रहते हैं। आगरा जाइये, बनारस जाइये, कानपुर जाइये, इन शहरों में कोई विकास कार्य दिखलाई नहीं देता गरीब मुहल्लों में। तो जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है, यह इसी प्रकार से खर्च होना चाहिए जिससे गरीब मुहल्लों का सुधार हो सके। न सड़कें बनती हैं, न बिजली के खम्भे तक लगाये जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर वाटिकाएं बनती हैं तो छोटे छोटे बच्चों के खेल-कूद के लिए बनायी जायं जिससे उनका स्वास्थ्य सुधरे और वह आमोद-प्रमोद का जीवन व्यतीत कर सकें।

इसी प्रकार से उनके लिए औषधालयों का प्रबन्ध होना चाहिए, शिक्षा के लिये स्कूल वगैरह अच्छे होने चाहिये जिससे बच्चे ठीक प्रकार से शिक्षा पाकर के अपने जीवन को ऊंचा कर सकें।

जो पानी की योजना चालू की गई है, जैसे कि नगीना में, वहां पानी का टैक्स लगाया गया है। हाउस टैक्स भी लगा, वाटर-टैक्स भी लगाते हैं और उन लोगों पर भी पानी का टैक्स लगा है जो पानी लेते भी नहीं हैं, यह परिपाटी खत्म होनी चाहिये। बहुत से लोगों के कोई व्यवसाय भी नहीं हैं, बाहर जाते हैं और जीविका कमा कर वहां बैठकर खाते पीते हैं। जहां पर पानी की जरूरत हो वहां इस प्रकार का खर्चा ठीक प्रतीत होता है लेकिन जनता की इच्छा के विरुद्ध इस तरह का खर्चा करना और उन पर वाटर टैक्स थोपना उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिये मेरा अनुरोध है कि नगर निर्माण कार्यों में जनता के परामर्श से कार्य होना चाहिये। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि सरकार अधिकतर उन नगरों को अनुदान न दे जिनकी पहले से ही अधिक आमदनी है और जो अपनी आमदनी से ही सड़कों और मकानों का निर्माण कर सकते हैं बल्कि छोटे-छोटे जो पिछड़े हुये बोर्ड हैं उनको यह धनराशियां दी जायं जिससे उनका विकास हो सके। अन्त में मैं सरकार का ध्यान अफजलगढ़ और बड़ापुर जिला बिजनौर स्थानीय संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं कि उनको अवश्य अनुदान दिये जायं जिनसे वे अपने यहां विकास कर सकें।

श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)—जनाबा मोहतरिमा, स्वशासन मन्त्री जी ने इस माननीय सदन के सामने जो अनुदान पेश किया है वह बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मुझे उम्मीद थी कि इस अनुदान के ऊपर चाहे रूलिंग पार्टी के सदस्य हों या अपोजीशन वाले हों, वे बजाय इसके कि कटौती की बात पेश करते हैं, वे यह कहते कि यह अनुदान और बढ़ाया जाय क्योंकि यही एक ऐसा अनुदान है जिसके जरिये पब्लिक के हाथ में पैसा पहुंचता है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे पब्लिक को परेशान करते हैं, रुपया बरबाद करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने जो अनुदान पेश है जिसको पब्लिक अपने हाथों से खर्च करती है, उस पर भी आप एतराज करते हैं और इसमें १०० रुपये की कटौती के हित में हैं। यह बड़े दुख की बात है।

म्युनिसिपैलिटी के खास कार्य सेनीटेशन, एजूकेशन, पब्लिक हेल्थ, रोड्स, लाइट्स वगैरह होते हैं। इनमें सबसे अहम एजूकेशन और हेल्थ हैं। इस सिलसिले में मैं मोहतरिमा के द्वारा मन्त्री जी से दर्ख्वास्त करूंगा कि वह हेल्थ और एजूकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि एजूकेशन लाइन जो है वह बहुत ही नीचे जा रही है। हमें चाहिये कि हम अपनी एजूकेशन को ठीक करें। एजूकेशन के ऊपर ही किसी मुल्क का दारोमदार होता है। एजूकेशन अगर अच्छी है तो मुल्क भी अच्छा होगा और उसका नाम होगा। इसलिये एजूकेशन के लिये काफी से काफी अनुदान म्युनिसिपैलिटीज को देना चाहिये औरखास तौर से जो छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको देना चाहिये। बड़ी म्युनिसिपैलिटीज, फर्स्ट क्लास, सेकिन्ड क्लास और कारपोरेशन, इनके पास वैसे ही ज्यादा आमदनी होती है और ये अपने आपको आसानी से खर्च सकते हैं और छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज, फोर्थ फिफ्थ क्लास, नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने चाहिये जिससे वे अपनी एजूकेशन को और रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स को अच्छी तरह से मेनटेन कर सकें। इस सिलसिले में माननीया मोहतरिमा के जरिये से मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा इस तरफ तवज्जह दें जिससे हमारी गरीब जनता और जो छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं वे तरक्की कर सकें। मैं महसूस करता हूं कि अगर मन्त्री जी को पता लगे तो वह छोटी म्युनसिपैलिटीज की मदद करने की कोशिश करते हैं।

[श्री सईद अहमद अन्सारी]

इस सिलसिले में मैं आपका आभारी हूं कि आपने मंगलौर म्युनिसिपैलिटी के लिये १० हजार रुपया ग्रान्ट इन एड दिया। मंगलौर में मुस्लिम पापुलेशन ज्यादा है और वहां मजमा काफी चलता रहता है। चूंकि मीट मार्केट नहीं है तो क़स ई समझते हैं कि उन्हें काऊ-स्लाटर का हक़ है। वैसे क़ानून से तो नहीं है। लेकिन वह चोरी से ऐसा समझते हैं। मीट मार्केट होने पर वे ऐसा नहीं समझेंगे। ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि वसाऔक़ात हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हो जाते हैं और उनको रोकने के लिये भी मीट मार्केट बहुत जरूरी है। म्युनिसीपैलिटीज को इसके लिये ग्रान्ट-इन-एड देनी चाहिये।

खाद के लिये यह बात है कि रस्मी तरीके से तो काग़ज़ात की खानापूरी कर दी जाती है मगर समस्या हल नहीं होती है। जो रबिश या कूड़ा होता है वह पजावों या भट्ठों को न दिया जाकर उससे कम्पोस्ट तैयार कराना चाहिये और उसके लिये खास निरीक्षण भी होना चाहिये जिससे यह मालूम हो सके कि वाकई कम्पोस्ट तैयार हो रहा है या नहीं। छोटी म्युनिसिपैलिटीज के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे अपना कूड़ा वहां पहुंचा सकें। इसलिये उनको ट्रैक्टर के लिये सहायता देना जरूरी हो जाता है। गड्ढों पर मैला डोने से बिखरता जाता है और उल्टे गन्दगी होती है। मैं चाहूंगा कि बड़ी म्युनिसिपैलिटीज का या कारपोरेशन्स का रुपया कम किया जाय और छोटी म्युनीसीपैलिटीज को दिया जाय जिससे वे अपना सैनीटेशन ठीक कर सकें।

इसमें शक नहीं कि रोड ग्रान्ट्स हमारी सरकार म्युनीसीपैलीज को देती है लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल होता है। इस सिलसिले में मैंने कई मर्तबा माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त की कि जो रूल एम० एल० एच० को भी ग्रान्ट्स की कापी जानी चाहिये जिससे वे भी जान सकें कि क्या हो रहा है और उसे देख सकें।

एक शिकायत मुझे एडल्ट्रेशन के मुताल्लिक़ है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर तमाम नेशन का दारोमदार है। एडल्ट्रेशन होता रहेगा तो आने वाली नस्ल कमजोर रहेगी। आज यह हालत है कि लखनऊ में ही अगर आप सरसों का तेल लेने जावें तो असली नहीं मिल सकता, या आटा या मिठाई लेने जावें तो अच्छी नहीं मिल सकती है। अगर खाने की चीजें भी साफ नहीं मिल सकती हैं तो फिर मिलेगा क्या? हमारे बच्चों के दिमाग़ कैसे होंगे और वे कैसे तरक्की करेंगे? कहीं वे लड़ नहीं सकेंगे और न बहादुरी दिखा सकेंगे। वे फर्स्ट डिवीजन हासिल नहीं कर सकते। मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि वे मालूमात करावें कि म्युनिसिपैलीटीज में एडल्ट्रेशन के कितने मुकदमें चले, कितनों में सजा या जुर्माने हुये और कितने छूट गये और क्यों।

बहुत-सी छोटी म्युनिसिपैलीटीज ऐसी हैं जो अपना पानी का, पीने के वास्ते भी ठीक तरह से इन्तजाम नहीं कर सकतीं। हरिजनों के पानी के कुवें बड़े गन्दे रहते हैं। वाटर-सप्लाई के लिये छोटी नगरपालिकाओं को काफी ग्रान्ट-इन-ऐड देना चाहिए। जिला सहारनपुर में मंगलौर एक फ़ोर्थ क्लास म्युनिसिपैलिटीज है। वहां के हरिजनों के लिये पानी की बड़ी दिक्कत है। इन छोटी म्युनीसीपैलीटीज के पास रुपया कम होता है चूंकि उनकी आमदनी कम होती है। वे अपनी जनता की बहुत कुछ मदद नहीं कर सकतीं हैं। प्लानिंग का काफ़ी पया देहाती इलाकों को जाता है और थर्ड और फ़ोर्थ क्लास म्युनिसिपैलीटीज के हरिजन बहुत परेशान हैं। छोटी म्युनिसीपैलीटीज को भी वही इन्तजामात करने होते हैं जैसे बड़ी को। उन्हें भी रोड्स का, सैनीटेशन का, वाटर-वर्क्स का और दीगर इन्तजामात करने होते हैं। थर्ड और फ़ोर्थ क्लास म्युनिसिपैलिटीज के लोगों को भी इस दुनिया में अच्छी तरह रहने का मौक़ा देना चाहिये।

यही सब मुझे अर्ज करना था।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव ---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि उन्होंने अनुदान का समर्थन करते हुये भी उन खामियों की ओर विशेष ध्यान दिया है जिनकी ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी।

यह बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि स्थानीय निकायों को जो सहायता राज्य सरकार से प्राप्त होती है वह अपर्याप्त है। सब इस बात को अनुभव करते हैं कि सरकार वहां भी भेद-भाव करती है। जो स्थानीय निकाय विरोधी दलों के हाथ में हैं उनके साथ दूसरा व्यवहार होता है और जो सत्तारूढ़ दल वालों के हाथ में हैं, कांग्रेस वालों के हाथ में हैं, उनके साथ दूसरा व्यवहार होता है। विरोधी दल वालों के हाथ में स्थानीय निकायों के विकास कार्यों में कुछ न कुछ अड़ंगा लगाया जाता है। बड़े-बड़े शहरों में, जहां साधन ज्यादा हैं और आमदनी ज्यादा है, वहां कम सहायता मिलनी चाहिये और छोटे कस्बों में विकास और सफाई आदि के लिये ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये। चाहे वे किसी पार्टी के हाथ में हों। एक तरफ तो यह सरकार प्रजातंत्र का दम भरती है और दूसरी ओर उसका गला घोंटती है। जनता अपनी स्वेच्छा से चाहे जिसको चुनती है। हर कस्बों और छोटे शहरों के विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान आपको देना है।

पानी पीने की योजना छोटे शहरों में काफी महत्व रखती है। आजमगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड को कुछ कर्जा सरकार ने वाटर सप्लाई के लिये दिया था। कई बार वह नगरपालिका और वहां के नागरिक इस बात की प्रार्थना कर चुके हैं कि वहां की नगरपालिका की आमदनी के साधन बहुत सीमित हैं, उनको देखते हुये और वहां की गरीबी को देखते हुये, उसको अनुदान के रूप में परिणत कर दिया जाय। लेकिन वह कर्जा ज्यों का त्यों लदा हुआ है।

वहां ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे-छोटे शहरों टाउन एरिया, आजमगढ़ और कस्बों की हालत उसके कारण खराब है, गन्दगी रहती है। बहुत सी सड़कों और नालियों की हालत भी चिन्ताजनक है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और इसके लिये ज्यादा अनुदान स्वीकार किया जाय। यह भी गौर करने की बात है कि जो अनुदान दिया जाता है, सरकार उसको देखे कि वह सही रूप से खर्च किया जाता है या नहीं। जहां पर उसकी आवश्यकता है वहां खर्च किया जा रहा है या किसी दूसरी जगह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे सड़कों का रुपया हो और चाहे स्कूलों का रुपया हो, हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा।

जैसा कि अंसारी जी ने कहा, हमें यह भी मालूम होना चाहिये कि किस काम के लिये कितना अनुदान दिया जा रहा है ताकि माननीय सदस्य यह देख सकें कि सरकार ने जो रुपया दिया है वह कहां इस्तेमाल हो रहा है।

सरकार के जो आदेश विशेष रूप से स्वीपर्स के लिये जारी होते हैं उनका स्थानीय निकाय पालन नहीं करते हैं। उनके हाउस एलाउन्स और तनख्वाह के बारे में जो आदेश सरकार के हुए थे, बहुत-सी नगरपालिकाओं ने उनका पालन नहीं किया है। राज्य सरकार ने जो वेतन क्रम निर्धारित किये हैं, उनकी पाबन्दी होनी चाहिये। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि म्युनिसिपल स्वीपर्स के लिये नये वेतन क्रम निर्धारित किये जाने के लिये एक पे कमीशन मुकर्रर किया जाय ताकि उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। म्युनिसिपैलिटी के छोटे तबके के कर्मचारियों और खासतौर से स्वीपर्स के लिये जो नीचा और छोटा काम करते हैं उनके वेतन-क्रमों को सुधारा जाय। किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड में स्वीपर्स के रहने का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है। हर नगरपालिका में उनके रहने के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था की जाय और उसका कोई भी पैसा म्युनिसिपल स्वीपरों से न लिया जाय।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

अन्त में मैं इस बात पर जोर देता हूं कि म्युनिसिपल कर्मचारियों, विशेषकर स्वीपर्स के ग्रेडस को रिवाइज करने केलिये कदम उठाये जायं। सन् ४९ में जो रिजोल्यूशन हुआ था वही अब तक लागू है। उनको उसी हिसाब से तनख्वाह और भत्ते मिल रहे हैं। बहुत सी नगरपालिकायें सरकार द्वारा निर्धारित दरों से भी वेतनक्रम नहीं दे रही हैं। विशेषकर मैं आजमगढ़ नगरपालिका की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। म्युनिसिपैलिटी में दो प्रकार के मुलाजिम रखे जाते हैं, एक हाफ डे स्वीपर्स और दूसरे फुल डे स्वीपर्स लेकिन दोनों को जो काम करना पड़ता है वह पूरे समय का ही होता है। जब उनसे पूरे दिन का काम लिया जाता है तो उनको वेतन भी पूरा ही मिलना चाहिये। तो उनको पूरे वक्त के मुलाजिम की तनख्वाह और पूरी सहायता व सहूलियतें मिलनी चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

लखनऊ की जिस समस्या की तरफ मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था कि लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो भ्रष्टाचार है तथा जो पक्षपात का वातावरण है उससे अत्यधिक क्षोभ है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे। कई बार उनके पास भी और इस माननीय सदन में भी इस बात की शिकायत हो चुकी है और मैं, और कुछ डेपुटेशन भी उनसे मिला था। उन बातों में क्या तथ्य है, उसकी जांच माननीय मंत्री जी स्वयं करें या किसी के सुपुर्द कर दें ताकि लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायत है, इस सम्बन्ध में लखनऊ के नागरिकों की कोई शिकायत न रह जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये, पिछड़े इलाकों के विकास के लिय, खासकर पूर्वी जिलों पहाड़ी जिलों तथा बुन्देलखंड के इलाकों की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। देहाती क्षेत्रों में आवागमन के साधन विकसित नहीं हैं, सड़कों की कमी है, निर्यात वहां ठप्प रहता है जिससे देहात की ग्रामीण जनता के सामने बड़ी दिक्कत होती है। जिले का जो मुख्य केन्द्र है वहां तक देहात के लोगों को आने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन है कि वे पहाड़ी इलाकों, बुन्देलखंड के इलाकों तथा पूर्वी जिलों की तरफ विशेष ध्यान दें। माननीय उप मंत्री जी बैठे हुये हैं उनका क्षेत्र तथा मेरा क्षेत्र कुछ सरहद पर ही पड़ता है, मिला हुआ है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। इनके क्षेत्र के लोगों को पहले हमारे क्षेत्र में आना पड़ता है तब वे फैजाबाद पहुंच पाते हैं। इसलिये देहाती क्षेत्रों में यातायात के साधन सड़कों के विकास और पुलों के निर्माण होने की बहुत जरूरत है। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अधिष्ठात्री महोदया मुझे अफसोस है कि आज बहुत ज्यादा मसाला मुझे जवाब देने के लिये नहीं मिला। जब मैंने अपनी यह मांग पेश की थी तो मैं यही सोच कर कुछ नहीं बोला था ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिले और मुझे कुछ सार मिले जिसका मैं जवाब दे सकूं। आम तौर पर इल्जाम लगाये गये—कुछ महाशय यहां हैं भी नहीं कि मैं उनका जवाब दूं—कि भ्रष्टाचार है, सरकारी आफिसर खराब हैं, पक्षपात होता है, अब इसका क्या जवाब मैं दूं? मैं तसलीम करता हूं कि कुछ पक्षपात मैं जरूर करता हूं लेकिन आश्चर्य होगा सुन कर जनसंघ वालों को खासतौर से कि वह उनके पक्ष में ही गया, विपक्ष में नहीं और अगर इसको पक्षपात कहा जाय तो मैं गुनहगार हूं।

मैंने कल भी निवेदन किया था और अल्मोड़ा के बारे में खासतौर से कहा था। कुछ ऐसे सज्जन हैं यहां पर जो उनके मुंह में आता है कहते हैं और गलत कहने पर भी कुछ अपने को बुरा नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि गलत बात कह कर वे दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि गलत बात जिसके मुंह से निकलती है उससे उसी का नुकसान होता है। कम से कम वे उनसे तो पूछ लेते जो उनके यहां के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, बोर्ड्स के कि उनको भी कोई शिकायत है कि इस विभाग में ज्यादा पक्षपात किया गया है, उनकी जायज मांगों को नहीं सुना गया है या उनकी जायज मांगें ठुकरा दी गयी हैं या उनके साथ अन्याय किया गया है। अल्मोड़ा

की बाबत में कह सकता हूं कि अगर कुछ किया है तो उदारता की है, अगर कुछ किया है तो नियम को कुछ शिथिल किया है ।

वृन्दावन के विषय में कुछ चीजों का कल भी जिक्र आया था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि तमाम आक्षेप लगाये गये लेकिन जरा उनके प्रेसीडेंट से भी पूछ लिया जाता कि जब वह यहां आये थे तो कुछ शिकायत ले कर आये थे लेकिन जब लौटे तो वह खुशी-खुशी यहां से लौटे थे । बिना जाने पूछे कहना कि यह अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्धेर हो रहा है, यह तरीका जिम्मेदार व्यक्तियों के लिये शोभा नहीं देता, चौराहे पर कोई लेक्चर दिया जाय तो वहां इस तरह की बातें कही जा सकती हैं, उस में किसी को शिकायत नहीं हो सकती लेकिन इस आदरणीय सदन में तो आशा की जाती है कि यहां जो कुछ कहा जाय थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कहा जाय ।

एक बात आमतौर से कही गई कि जिला बोर्डों के साधन बहुत कम हैं। इसको मैं भी समझता हूं और इसी सदन में न मालूम कितनी बार मैं यह कह चुका हूं कि साधन सचमुच कम हैं, पंचायतों के भी कम हैं, जिला परिषदों के भी कम हैं लेकिन वह ऐसी बदकिस्मती है कि साधन इस सरकार के भी कम है और करोड़ों रुपया उधार लेकर हम लगाये जाते हैं, कर्जा हमारे ऊपर लदता जाता है जिसका सूद भी देना हमारे लिये मुश्किल हो जायगा कुछ दिन बाद, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ रचनात्मक काम हमारे हो जांय तो अच्छा है, उससे हमारी आय, उत्पादन और साधन बढ़ जायंगे और जो कर्ज लिया है उसको चुकाने के साधन भी बढ़ जायंगे और हमारी जनता अब से कुछ अधिक खुशहाल हो जायगी इसलिये ऐसा हम कर रहे हैं । मूल प्रश्न हमारे सामने यह है कि यह साधन चाहे वह गांव के स्तर के हों, जिला स्तर के हों या प्रदेश के स्तर के हों या केन्द्र के स्तर के, वे बढ़ाये कैसे जांय ? इतनी बजट स्पीचेज यहां हुईं, इतने विभागों के बजट की समीक्षा यहां हुई और बजट पास भी हुये, कटौती के प्रस्ताव भी आये, वे इसलिये नहीं आये कि सचमुच में उनके पैसे में कमी कर दी जाय बल्कि वह इसलिये आये थे कि कुछ अधिक रुपया शिक्षा के लिये और दिया जाय उद्योग में भी ज्यादा खर्च हो, स्वास्थ्य में भी ज्यादा व्यय हो, सबके लिये ही मांग थी कि ज्यादा खर्च किया जाय लेकिन वह साधन कहां से आयें, यह बताने की कोई हिम्मत नहीं करता, और न कोई सुझाव देता है । आशा की जाती है कि उसी आय में से कोई जादू का बटवारा हो जाय कि इसी रकम में से सब विभागों को अधिक से अधिक मिल जाय और कहीं भी कमी न रहे । बहुत ध्यान से मैं सुनने की कोशिश करता हूं कि यहां से पैसा निकाल कर यहां दे दिया जाय, यहां बेकार खर्च हो रहा है, यहां से हटाकर यहां लगा दिया जाय लेकिन लाख दो लाख के हेरफेर से कोई साधन नहीं बढ़ते, करोड़ों अरबों की बात है, वहां छोटे मोटे सुझावों से कोई लाभ नहीं हो सकता । यह प्रश्न तो हमारे सामने अभी हल करने को है ।

कहा गया कि मालगुजारी का भाग उन्हें दिया जाय, सरकार सोच रही है और जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि जिस समय जिला परिषद् का बिल इस सदन के सामने आयेगा उस समय यह विचार किया जायगा और जो राय इससदन की होगी वही सरकार के लिये मान्य होगी, उस समय हमें विचार करने का इस पर मौका मिलेगा लेकिन जब तक हम रचनात्मक तौर से कोई चीज नहीं बदलते तब तक ग्रान्ट्स के द्वारा आशा करना कि वह काम हो जाय बेकार है । कर्जा भी लेते जायं अगर लौटाना न पड़े लेकिन उससे भी काम न चलेगा । जिला परिषदों और म्युनिसिपल बोर्डों का भी फर्ज है कि वह कर लगाकर साधन पैदा करें लेकिन वह भी कर लगाना नहीं चाहते, जो उनके लिये लाजमी और अनिवार्य है; वह भी वह नहीं करते और बार-बार लिख कर भेजते हैं कि यह कर माफ कर दिये जायं । कर माफ करना अच्छी बात है, मैंने कल भी निवेदन किया था कि इस देश में ८०–८५ प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जिनको यदि कुछ और दिया जाय तो वह वांछनीय होगा और सरकार को कोशिश होनी चाहिये कि ८५ फीसदी व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके । और हमारी योजनाओं का भी यही ध्येय है । कहां तक वे सफल होंगी

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

यह अभी कहना असम्भव है, लेकिन हम यह मानकर ही चलते हैं कि देश के बहुत से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिये।

और जो कुछ हुआ है वह काफी कम है, यह हम भी मानते हैं, दुख की बात है। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी इस देश को स्वतंत्र हुये ११,१२ साल ही हुये हैं ? लाखों आदमी पंजाब और बंगाल से आये, अभी तक चले आ रहे हैं उनको सबको बसाना पड़ा। जिस समय यहां ला ऐंड आर्डर का प्रश्न था सैकड़ों की तादाद में स्टेट्स अंग्रेज सरकार यहां छोड़ कर गई थी, उन सब का विलीनीकरण हुआ। जिन सर्विसेज की वजह से इस देश की आजादी कायम रह सकी उनके लिये तरह-तरह की बातें कही गयीं यह सब कठिनाइयां हुईं। कोई रचनात्मक सुझाव नहीं देता, रचना के काम में मिल कर काम नहीं करना चाहते, एक दूसरे की उन्नति में हम कैसे बाधक हो सकें इसका ज्यादा खयाल रहता है। और आशा की जाती है कि जो काम हों वह जनता के सहयोग से हों यह असम्भव है।

आज ही शिकायत हुई कि शिक्षा के लिये यहां से जो अनुदान जाता है, रुई और चर्खे के लिये जो पैसा जाता है उसका दुरुपयोग होता है, मैंने कुछ स्थानों पर रुई को देखा वह वास्तव में कातने लायक नहीं थी। लेकिन अफसोस तो तब और अधिक होता है कि जब इन सब के पीछे हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की उदासीनता होती है। जिस समय विदेशी सरकार यहां पर थी उस समय हमारे लिये मुमकिन था, हम बहुत-सी चीजें रोक देते थे लेकिन आज जब अपनी सरकार है, हमारे सरकारी आदमी हैं जो कुछ सहयोग ही कर सकते हैं, कम से कम खुलेतौर से विरोध नहीं कर सकते हैं, वैसी दशा में आज हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ता अपने को असहाय पाते हैं। इसको क्या कहें सिवाय इसके कि हमारी उदासीनता है ? थोड़ा सा भी परिश्रम हम नहीं करना चाहते। लेकिन जब तक हम सजग नहीं रहेंगे तब तक इस तरह की चीजें रोकी नहीं जा सकती।

स्वायत्त शासन का मतलब ही यह है कि ये संस्थायें जिम्मेदारी लें। उनमें कर लगाने की भी जिम्मेदारी है सिर्फ खर्च करने ही की जिम्मेदारी नहीं है। और जब हमसे कहा जाता है कि सरकार बहुत हस्तक्षेप करती है तो दूसरी तरफ हर छोटी-छोटी बातों की शिकायत हमसे की जाती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बात बात में सरकार हस्तक्षेप करे, यह भी आशा की जाती है। यह दोनों बातें एक साथ सम्भव नहीं हो सकतीं। अगर सरकार इजाजत देती है कि इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को वे खुदमुख्तार हो कर काम करें तो इसके अन्दर यह बात निहित है कि ये लोग गलती भी कर सकते हैं और जिन्हें नये-नये अधिकार मिले हैं उनसे शायद गलतियां ज्यादा होंगी। लेकिन अगर हम गलती करने का मौका न दें और हर जगह जा कर सुपरसीड कर दें तो वह भी उचित नहीं होगा। इस दृष्टि से अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझें तो हमें इन्हीं संस्थाओं की मार्फत ज्यादा जिम्मेदारी का काम कराना चाहिये।

पक्षपात की बाबत मैं कुछ निवेदन कर चुका हूं। कोशिश यह की जाती है कि जो अनुदान सड़कों वगैरह के लिये दिये जायं वे हर जगह का माइलेज और जनसंख्या आदि का हिसाब लगा कर दिये जायं। बहुत थोड़ा सा पैसा मैं विशेष अनुदान के लिये रखता हूं क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि बहुत सी जगह पुल नहीं हैं। अगर पुल बन जायं तो जो सड़क है उससे साल भर लोगों को फायदा हो सकता है। मैंने पारसाल हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास यह दरख्वास्त की थी कि अगर उनके जिले में कोई ऐसा पुल हो जिसके बन जाने से जनता को काफी आसानी हो जाय चाहे सड़क कच्ची ही हो, तो उसके लिये वह सुझाव भेजें। मुझे अफसोस है कि पारसाल कोई भी सुझाव इस तरह का नहीं आया।

एक सदस्य—इस साल ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस साल भी अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—हम लोगों से भी पूछा होता।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—माननीय सदस्यों से ही मदद लेने के लिये मैं यह सूचना हाउस को दे रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं दे सकता हूं लेकिन ५,१०,२०,२५ हजार तक दे सकता हूं और विशेष परिस्थितियों में कुछ ज्यादा भी दिया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—देहात के लिये भी मिलेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—देहात के लिये ही सब है, शहर के लिये नहीं है। और कोई खास छोटी-मोटी सड़क हो तो उसको दिया जा सकता है। तीर्थ स्थान हो, टूरिस्ट प्लेसेज हों जहां पर सिर्फ उस जिले के ही आदमी नहीं बल्कि बाहर के भी बहुत से आदमी आते हों।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—पंचकोशी सड़क के लिये तो बहुत बार सवाल उठाया गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसके लिये भी पैसा दिया गया है। लेकिन हर मांग में पूरी कर सकूंगा, यह आशा नहीं रखनी चाहिये। लेकिन अगर हर साल १५–२० जिलों को दिया जा सके तो बाई रोटेशन २–३ सालों में हर जिले के छोटे मोटे प्रश्न हल हो सकते हैं।

मेहतरों की बाबत हमारी कोशिश है। रामनगर से हमारे पास प्रस्ताव आया कि वह कुछ क्वार्टर्स मेहतरों के लिये बनाना चाहते हैं। मैंने खुद दिलचस्पी ले कर उसकी कोशिश की और केन्द्रीय सरकार से भी कुछ सुविधा दिलाने की कोशिश की और आयन्दा भी अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड इस काम को करना चाहे तो उसमें हम अधिक से अधिक सहायता करने की बात सोच सकते हैं। इसमें काफी पैसा ग्रान्ट के तौर पर भी मिल सकता है लेकिन इनिशियेटिव लेना होगा म्युनिसिपैलिटीज को। जहां तक हो सकता है, मेहतरों के पक्ष में हम अपना निर्णय देते हैं। एक आमतौर से हमने यह नीति बना ली है कि कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड मेहतरों को ज्यादा सुविधा देना चाहे तो सरकार की तरफ से उसमें निषेध न किया जाय और हर ऐसी मांग जो मेहतरों या छोटे कर्मचारियों की सुविधा के लिये हों सरकार उसको प्रायः हमेशा स्वीकार कर लेती है। इस सम्बन्ध में हमने अपनी थोड़ी नीति यह भी बदली है कि जहां पर प्राइवेट घरों के पाखाने का सवाल उठता है वहां भी यह निर्णय किया कि अगर मेहतर लोग उसके डालने का एसा प्रबंध कर सकें जो म्युनिसिपल बोर्ड की आपत्ति में न आये तो उसका पैसा उनको मिल सकता है और उस पर उनका अधिकार होगा। यह चीज उनके फेवर में की और कोशिश यही होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, किया जाय। लेकिन यह उस समय हो सकता है जब स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड्स इसमें सहयोग करें और हम उनको प्रभावित करें और माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र में इसके लिये कोशिश करें। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

एक बात इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के बारे में कही गई। उसका मैं जवाब दे चुका था। कंधारी बाजार की योजना की बाबत बताया गया कि वह सही और उचित योजना है और वह होनी चाहिये। इसमें इसको कायम रखते हुये अगर कोई सहूलियत दी जा सकती है तो वह देना उचित होगा और इस पर हमेशा विचार हो सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इस अनुदान को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीया, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—कहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अधिष्ठात्री महोदया, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इसके लिये मौका दिया। आज अल्मोड़े का कतई जिक्र नहीं आया और न मैं बोला। लेकिन इसके बावजूद माननीय मंत्री जी ने कई बातें अल्मोड़ के मुताल्लिक कह दीं। कल जब मैं बोला था तो उसका जवाब दिया जा चुका था लेकिन पता नहीं आज मंत्री जी को क्या स्वप्न हुआ कि उन्होंने इसके सम्बन्ध में दस मिनट जाया किये। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता—अब इतना समय नहीं है। आपके इलाके के और लोग बोल चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बहुत सी बातें कही गईं और किसी ने जिक्र तक नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—पर्वतीय इलाके के लोग बोल चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो आप उनको उसी समय रोक देतीं। उन्होंने अल्मोड़े के सम्बन्ध में और मेरे सम्बन्ध में कई बातें ऐसी कह दीं जिसका मुझे जवाब देना जरूरी है। इसलिये मुझे जवाब देने का मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अब समय नहीं दिया जा सकता है। इसके लिये ढाई बजे तक का ही समय है। आप आसन ग्रहण करने की कृपा करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीया, समय बढ़ाया जा सकता है या फिर सब बातें डिलीट कर दी जायं।

श्री अधिष्ठाता—आप बाद में सूचना ले लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—सदन में गलत बातें कही गईं और मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका भी नहीं दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आपकी इधर कृपा नहीं हुई और सोशलिस्ट पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं बोल पाया।

श्री अधिष्ठाता—दूसरी पार्टियों के भी सदस्य रह गये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—किसी पार्टी के नहीं रहे।

श्री अधिष्ठाता—कम्युनिस्ट पार्टी में से भी कोई नहीं बोला।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

"लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा इम्प्रूवमेन्ट स्कीमों से प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेद-भाव का बर्ताव करना और सरकार द्वारा भी पक्षपात की नीति का बरतना तथा सरकार द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों का समर्थन करने आदि पर चर्चा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४२,

विपक्ष में—१०७।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १,०५,१८,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ४७—सूचना संचालन कार्यालय

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—सूचना संचालन कार्यालय—लेखा शीर्षक ४७—प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ४२,६२,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा एक वैधानिक प्रश्न है यहां पर। सूचना विभाग के मंत्री यहां पर विद्यमान हैं। अगर कोई मंत्री नहीं रहते तो वह लिखित रूप में किसी दूसरे को अधिकार देते हैं, नियम और कांस्टीट्यूशन के मुताबिक। लेकिन आज मंत्री जी जब यहां विद्यमान हैं तो क्या उन्होंने लिखित रूप में अपने आप न पेश करके दूसरे के जरिये इस अनुदान को पेश करवाने की प्रार्थना आपसे की है ?

श्री अधिष्ठाता—यह आवश्यक नहीं है कि लिख कर दिया जाय। जब वह बैठे हुये हैं तो अनुमति दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं वह नियमावली का नियम जानना चाहता हूं, कृपया बता दिया जाय कि किस नियम के अनुसार ऐसा हो रहा है ? वह न रहते तो दे सकते थे।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी को अधिकार है कि चाहे लिख कर दें या बैठे हुये भी दूसरे से पेश करवा सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो अनुदान रखा गया है आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सम्पूर्ण अनुदान ३२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

सूचना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपव्यय एवं पक्षपातपूर्ण नीति की आलोचना करना।

मैं यह समझता था कि सूचना विभाग वास्तव में एक पब्लिक रिलेशन्स आफिस—इस दृष्टि से किसी भी राज्य में हुआ करता है। परन्तु मैं यह देखता हूं कि यह सूचना विभाग, सूचना विभाग न हो कर, केवल पार्टी प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया है। यह पोलिटिकल पैट्रोनेज का स्थान हो रहा है क्योंकि इस विभाग के अन्दर जितनी भी नियुक्तियां इसके अन्दर हुई उसमें बहुत-सी नियुक्तियां ऐसी हैं कि जिनमें कभी कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी रहे या कोई क्लर्क रहे और उनको स्थान देना हुआ, तो उनको उन्होंने सूचना विभाग में ला कर रख दिया। मैं यह मानने को तैयार हूं कि सूचना विभाग के जो अधिकारी हैं डाइरेक्टर महोदय, विद्वान हैं, सज्जन हैं, सच्चरित्र हैं, परन्तु जर्नलिज्म का जो अनुभव उन्हें होना चाहिए था, जो सूचना विभाग का अधिपति होने के नाते, सूचना का, समाचार का, जर्नलिज्म का पूर्ण अनुभव होना चाहिए था, उस अनुभव से, वह वंचित हैं और केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध के आधार पर वे इस स्थान पर स्थापित किये गये। इसी प्रकार अगर देखा जाय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु सारे अधिकारी और कर्मचारी इसी दृष्टि से वहां रखे जाते हैं, ताकि पोलिटिकल पैट्रोनेज हो।

एक सबसे आश्चर्यजनक चीज तो यह है कि लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे लोगों के अनाथालय होते हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश के अन्दर बहरे लोगों के लिए सूचना विभाग ही अनाथालय हो

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

गया है और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वहां पर नियुक्तियां होनी चाहिए थीं, वह आज तक नहीं हुईं । ऐसे लोग, जिन को कमीशन ने तीन तीन बार रेकमेंड किया कि इनको असिस्टेंट डाइरेक्टर, या जिस पद के लिए उपयुक्त हों, रखा जाय उनको नहीं रखा गया । कहा यह गया कि ओवर एज हैं । मैं नहीं समझता हूं कि ओवर एज होना अधिक दोषपूर्ण है या फिजिकली विकृत होना । शायद सरकार के लिए वही कम दोषपूर्ण होगा । अभी लोक सभा में मैंने अखबारों में देखा, यह चीज आयी कि एक विश्व-विद्यालय के एक सज्जन जो पैरालिसिस के रोगी थे उनको वाइस चांसलर बना दिया गया । हो सकता है कि इस सरकार ने भी सोचा हो--वह इसी प्रान्त का विश्वविद्यालय है कि हमों क्यों पीछे रहें, सूचना विभाग को बहरों के लिए अनाथालय बना दिया जाय । यह जो नियुक्तियां की गई हैं यह पक्षपातपूर्ण हैं । प्रशासन के बारे में इस प्रकार का विश्वास लोगों के अन्दर जमना चाहिए कि नियुक्तियां जो होंगी उनमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा और मेरिट के ऊपर वह की जायेंगी । लेकिन सूचना विभाग के आज तक के कार्य-कलाप से यह विश्वास जनता में नहीं आया ।

जैसा मैंने पहले कहा, यह पब्लिक लियाजां आफिस होना चाहिए जिससे सरकार और जनता में सम्पर्क स्थापित हो और सरकार के कार्य का विवरण जनता के सामने आये । लेकिन अगर प्रेस नोट्स को ही लेकर देख लिया जाय, १९५६ से १९५८, १९५९ तक के प्रेस नोट्स को आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि सरकारी कार्यों के बारे में प्रेस नोट्स की संख्या घटती चली गई है । लेकिन व्यक्तियों के और मंत्रियों के प्रचार का काम--मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह के काम बहुत हुए हैं । इस तरह के जो कार्य होते हैं और इन्सपायर्ड पब्लिसिटी का जो कार्य होता है वह गलत चीज है । टैक्स-पेयर के रुपये, करदाता के रुपये का जो उपयोग होना चाहिए, राज्य के कार्यों की वृद्धि की दृष्टि से वह उपयोग नहीं हुआ । व्यक्तिगत तारीफ के लिये कार्य नहीं होना चाहिये । किसी शादी की तस्वीर खींचकर अलबम दिया गया हो, क्या यह व्यक्तिगत कार्य नहीं है ? यह राज्य का कार्य नहीं कहा जा सकता है । श्रीमन्, इसी पुस्तक में आप देखें कि इसी कार्य के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में शाखा के अधिकारी मंत्री महोदयों के ११० दौरों में साथ गये और उनसे सम्बन्धित भाषण एवं चित्र समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ भेजे गये, यह लिखा है । अब प्रश्न उठता है कि मन्त्री महोदय हर जिले में दौरे के लिये जाते हैं । हर जिले में अखबारों के सम्वाददाता मौजूद हैं । हर जिले में न्यूज एजेन्सी के सम्वाददाता मौजूद रहते हैं तब भी विशेषाधिकारी मन्त्री महोदय के साथ भेजे जाते हैं । मन्त्री महोदय के भाषण इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि सभी समाचार-पत्र उसको चाहेंगे । तो उनकी एजेन्सी वहां पर मौजूद है जिसके आधार पर वह उसको पा सकते हैं फिर सरकारी पैसे का अपव्यय टी० ए० के नाम पर क्यों किया गया ? इतना ही नहीं, यह भी देखा जाय कि यह जो न्यूज ब्यूरो, जो सारे समाचार देता है, इसके अफसर मंत्री महोदय के साथ दौरा करते हैं । यह स्वाभाविक है कि एक आदमी जब इतने दिनों तक १० महीने या ९ महीने, साल भर में दौरा मन्त्री महोदय के साथ करता है तो कुछ वर्षों के बाद उस व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर एक व्यक्तिगत प्रभाव हो जाता है और मन्त्रिमंडल में जो एक पार्टीबाजी होती है वही न्यूज ब्यूरो के अन्दर आ रही है । इसको छिपाया नहीं जा सकता । सभी जानते हैं कि यह पार्टीबाजी का नतीजा है कि हमारे यहां एफिशियेन्सी सफर करती है । जैसा कि मैंने प्रेस नोट के बारे में कहा, वह भी इसी वजह से सफर करती है । जिस मंत्री के लिये जितनी चेष्टा की आवश्यकता है किसी काम को करने के लिये उतनी चेष्टा वह नहीं करता है और अपनी ताकत के बल पर इधर-उधर करता है । मैं उदाहरण के लिये, यदि चाहें, तो बता सकता हूं । एक पुस्तक लिखी गई और छपी । उसमें अफसरों को धन्यवाद दिया जाता है इस कारण कि उस पुस्तक के लिये उन्होंने मन्त्री महोदय को सहायता दी । क्या यह प्रेस ब्यूरो मन्त्री महोदय की पुस्तक लिखने के लिये है ? क्यों ऐसा किया जाता है ?

पब्लिक रिलेशन का अर्थ तो यह हुआ कि जो सरकारी कार्य है वह नागरिकों तक जाय। समाज के लिये जो कार्य किया जाय उसकी जानकारी जनता को कराई जाय, किन्तु यह जानकारी नहीं कराई जाती है। यह सत्य बात है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर जो चीनियों के आक्रमण द्वारा आतंक खड़ा हुआ है और उसमें जो गलत प्रचार हो रहा है उस गलत प्रचार का खंडन करने के लिये सूचना अधिकारियों ने क्या कार्य किया है इसका विवरण इस पुस्तक में नहीं है। कहां से करें? सूचना अधिकारियों का काम केवल एकमेव जिले के अन्दर यह है कि वह कांग्रेस की पार्टी पालिटिक्स में अधिक हाथ बंटाते हैं और उसका सारा उपयोग और उसकी सारी शक्ति का उपयोग केवल पार्टी पालिटिक्स के लिये किया जाता है। मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि उनकी गाड़ियों का उपयोग स्थानीय कांग्रेस एम० एल० ए० की मर्जी पर होता है, कोई जनता का कार्य हो यह मैं नहीं देखता हूं। क्या यह पार्टी के हित का कार्य नहीं हुआ?

इस पुस्तक में आप देखें कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि कांग्रेस के बंगलोर अधिवेशन के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में सूचना विभाग ने भी अपना एक कक्ष स्थापित किया था जिसमें प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों सम्बन्धी सामग्री इस प्रकार रखी गई कि जिससे प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति का परिचय मिल सके। अब प्रश्न यह उठता है कि देश में केवल कांग्रेस ही राजनैतिक दल नहीं है और भी राजनैतिक दल हैं। क्या सूचना विभाग ने इस प्रकार की प्रदर्शनी का और राजनैतिक दलों के सम्मेलनों में कोई अपना कक्ष स्थापित किया? नहीं किया। यह भी कहा गया कि कांग्रेस दल में ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन बंगलोर सेशन के बारे में समाचार-पत्रों में जो बात छपी उसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उसमें था कि जनरल सेशन अपने उस पंडाल में न करके सबजेक्ट्स कमेटी के पंडाल में सेशन किया इसलिये कि आदमी वहां पर इतने नहीं आये। यह चीज अखबारों में छपी है। टाइम्स आफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी है जिसका पृष्ठपोषण हमारे बहुत से कांग्रेसी मित्र करते हैं।

श्रीमन्, यह भी देखें कि जो यहां पर युवक सम्मेलन हुआ था उसके विषय में मैंने प्रश्न किया था तो यह बताया गया कि सूचना विभाग ने उसमें काम किया। तो क्या यह सूचना विभाग इसीलिये है कि इसका उपयोग यूथ कांग्रेस के लिये हो या ओल्ड कांग्रेस के लिये या रिजेक्टेड या डिजेक्टेड कांग्रेस के लिये हो? इसका उपयोग जनता के लिये होना चाहिये, पार्टी के लिये नहीं होना चाहिये। यह डिसाडेंट्स जनसंघ वाले नहीं हैं बल्कि वे ९० कांग्रेसजन हैं जो उधर बैठे हुये हैं। तो यह जो सरकारी धन का प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये हो रहा है यह गलत है और जो विभाग इस तरह के गलत कार्यों को करता है उस विभाग की चालना दोषपूर्ण है और इससे बचा नहीं जा सकता।

जैसा मैंने कहा, पब्लिक रिलेशंस का काम इनका होना चाहिये और इसके लिये आवश्यकता है कि वे एक्सपीरियेंस्ड जर्नलिस्ट हों। लेकिन जितने भी सूचना विभाग के अधिकारी आज हैं उनको देखा जाय तो उनमें एकाध को छोड़कर कोई भी एक्सपीरियेंस्ड जर्नलिस्ट नहीं है। एक भी ऐसा नहीं है जिसको पब्लिक रिलेशंस का अनुभव हो और जिसको पब्लिक रिलेशंस का अनुभव नहीं है वह क्या काम कर सकेगा? जो एकाध बेचारे दुर्भाग्य से पड़े हुये हैं उनको केवल फाइलें पीसने का काम दे दिया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उनका जो गुण है उसका उपयोग नहीं किया जाता इसलिये कि कुछ लोगों के मन में यह विश्वास है कि ये हमारे आदमी हैं। यहां तक कि मैं श्रीमन्, यह सरकार से जानकारी चाहूंगा कि यह सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि इस विभाग में एक कर्मचारी हैं जिनका सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से है लेकिन आज तक उस कर्मचरी को निकालने का

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कोई प्रयास नहीं किया गया और उस समय जब कि वह हमारे सामने एक कंटक बनकर खड़ी हुई है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--अगर वह जनसंघ का आदमी होता तो आप नहीं कहते ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--आप इधर आकर बैठिये तो मालूम पड़ेगा कि हम क्या कहेंगे । अधिष्ठात्री महोदया, क्या करूं मजबूर हो जाता हूं तब कहता हूं । जब घोड़े के नाल ठुंकती है तो मेंढकी की टांग में पीड़ा होती है ।

श्री अधिष्ठाता--आप अपने भाषण पर ही रहिये, सुनिये कम ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मजबूरी होती है । जब उधर से कुछ कहा जाय तो जवाब देना ही पड़ता है । जब हिरन दिखाई देगा तो गोली चलेगी ही चाहे वह काला हो या गोरा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--यह कहीं जौनपुर की बात तो नहीं है ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--देवरिया का नहीं है, घबड़ाइये मत । जौनपुर तो वह जगह है जहां की तूला से बड़े से बड़े मंत्री भी घबड़ाते हैं । तो श्रीमन्, इस बात की जानकारी के बाद भी, कुछ लोगों को कृपापात्र होने के नाते रखा जाता है, यह उचित नहीं है और मैं इस कार्य को दोषपूर्ण कहता हूं ।

मैं एक दूसरा उदाहरण दूं । इसी सूचना विभाग में एक अधिकारी हैं जिन्होंने ढाई तीन हजार का एक Leica कैमरा गायब किया और आज करीब ढाई तीन वर्ष हो गये लेकिन क्या कदम उठाया गया ? इस तरह की सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग करने पर कोई कदम नहीं उठाया गया, यह कार्य दोषपूर्ण है, गलत है और दूषित है ।

अधिष्ठात्री महोदय . . . .

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--महोदया कहिये, इधर अधिष्ठात्री को महोदया कहा जाता है, महोदय जनसंघ की तरफ कहा जाता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--ठीक है महोदया उधर रहती हैं, महोदय इधर रहते हैं । मैं यह समझता था कि प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी के मेम्बर्स वही होंगे जो प्रेस में कार्य करने वाले होंगे, लेकिन आज ऐसे लोग भी उस में हैं जो साल भर से एडीटर नहीं रहे, जिनका अखबार बन्द हो गया और फिर भी वे प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी में रखे गये । इसका एक उदाहरण है यह कि ऐसे ही लोग रखे जाते हैं जो सरकार की हां में हां मिलाते हैं । यह जो प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी की बात कही गयी यह तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक बात और बताऊं इसी सूचना विभाग की कि जो लोग कल्चरल काम करते हैं, आजकल कल्चरल कार्यक्रम का मतलब तो नाचना गाना है, तो उस दृष्टि से यह नाचने गाने वालों का कार्यक्रम है, आखिर उसके पीछे कोई दृष्टिकोण होना चाहिये, कार्यक्रम बनाने के पीछे, उसे रखने के पीछे, देश का, काल का, संरक्षण करने का कोई दृष्टिकोण होना चाहिये (व्यवधान) । आप कहिये, अपनी बात कहिये हिम्मत कर के (व्यवधान) । राजा लोग तो नाचने गाने के शौकीन थे और मैं भी बीच बीच में आपका नाचना गाना देख रहा हूं । तो अधिष्ठात्री महोदया, कल्चर के नाम पर जो खेल तमाशा हो रहा है उसके पीछे न कोई योजना है, न दृष्टिकोण, और न उसके संरक्षण का ही कोई कार्य है । किसी विशेष अधिकारी को कोई चीज पसंद आ जाती है कल्चर के नाम पर वही चीज वह शुरू

करा देता है । मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि इसके लिये विधायकों की एक कमेटी बनायी जाय, और लोग भी रह सकते हैं उसमें, और वह देखे कि जो कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं, जिनका समाज में प्रदर्शन किया जाता है, वह कैसे हैं, वह उनका मूल्यांकन करे कि वह उचित है अथवा अनुचित । ऐसे भी कार्यक्रम रखे जाते हैं कि जिनको लोग देखते ही नहीं। सरकारी पैसा खर्च होता है, प्रोग्राम होता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होता । यह पक्षपातपूर्ण ढंग जो है वह गलत है ।

सूचना विभाग के कार्यों का, जैसा मैंने कहा, अधिष्ठात्री महोदया, प्रदर्शन, सरकारी और राजकीय कार्यों का प्रदर्शन समाज में होना चाहिये । लेकिन इंस्पायर्ड पब्लिसिटी होती है और यह खतरनाक है । इस विभाग के जो कृपापात्र हैं उनको किसी तरह से पैसा दिया जा सके इसके लिये उनसे लेख लिखवाये जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का गला घोंटा जा रहा है । जब विचारक और लेखक राज्य के अधीन हो जायंगे तो स्वतंत्र विचार असम्भव हो जायगा । इंस्पायर्ड पब्लिसिटी का दूसरा अर्थ यह होता है कि सत्ता जिसके हाथ में होती है वह उसके आधार पर अपने को ईश्वर का स्वरूप बनाना शुरू कर देता है और इसके द्वारा हीरो वर्शिप का भी रूप खड़ा किया जा सकता है, चाहे उस मनुष्य के पैर कितने ही मिट्टी के बने हुए क्यों न हों । तो इस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है ।

आप और देखें । हजरतगंज में सूचना कार्यालय है । वहां लिखा हुआ है कि पुस्तकें देखी जा सकती हैं । मैं वहां की लाइब्रेरी में गया । मुझे कोई लेटेस्ट पुस्तक वहां नहीं दिखायी दी । जिस के लिये मैंने पूछा, पता चला कि फलां अधिकारी के यहां गयी है, फलां के यहां गयी है । मैंने पूछा कि किताब खरीदने के लिये क्या कोई कमेटी है और क्या स्टाक टेकिंग होती है ? उत्तर मिला कि न स्टाक टेकिंग होती है और न कोई कमेटी ही है । तो आखिर किस आधार पर किताबें मंगायी जाती हैं । जिसको जो किताब पसंद आ गयी, जिस अधिकारी को पसंद आ गयी, वही आ गयी । वहां स्टैंडर्ड वर्क्स और किताबें होनी चाहिये । उनका संरक्षण होना चाहिये और वह समाज के लोगों को मिल सकें, उनका सदुपयोग हो सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिये । वह किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बननी चाहिये ।

किताब छापने के लिये अपने लोगों का पृष्ठपोषण किया जाता है । जिसको पैसा देना है, ओबलाइज करना है, जिसका मुंह बंद करना है, उसकी किताब छपवा दी या एडवर्टाइजमेंट दे दिया । जिस अखबार ने सदन का अपमान किया और सरकार के खिलाफ खूब लिखा और जिसे बुला कर यहां तक लाया गया, घुमाया गया, उसी को हजारों रुपये का एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया । क्या यह करप्शन नहीं है ? यह दुरुपयोग है उस पालिसी का, जो स्वतंत्र विचार रखने वाले समाचार पत्र हैं, जो सरकार की टीका टिप्पणी करते हैं उनको विज्ञापन न दे कर उनका गला घोंटा जाता है और उसका नतीजा यह है कि स्वतंत्र जर्नलिज्म देश में समाप्त हो रहा है ।

प्रोग्रेस के बारे में विधान परिषद् में काफी चर्चा हो चुकी है । इतनी प्रोग्रेस होती है कि लोग मैगजीन पढ़ते ही नहीं । मैं एक बात गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा इसलिये कि वे सूचना मंत्री भी हैं । पुलिस बजट पर बोलते समय मैंने यह कहा था कि एक अधिकारी ने कुछ गड़बड़ी की । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार को क्या पता है कि वही अधिकारी महोदय इस छुट्टी में फिर से बम्बई गये और अगर गये तो क्यों गये ? माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ।

अंत में मैं एक सुझाव और माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं । आज इस विभाग के कर्मचारियों में, इस विभाग में, बड़ा द्वेष है, खींचातानी है, बड़ी गड़बड़ी है । आज

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

इस विभाग के लिये जनता में अविश्वास की भावना फैली हुई है। इस विभाग के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसका दुरुपयोग होता है। इन सब बातों को देखते हुये आज इसकी जांच कराने की आवश्यकता है कि यह सब क्यों है ? इसका कारण क्या है ? इसके लिये मैं यह मांग करूंगा कि माननीय मंत्री जी एक हाई पावर कमेटी बैठायें और उसके द्वारा इन सब बातों की जांच करायें ताकि जो भी खराबियां हमारे सामने आयें उन पर विचार किया जा सके।

*श्री राम लक्षमण तिवारी (जिला बलिया)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं सूचना विभाग का जो उद्देश्य है, उसे समझता हूं और वह यह है कि वह राज्य की नीति और रीति को जनता में प्रसारित करे, और जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती रहे कि सरकार की क्या रीति है, क्या नीति है। उस नीति का पालन करके सरकार जनता को कहां तक लाभ पहुंचा पायी है तथा उसने कहां तक प्रगति की है, इन सब बातों को बतलाना सूचना विभाग का काम है। इन सब बातों को सामने रखकर जब हम सूचना विभाग को कसौटी पर कसते हैं तो यह देखते हैं कि वह इस कार्य में बिलकुल असफल हुआ है। हालांकि विरोधी पक्ष के लोगों की दृष्टि में यह विभाग सरकार की नीति का ही बहुत व्यापक रूप से प्रसार करता रहा है और सरकार के ही प्रचार की मशीनरी रहा है और अभी राजा साहब ने जितनी बातें कहीं उन सब बातों को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे वह कांग्रेस की मशीनरी ही हो और कुछ व्यक्तिगत लोगों को तुष्ट करने का ही साधन हो। लेकिन मैं इसके विपरीत इस विभाग को यह मानता हूं कि यह विभाग बिलकुल एक तरह से लंगड़ा हो रहा है और जो उसका उद्देश्य है उसे वह सिद्ध करने में सफल नहीं हो रहा है। आज कांग्रेस की जो कुछ नीति है, उसका जो उद्देश्य है, उसी नीति को लेकर शासन चलाया जा रहा है। शासन की नीति में और कांग्रेस की नीति में एकता रहना अनिवार्य है और अगर यह एकता है तो जो कुछ भी सूचना विभाग का कार्य होना चाहिये था उसके कार्यों में एकता होनी चाहिये थी। पार्टियां विरोध करेंगी, लेकिन वे अपने उसूल को लेकर विरोध करती हैं। अपनी नीति और अपने कार्य-क्रम को लेकर विरोध करती हैं। उस नीति को और उस कार्य-क्रम को हम कहां तक उचित समझते हैं इसका स्पष्टीकरण करना सूचना विभाग का काम होना चाहिये था। सूचना विभाग स्वयं अस्तित्व रखता और सरकार की नीति से उत्प्राणित होकर जनता के बीच काम करता तो वह ज्यादा सफल होता।

मैं प्रधान कार्यालयों की बात तो नहीं जानता, लेकिन जिलों में जो सूचना विभाग हैं उनकी बाबत जानता हूं। वहां पर यह विभाग अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं और जिलाधीश की पूंछ में बंधे हुये हैं। कहीं पर भी जिलाधीश का दौरा होता है, सूचना विभाग के कर्मचारी उसका प्रचार करते हैं। जिलाधीशों को माला पहिनाने की व्यवस्था करते हैं, उनके जय-जयकारों की व्यवस्था और प्रबन्ध करते हैं। इस तरह से सूचना विभाग का जो असली उद्देश्य होना चाहिये वह बिलकुल खत्म सा हो रहा है। अगर आज सूचना विभाग सचमुच अपना कार्य ठीक ढग से करता तो सम्भव है कि जनता को निर्वाचन के समयों पर कांग्रेस गवर्नमेंट की नीति को समझाने के लिये सरकारी कर्मचारियों को नहीं जाना पड़ता बल्कि सूचना विभाग का ही प्रचार पर्याप्त पृष्ठ-भूमि छोड़े रहता जिससे कोई भी यहां बैठा हुआ व्यक्ति अपने प्रचार के लिये खुद प्रयास करता नहीं दिखाई देता।

विरोधी पक्ष के लोगों को यही नजर आता है कि सूचना विभाग पार्टी प्रोपेगेंडा में लीन है, लेकिन पार्टी के लोगों को यही हमेशा समझ में आता है कि उसका कार्य विपरीत दिशा में है। पार्टी के लोगों के भले ही समझ में न आवे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कुछ कमजोरी है अपनी हुकूमत के अन्दर ही कि जब राजा साहब का भाषण होता है, राजनारायण जी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण होता है तो यहां पर कुछ ऐसा महसूस किया जाता है कि सारा राज-काज विरोधियों की आलोचनाओं पर ही अवलम्बित है और अपनी नीति का विरोधियों की बात सुनने के बाद ही निर्णय किया जाता है। इसी कमजोरी के कारण जो उद्देश्य इस विभाग का होना चाहिये वह नहीं पूरा होता। मैं तो राज संचालन मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मजबूती के साथ अगर इस विभाग को रखना है और कुछ कार्य चलाना है तो जो इसका उद्देश्य है उसको सामने रखकर कदम उठाया जाना चाहिये और अगर मजबूती के साथ कदम उठाने में विरोधियों की बातों से कुछ कमी आती है तो विरोधियों की बातों को सुनकर के अपनी नीति में ही परिवर्तन कर देना चाहिये, यही मैं सबसे अच्छा अंदाज समझता हूं। नहीं तो इस विभाग को अगर वह अपने कार्य को संपादित करने में पूरा पूरा योगदान नहीं कर पा रहा है तो, बन्द करना ही श्रेयस्कर होगा।

जहां तक अनुदान का संबंध है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बड़ी दुहाई इस सदन में दी जाया करती है। पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने हुए डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर इस प्रदेश में शासन कार्य संचालित कर रहे हैं, लेकिन उसके चलाने वाले लोगों की भी भर्त्सना और निन्दा नित्य ही इस सदन में उधर से और इधर से सुनने को मिलती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि पब्लिक सर्विस कमीशन भगवान से गढ़ी हुई जमाअत है, या कोई ऐसी दैवी शक्ति सम्पन्न जमाअत है जो चुनाव करती है तो जरूर अच्छा करती है और अगर सरकार के आदमी उसको अच्छा न समझ करके नहीं मानते हैं तो वह गलत काम कर दिया करते हैं। जिस तरह अदालतों में हाई कोर्ट की रूलिंग पेश की जाया करती है उसी तरह से इस सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन की दुहाई दी जाया करती है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की ही खुद हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिये और आज जितने खराब किस्म के अधिकारी चुने जा रहे हैं और इतने लो स्टैंडर्ड के जो अधिकारी जिलों में शासन कार्य संचालित करते दिखलाई देते हैं, क्या कभी ऐसे दिखलाई दिये थे? तो मैं तो यही कहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हुये लोगों की ही पहले जांच करायी जानी चाहिये कि उन लोगों का दिमाग ठीक है या नहीं, उसके बाद दूसरों की जांच होनी चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन कोई बहुत दैवी शक्ति से सम्पन्न ऐसी सत्ता नहीं है कि उसका चुनाव बहुत ही श्रेयस्कर होता है। एक अधिकारी को वह बुरा समझ सकता है और उसी को हमारे सदन में अगर उपस्थित कर दिया जाय तो सारा सदन उसको अच्छा भी कह सकता है।

ऐसी सूरत में मैं तो, राजा साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसका बहुत विरोध करता हूं और जो सरकार की ओर से अनुदान रखा गया है, इस सुझाव के साथ उसका समर्थन करता हूं कि सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिये और अपनी नीति में, रीति में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिये। इस संस्था को बिलकुल स्वतंत्र करना चाहिये और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का इसको अवसर देना चाहिये और इसका सीधा नियंत्रण सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिये। जिलाधीशों के हाथ में इस चीज को देकर इसको खत्म किया जा रहा है और जनता की जो सेवा अपेक्षित है वह उसके द्वारा नहीं हो पा रही है और न राष्ट्र की रीति और नीति का प्रदर्शन करना हमारा जो उद्देश्य है उसमें कामयाबी मिल रही है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण—अधिष्ठात्री महोदया, जो कटौती का प्रस्ताव दुबे जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। मेरी अपनी निजी राय है और यह राय आज की नहीं बहुत पहले से है कि सरकार जिस ढंग से सूचना विभाग को चला रही है उससे न जनता का हित होता है और न किसी प्रकार की मर्यादा सुरक्षित हो रही है और न किसी प्रकार से सरकार का ही व्यापक हित हो रहा है, इसलिये उस विभाग को तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। सरकार की

[श्री राजनारायण]

ओर से एक तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि आज जब सारी दुनिया में सरकारों को अपने किये हुए कार्यों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है तो हम क्यों बन्द कर दें। कभी-कभी यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि रूस बहुत कम पैसे में अपनी सूचनाओं को देता रहा है, रूस की जो किताबें छप रही हैं वह हल्के दामों की होती हैं। सरकार की ओर से ऐसे भी प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं कि अमरीका भी बहुत सस्ती कीमतों पर प्रचार कार्य को चला रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अपने सूचना विभाग के जरिये आजतक ऐसे कौन से कार्य किये हैं जिनके बारे में कहा जा सकता हो कि यह कार्य जनता के हित में किया गया है, या किसी सच्ची बात की जानकारी जनता को कराई गई हो सूचना विभाग की ओर से।

सूचना विभाग के जरिये आज भ्रष्टाचार और करप्शन हो रहा है। किसी भी देश के स्वस्थ विकास के लिये और जनतांत्रिक प्रणाली को विकसित करने के लिये आवश्यकता होती है कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता अक्षुण्य रहे। लेकिन आज हमारे सामने अनेकों उदाहरण प्रस्तुत हैं कि पत्रकारों को भ्रष्ट किया जा रहा है सूचना विभाग के जरिये से, पत्रकारों को पैसा दे देकर लेख लिखवाये जा रहे हैं इस विभाग के द्वारा। इसी सदन में जितने भाषण होते हैं उनके इधर-उधर के आंकड़ों को जुटाकर सूचना विभाग के जरिये से पत्रों में लेख लिखवाये जाते हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? इसके जरिये किसका विकास होगा? यद्यपि समय की कमी है, मगर मैं आपके द्वारा, सूचना विभाग ने जो कार्यविवरण प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि दुबे जी ने बहुत सही बात कही कि कला का प्रदर्शन करना सूचना विभाग ने अपना काम समझ रखा है। कला किसके लिये? कला कला के लिये। कला स्वान्तः सुखाय होगी या बहुजन हिताय होगी, इसका विवाद बहुत समय से चलता रहा है। हो सकता है कि सूचना मंत्री जी कहें कि नहीं, कला स्वान्तः सुखाय होती है। मगर कला स्वान्तः सुखाय तभी होगी, जब कि बहुजन हिताय होकर परस्पर विभेद-आर्थिक और सामाजिक मिट जाय। तो कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब कि कला कला के रूप में चरितार्थ हो सकती हो, मगर आज के जमाने में ऐसा हमने तर्क प्रस्तुत कर दिया तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को भ्रम हो, मगर मैं उनसे निवेदन करूंगा—समाजवादी दोस्तों से और कम्युनिस्ट दोस्तों से कि अगर वह मार्क्स के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इसकी काफी चर्चा मार्क्स ने भी की है जब कि उसने इस बात को भी माना कि अगर कम्युनिज्म की स्थापना हो जाय एकार्डिंग टु मार्क्स (आजकी कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिज्म नहीं), उसने द्वितीय सोपान की बात की, उसमें एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब कला कला के लिये, ऐसा नारा चरितार्थ करना उसमें संभव हो मगर आज अगर कला स्वान्तः सुखाय की ओर ले चले तो हमारा देश भ्रष्ट हो जायगा, बर्बाद हो जायगा, रसातल को पहुंच जायगा।

अब मैं उदाहरण के रूप में कुछ पूछना चाहता हूं। "ग्राम्या" एक हिन्दी में पुस्तिका निकलती है सूचना विभाग की ओर से। हमारी जानकरी है कि इसकी ८ हजार प्रतियां छपती हैं। इसी प्रकार से 'प्रगति' की अंग्रेजी में २५ हजार कापियां छपती हैं और इसकी कीमत दो रुपया प्रति कापी आती है, जब कि इससे अच्छी पत्रिकायें बाजार में चार, छः और आठ आने में बिकती हैं। तो फिर दो पये की पत्रिका कौन खरीदेगा? जब उनकी बिक्री नहीं होगी तो डाइरेक्टर साहब विचलित होंगे और सूचना अधिकारियों को परेशान करेंगे, उनके सम्मुख भाषण देंगे कि इसमें हमारे सम्मान का प्रश्न है इनको गांव सभाओं में भेजो। आजकल गांव सभा हर सरकारी विभाग के विचारों को पूरा करने का साधन बन गयी है। जो भी कुछ किसी विभाग के दिमाग में झक आ जाय उसको वे पूरा करें। मेरी सूचना है कि सरकार की ओर से जो काउन्सिल में उत्तर दिया गया था, वह गलत है। करीब १,८०० रुपये सूचना विभाग की पत्रिका की बिक्री से प्राप्त हुये। बहुत सी पत्रिकायें जिलों को दे दी गयीं और वहां के सूचना कार्यालयों में पड़ी हुई हैं। उनको कौन लेगा? २ रुपया देकर ऐसी पत्रिका को कौन

खरीदना चाहेगा ? आखिरी पेज पर उसके राधा और कृष्ण का गले मिलन है। वाराणसी के घाटों का उसमें वर्णन है। उसके नीचे उर्दू में लिखा हुआ है :

अज़ बनारस नरवम, माबिन्दे अस्तईज़ा ,
हर ब्राह्मण पिसरे लक्ष्मणों रामस्त ईज़ा।

इसका अर्थ हुआ कि मैं बनारस छोड़कर नहीं जाना चाहता क्योंकि यह सभी का धर्म स्थान है। यहां का हर इन्सान इतना पवित्र है कि वह राम और लक्ष्मण का बेटा मालूम होता है। मुझे तो मालूम नहीं कि बनारस में ऐसी क्या रमणीयता है। बनारस के घाटों की रमणीयता का जहां तक सवाल है, मुझे मालूम नहीं आपने उनको देखा है या नहीं, मैं नहीं समझ सका कि वह क्यों उनको पूज्य हैं। कहा गया कि वहां का हर ब्राह्मण (व्यक्ति) लक्ष्मण और राम का बेटा है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री जी यहां क्यों विराजमान हैं? बनारस में क्यों नहीं बैठते ? क्यों नहीं दशाश्वमेध घाट पर रमणीय पताका के नीचे वे बैठते और कमंडल लेकर लोगों पर जल छिड़क कर क्यों उनको शुद्ध नहीं करते ? जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय डायरेक्टर महोदय भी वाराणसी के ही रहने वाले हैं जिन्होंने 'प्रगति' के निकालने और उसके बिकवाने में बड़ा उत्साह दिखाया। डायरेक्टर महोदय भी बनारस की गलियों को छोड़कर क्यों यहां आ गये ? वहां जाकर क्यों नहीं वे भी अपने कार्यकलाप को चलाते ?

अब यह हमारा दुर्दिन कहिये या अभाग्य कहिये, देश का या प्रदेश का कि हम किसी बात को उठाते हैं तो उसका अर्थ दूसरा ही लगा लिया जाता है। उस दिन से मैं बहुत डर गया हूं जब से हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर समझा गया कि हम उनकी निन्दा करते हैं। हमें चिन्ता हो गयी है कि हम यहां पर कौन सी वाणी का प्रयोग करें। एक मर्तबा १९५५ में यहां डिप्टी डायरेक्टर, इन्फार्मेशन के संबंध में पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने साक्षात्कार हुआ। उसमें तीन नाम चुने गये, उसमें नाम थे---श्री विद्या निवास, श्री रमेश चन्द्र और श्री भगवानदास जैन। उनका साक्षात् हो गया उन्होंने इन नामों को दे दिया। सन् १९५५ से लेकर अब तक वे नाम टलते चले आये। १९५९ में फिर एडवर्टिजमेंट हुआ। उसमें भी साक्षात् हुआ। उसका क्रम इस प्रकार है---मिस सरला सहानी, डाक्टर पी० बी० सिंह, श्री रमेश चन्द, श्री सुरेश जोशी। इस प्रकार से नाम आये हैं। अब मालूम नहीं इनका क्या होने वाला है। हो सकता है अगर वे विभाग के कृपापात्र न हों तो वे भी न लिये जायं।

राम लक्षण जी की नीति का मैं पूर्णतया समर्थक हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन कोई ईश्वरीय देन नहीं है। ईश्वर ने उसको अपने हाथ से गढ़ कर नहीं बनाया है। उसके काम का जरूर निरीक्षण होना चाहिये क्योंकि सरकारी प्रवक्ता की ओर से यह बात उठायी गयी है। इसको समय समय पर हम भी उठाते रहे हैं। राम लक्षण जी जब इस नीति के हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन गड़बड़ी कर रहा है और वह गड़बड़ी ऊपर से करायी जा रही है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिये। फिर यह विभाग रहे या न रहे, उसकी आवश्यकता है या नहीं, इसको माननीय मंत्री जी देखें।

एक सवाल आज यहां उठ खड़ा हुआ है, मगर मैं सदन की जानकारी के लिये बतला दूं कि उस संबंध में सूचना मंत्री जी से मेरी बात हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मेरी बात हुई। कुछ सूचना अधिकारियों का मई के महीने में साक्षात्कार होने के लिये प्रार्थना-पत्र मांगा गया, फिर आखिरी तारीख बढ़ायी गयी आवेदन-पत्र देने के लिये ताकि जिस व्यक्ति को वहां भेजना था उसका भी आवेदन-पत्र चला जाय। वह समय से नहीं दे पाया इसलिये इशारेबाजी हुई, डोरी खींची गयी, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखाया गया कि विभाग के बहुत से लोग आवेदन-पत्र नहीं दे पाये हैं इसलिये और किसी को आवेदन-पत्र भेजना हो तो भेज दें। अब नवम्बर में आवेदन-पत्र जाता है, किसका आवेदन-पत्र है, कौन व्यक्ति है, किन-किन कर्मचारियों से संबंधित है, इसकी पूरी जानकारी सदन को करायी जानी चाहिये, तब उसमें जाकर आगे का एक क्रम बनना चाहिये।

[श्री राजनारायण]

एक दिक्कत यहां पेश हुई। यह सही है कि जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी को खपाया स्वतंत्रता संग्राम में, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है वे अनावश्यक ढंग से सरकारी आफिसरों के रोब के सामने नतमस्तक नहीं होते। कुछ राजनीतिक पीड़ित जो सन् १९४७-४८ से सूचना विभाग के कार्यों में संलग्न रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे राजनीतिक पीड़ितों के काम से कभी कभी विभाग के अधिकारी प्रसन्न न हों। परन्तु हमारी जहां तक जानकारी है, उनका जो चरित्र चित्रण (character roll) होता है, उसमें उनके काम को कभी खराब नहीं लिखा गया है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन २२ आदमियों को छांटा है उनमें से करीब, मेरी जानकारी के मुताबिक, १८ या १६ ऐसे हैं जो पुराने राजनीतिक पीड़ित हैं। उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मेरी निजी जानकारी है और जो मेरे साथ जेल में रह चुके हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी में रह कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि सन् १९४७-४८ से लेकर सन् १९५८-५९ तक जिनकी सेवा की हमेशा प्रशंसा हुई, जिनकी सेवा की तारीफ की गयी, जो प्रशंसा के पात्र माने गये हैं, क्या कारण है कि अब उनको वहां से हटाया गया है ? मुझे सूचना दी गयी है और मेरी जानकारी में यह बात करायी गयी है कि यहां के उच्च अधिकारियों ने किसी प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन को इस बात के लिये राजी किया है कि ये जो ऐसे लोग हैं जो अपने काम को काम समझते हैं जो उनके यहां दरबारगीरी नहीं करते, जो उनके बच्चों को नहीं खिलाते पिलाते, जो उनकी औरतों को मोटर ड्राइवरी नहीं सिखलाते, ऐसे लोगों को निकाल दिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों की, जो राजनीतिक पीड़ित हैं और जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने छांटा है उनकी शिकायतों का क्रम १०,१२ साल के अन्तर्गत क्या रहा है, वह इस सदन के सामने रखा जाय कि किस किस ने किस किस स्थान पर काम किया, उसकी पूरी चर्चा सदन के सामने होनी चाहिये ; राजनीतिक पीड़ितों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने मुझे बतलाया, करीब एक हफ्ता पूर्व कि हमने उनके मामले को फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा है कि वह इनके मामले पर खासतौर से फिर से विचार करें।

इसके अतिरिक्त माननीया, मेरे सामने एक लम्बी लिस्ट है, इस लम्बी लिस्ट को पढ़ने में काफी समय लगेगा। यह सारी सूचना विभाग की गड़बड़ियों के संबंध में है जिसमें आप यह देखें कि अगर एक इंजीनियर है वाराणसी में तो नियम के अनुसार वह वाराणसी डिवीजन में अपने किसी निकटतम संबंधी को ठेके का काम नहीं दे सकता है। अगर कोई सूचना विभाग का बड़ा अधिकारी हो, डाइरेक्टर हो या सरकारी सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, वह उसी विभाग में निकटतम संबंधी रखे और उसमें साला भी हो, साले का भाई भी हो, साले का बहनोई भी हो, तो फिर यह क्या चीज है ? इससे कोई मर्यादा बढ़ती नहीं है बल्कि मर्यादा टूटती चली जाती है और फिर हमारे सदन की, प्रदेश की और देश की मर्यादा रह ही नहीं जायगी।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय दुबे जी ने इस पर काफी रोशनी डाली है कि आखिर यह है क्या ? यह सूचना विभाग काहे को है, क्यों हम इसको इस प्रकार से फुलायें-फलायें, खिलायें-पिलायें ? क्या इसलिये कि किसी के जन्मोत्सव पर लड़कियों का नाच कराया जाय ? किसी के जन्मोत्सव पर जो वैश्यावृत्ति में लगी हुई वेश्यायें हैं उनका नाच कराया जाता है। इस पूरे प्रदेश में मेरी जानकारी है कि कई जगह के सूचना अधिकारी इस प्रकार से वैश्याओं के नाच में लहू हैं कि जो वैश्यायें नाचने गाने में प्रवीण हैं उनका नाच-गाना सरकारी उत्सवों में कराया जाता है। मैं माननीय सूचना मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फिल्म कैसे खींचे जाते हैं, कितना पैसा उनके लिये दिया जाता है, उसके क्या रेट्स हैं और किन-किन मंत्रियों से संबंधित लोग इस काम में लगाये गये हैं ? वह कृपा कर इसकी पूरी जानकारी सदन को करावें तब कहीं यह मामला हल हो सकता है।

मैंने पहले भी सदन में यह बात कही थी कि सूचना विभाग के संबंध में एक स्पेशल आडिट नियुक्त हो, उस में विधान सभा के सदस्य भी रखे जायं और वह तमाम बातों की पूरी

जानकारी करे तब मालूम होगा कि विभाग में कहां-कहां क्या खराबी है। ऐसे अफसरों को हटाया जाता है जो ईमानदारी से काम करते हैं। एक बार वहां होता यह है कि डाक में एक हजार का नोट आ गया, संबंधित अफसर के दिमाग में पता लगाने की बात आई कि कहां से यह आया ? तब पता लगा कि वह एक ऐसे प्रेस से आया है जिसमें विभाग की छपाई होती है। एक लाख पुस्तकों की छपाई का आर्डर हुआ, तो ४,००० छप कर आये और दाम दिये गये एक लाख के। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है ? सूचना विभाग की तरफ से जितनी पुस्तकें, पत्रिकायें छपी हैं उनकी क्या तादाद है, वह कितनी आई, क्या हिसाब उनका है, उनमें से कितनी की बिक्री हुई, कितनी मुफ्त बांटी गई, इस का पूरा ब्योरा सदन में आना चाहिये। वह जब तक न आये सदन को यह अनुदान पास नहीं करना चाहिये। यह चीज साफ कर दी जाय और विभाग निर्दोष साबित हो तो यह जरूर पास होनी चाहिये।

श्री धनुषधारी पांडेय---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, जो अनुदान मनानीय सूचना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत है उस पर मैं अपने विचारों को, जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार, सदन के समक्ष आप के द्वारा रखना चाहता हूं। साथ ही साथ इस अनुदान का समर्थन करते हुये मुझे सब से पहले एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना बहुत ही जरूरी है। सब से बड़ी बात जो आज हमारे सूबे में सूचना विभाग की ओर से हो रही है, हो सकता है कि मंत्री जी को यह पता न रहा हो, कि इस विभाग में २६-२७ इन्फार्मेशन आफिसर निकाले जा रहे हैं जिसमें से १५-१६ राजनैतिक पीड़ित हैं जिन्होंने देश के निर्माण में, आजादी की पुकार में स्वयं और अपने घर वाले व पड़ोसियों को लेकर देश की कुर्बानी में अपने खून को देकर भाग लिया और देश के निर्माण में लगे रहे। आज १४-१५ साल की सर्विस के बाद वह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बेकार साबित कर दिये जाते हैं, उनकी सर्विस आज नहीं रही। साथी राजनारायण जी ने और त्रिपाठी जी ने इशारतन अपनी भावनाओं को इस विषय में व्यक्त किया। आश्चर्य यह है कि सूचना विभाग के अधिकारी भी उस सेलेक्शन कमेटी में कमीशन के साथ बैठे थे और मेम्बर थे, लेकिन ५० प्रतिशत इन्फार्मेशन आफिसर बेकार कर दिये गये। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह अधिकारी भी, जिन्होंने उनसे इतने दिन तक काम लिया वह भी इस योग्य नहीं हैं कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठते। जिन्होंने इतने दिन तक काम लिया और रिमार्क दिया कि वह अच्छे हैं लेकिन कमीशन के साथ बैठकर कहते हैं कि निकम्मे हैं, बेकार हैं। मैंने तमाम माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुना और मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि कोई भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है जो इस मत से सहमत न हो कि जितने निकाले गये हैं वह निकम्मे नहीं हैं। वह पूर्णतया होशियार हैं और उनको रखा जाय। इन सब बातों को देखते हुए मैं सरकार से कहूंगा कि उनको फिर से नौकरी पर रखने का विचार किया जाय और जिस अधिकारी ने इस तरह से उनके ऊपर कुठाराघात किया है उनके लिये भी उचित कार्यवाही होना जरूरी है।

माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कहा कि बंगलोर सेशन में ही नहीं कांग्रेस, की और सभाओं में भी जो बड़ी-बड़ी होती हैं सूचना विभाग को इस्तेमाल किया जाता है। मैं दुबे जी से ही नहीं, पूरे सदन से कहूंगा कि सरकार की सारी नीति को सूचना विभाग प्रसारित करता है, और जहां भी बड़ी-बड़ी मीटिंग होंगी, जिसमें सरकार सम्मलित होगी उनमें सूचना विभाग अवश्य शामिल होगा। यह नीति की बात है। आप भी वैसा ही करेंगे।

दुबे जी ने सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में कहा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम उनको अगर बुरा लगता है तो शहरों में जो आजकल सिनेमा का प्रचार है उस पर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहिये था जिसकी वजह से हमारे बच्चों का आचरण गिर रहा है। लेकिन उसके बारे में नहीं कहा क्योंकि उसमें वह स्वयं शरीक होते हैं, बच्चे और बुजुर्ग भी शरीक होते हैं। उनको सिनेमा का भी विरोध करना चाहिये ताकि हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। आचरण कैसे बनता है यह भारतीय संस्कृति से ही आप सीख

[श्री धनुषधारी पांडेय]

सकते हैं। श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए भी जरा हिचक नहीं है कि सरकार ही नहीं, बल्कि सरकार के बनाने वाले और विरोधी दोनों ऐसी-ऐसी जगहों पर बड़े प्रेम के साथ हथेली मिला कर जाते हैं।

अब मैं अपने जिले के सूचना विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बस्ती जिला प्रान्त में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा जिला है। वहां दो अधिकारी रखे गये हैं लेकिन सालों गुजर गये आज तक विभाग के लिये सवारी की व्यवस्था नहीं हुई जो कि अविलम्ब होनी चाहिये जिससे प्रचार के काम में सहूलियत हो। चलते फिरते सिनेमा वगैरह को मोटर गाड़ी नहीं दी गई। सूचना अधिकारियों की खराबी की तरफ ध्यान गया, उनको निकाल दिया गया क्योंकि वह राजनीतिक पीड़ित थे, एम० ए० तक पढ़े थे, १४ साल की नौकरी के बाद भी निकाल दिया जब कि उनका कैरेक्टर रोल बहुत अच्छा रहा। लेकिन इधर ध्यान नहीं गया कि बस्ती जिले में विभाग के काम के लिये गाड़ी दी जाय। आपका लक्ष्य तो दूसरा था कि राजनीतिक पीड़ित इस विभाग में न रहने पाये क्योंकि वह अपना स्वाभिमान नहीं खोयेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसकी रक्षा करते हुये देश की रक्षा करेंगे। यों तो एक तरह से देश की हुकूमत राजनीतिक पीड़ितों के हाथ में है लेकिन काम चलाने वाली कड़ियां दूसरी जगह पर जोड़ी गयी हैं और आप उनको झुकाना चाहते हैं मगर वह झुकने के लिये तैयार नहीं हैं। हम नहीं समझते थे कि अंग्रेजों के जमाने की गुलामी वाली चीज फिर यहां रहेगी और उच्चाधिकारियों की जी हुजूरी करायी जायगी। मैंने बताया कि इतने बड़े जिले की ओर आपका ध्यान नहीं गया।

मेरे साथियों ने कहा कि इन्फार्मेशन अफसर कलेक्टर के पीछे घूमते हैं। इसका तो मैं विरोधी हूं। जिले से जो भी प्रोग्राम बनता है उसमें इन्फार्मेशन अफसर जरूर रहेगा और उसका प्रोग्राम एक महीना पहिले सबके पास वितरित होता है। जहां कहीं भी सरकार जायगी तो उसकी सूचना उस क्षेत्र के अन्दर वह देगा। यह तो ठीक ही है। लेकिन जैसा मेरे साथी ने कहा कि कलेक्टर के पीछे-पीछे जाते हैं और यह इत्तला देते हैं कि कलेक्टर आ रहे हैं इसका तो मैं समर्थन नहीं करता; लेकिन हां, प्रोग्राम की सूचना कलेक्टर को भी देते हैं और साथ ही साथ जहां तक मेरी याददाश्त है वह प्रान्तीय इन्फार्मेशन विभाग को भी सूचना देता है।

एक बात की तरफ मैं और सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि इस विभाग से जो बुलेटिन छपते हैं शायद यह उनके द्वारा लिखाये जाते हैं जिनको देश-निर्माण का जरा भी ज्ञान नहीं है। जो भी बुलेटिन सूचना विभाग की ओर से छपें, उसमें ऐसे लोगों का हाथ होना चाहिये जो देश का निर्माण करना चाहते हों। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान उन त्रुटियों की ओर दिलाऊंगा जिनके कारण २६-२६ इन्फार्मेशन अफसरों की हत्या होने जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सूचना विभाग के अनुदान की शव परीक्षा करने के लिये मुझे मौका दिया। वैसे तो साढ़े ४२ लाख रुपये का बजट है लेकिन इस विभाग की तरफ से जो पुस्तिका प्रकाशित की गयी है वह महज ८ पेज की है। जहां तक इस पुस्तिका के द्वारा सदन को और इस प्रदेश की जनता को जानकारी कराने की बात है, इस पुस्तिका में जो बातें लिखी गयी हैं वह इस विभाग की सार्थकता को सिद्ध नहीं करतीं। क्या इस विभाग की ऐक्टिविटीज एक वर्ष तक हुईं, कौन-कौन से जनता के काम इस विभाग द्वारा हुये इसका कोई वर्णन, इसका कोई प्रकाशन और इस का कोई सही माने में तजकिरा इस पुस्तिका में नहीं है। हां, एक बात जरूर है। इस पुस्तिका में आखिर में लिखा हुआ है कि इस उद्देश्य से एक कठपुतली पार्टी नियुक्त की गयी जो सूचना विभाग द्वारा तैयार किये गये नाटकों का प्रदर्शन करती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह कहता हूं कि वैसे तो कठपुतली पार्टियां इस विभाग की हैं मगर यह कांग्रेस पार्टी भी कठपुतली है और यह विभाग, मौजूदा सरकार और उसके प्रमुख मंत्रियों की कठपुतली है। जैसे कि अभी जौनपुर के माननीय सदस्य ने कहा, केवल कांग्रेस पार्टी का प्रकाशन, कांग्रेस पार्टी का प्रसार और केवल मंत्रियों के फोटो और व्यक्तव्य देना, यह सब काम इस विभाग के द्वारा होते हैं। इस विभाग से उत्तर प्रदेश की जनता का सही माने में कोई फायदा नहीं होता है। अगर इसको जिला स्तर पर देखा जाय तो मैं अपने जिले की बात कहता हूं और मैं समझता हूं कि जैसा जिला जालौन में है वैसा ही दूसरी जगह भी होगा। वह यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता की जानकारी में यह नहीं है कि यह विभाग जनता के फायदे के लिये है। इस पुस्तिका में लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक कमेटी बनाई गई है। मुझे तीन वर्ष होने को आये और मुझे अभी तक यह जनकारी नहीं है कि इस विभाग की कोई कमेटी जिला जालौन में है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरी इस बात की ताईद करेंगे। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि कभी उस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई हो या कोई प्रोग्राम उसके द्वारा किया गया हो। अगर यह सही है तो इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, जहां तक रेडियो सेट्स की बात है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मेरी बातचीत ग्रामसभा के सभापति से हुई। उसने मुझे बताया कि जो रेडियो सेट्स गांव सभाओं में लगाये गये हैं उनमें केवल लखनऊ स्टेशन से ही समाचार आता है, और स्टेशन वह नहीं पकड़ते हैं। मैं सोंचता हूं कि क्या सूचना विभाग को ग्राम सभाओं के ऊपर और जनता के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि वह रेडियो सेट्स से दूसरे स्टेशन्स, हिन्दुस्तान के बाहर के स्टेशन्स को भी सुन सकें। इस तरह से इस विभाग द्वारा रेडियो सेट्स केवल इसलिये दिये जाते हैं कि वह मिनिस्टर्स की तारीफ सुना करें या सरकार की बातों को जान लिया करें। इसके सिवाय और कोई दुनिया की जानकारी उनको नहीं होती है।

इसी तरह से अब सवाल यह है कि जिन सिद्धान्तों की बात इसमें कही गई है उनमें शासन सम्बन्धी सूचना और समाचार पत्रों की बातों से जनता को अवगत कराना। यह दो उद्देश्य इस विभाग के बताये गये हैं। मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से तथा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से यह है कि जो दो उद्देश्य इस विभाग के बताये गये हैं वह अपर्याप्त हैं और उनकी पूर्ति भी सही माने में नहीं हो सकती है। शासन को जो सूचना दी जाती हैं वह अखबारों के कटिंग के जरिये दी जाती हैं। मैं जानता हूं कि जहां अखबारों की कटिंग भेजी गई उसको एक एक वर्ष का समय हो गया, लेकिन क्या कार्यवाही हुई इस पर सूचना विभाग कोई ध्यान नहीं देता है।

इस विभाग का केवल इतना ही काम नहीं है कि सरकारी बातों को जनता तक पहुंचाया जाय। इसका यह भी काम होना चाहिये कि किसानों को बताया जाय कि उनको तकावी किस तरह से प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट के सूचना अधिकारियों का कर्तव्य होना चाहिये कि वह गांवों में लोगों के पास जांय और लोगों को सरकारी नियमों तथा फार्मों से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त जो फार्मेलिटीज होती हैं उनको गांव वालों को बतायें। यही काफी नहीं है कि मंत्री जी ने फलां लेक्चर दिया, या भाषण दिया या फलां पुल टूट गया, इसकी सूचना जनता को दी जाय। यह भी लोगों को बताया जाय कि विद्यार्थियों को वजीफा किस तरह से मिल सकता है। गांवों में लोगों को बताया जाय कि जेलों से कैदी छोड़ दिये जायेंगे, किन को दरख्वास्त देनी चाहिये और किन-किन फार्मों पर देनी चाहिये। यह सब बातें इस विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव के लोगों को बताई जानी चाहिये तभी सही माने में इस विभाग का उद्देश्य पूरा हो सकता है और प्रदेश का सच्चा कल्याण हो सकता है।

अब मैं नागरिकों की दरख्वास्तों के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। अभी यह होता है कि नागरिकों की ओर से जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उनका पता नहीं चलता कि उनको

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही हुई। मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक जिले के स्तर पर सूचना विभाग में ऐसा एक आफिस होना चाहिये जोकि लोगों की शिकायतों को रिसीव करे। वे दरख्वास्तें उस आफिस के द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों या सरकार को भेज दी जांय और सूचना विभाग पर स्थानीय रूप से इस बात की जिम्मेदारी हो कि जिसने दरख्वास्त दी हो उसको सूचित करे कि उसकी दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही हुई। अगर इस प्रकार का कार्य सूचना विभाग करे तो लाभ हो सकता है, नहीं तो जिस तरह से आज वह कार्य कर रहा है, उससे जनता का कल्याण नहीं हो सकता।

रही सूचना विभाग के अधिकारियों की बात, उसके विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले सूचना विभाग में नियुक्तियां कर दी गयीं, राजनीतिक पीड़ितों और दूसरों की नियुक्तियां कर ली गयीं। जब वे आठ-आठ साल, दस-दस साल नौकरी कर चुके तो अब कहा जाता है कि तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐप्रूव नहीं किया। जहां तक मुझे मालूम है सूचना विभाग के डाइरेक्टर को भी एक-आध बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिसऐप्रूव किया था। अब अगर डाइरेक्टर महोदय आज भी सूचना विभाग के डाइरेक्टर बने हुए हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि अतिरिक्त सूचना अधिकारी और अन्य व्यक्ति, जिन को पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐप्रूव नहीं किया, उनको न रखा जाय, और अगर उनको न रखा जाय तो डाइरेक्टर महोदय भी अपने पद पर कैसे काम कर सकते हैं?

एक बात और निवेदन करनी है। दुःख यह है कि सूचना विभाग के मंत्री महोदय एक पत्रकार हैं। आज जो भी अखबार सरकारी लाइन पर नहीं चलता....

श्री अधिष्ठाता---समय समाप्त।

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारी सिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचना विभाग की तरफ से जो ग्रांट पेश की गयी है उस के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

राजा साहब जौनपुर की दो बातों से मैं सहमत हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वे एक बहुत अच्छे शिकारी हैं। दूसरे इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट को पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट होना चाहिये। जहां तक उनके शिकारी होने का ताल्लुक है इस हाउस में कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वह अच्छे शिकारी हैं। उनको बड़े-बड़े इनाम भी मिल चुके हैं। इसलिये उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

श्री राजनारायण---किस चीज का शिकार करते हैं?

श्री राजबिहारीसिंह---सब चीज का शिकार करते हैं, जो सामने आ जाय।

दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट होना चाहिये, मैं कहता हूं कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट का यही काम है कि वह जनता और सरकार के बीच में एक सम्पर्क स्थापित करे और जनता की भावनाओं का द्योतक हो, और उनको सरकार तक पहुंचा दे, सरकार की रीति नीति का जनता में ठीक-ठीक प्रचार कर दे। इन दो बातों को अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट ने अपना काम किया है। सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या चाहती है, इसका, प्रचार जनता में अच्छी तरह से किया है जो बुलेटिन बटी है अगर आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लें तो साफ जाहिर होगा कि एक-एक साल के भीतर इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट ने हजारों के करीब प्रेस नोट निकाले हैं। सरकार की नीति के सम्बन्ध में पचासों लेख लिखवाये हैं और दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत जो जनता की भावना है उसको सरकार के पास पहुंचाने का काम भी इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट ने किया है। अगर इसकी पुस्तिका को आप देखें तो उसी में आपको मिलेगा कि कई हजार कतरनें जिसमें लेख भी रहते हैं, आपकी विचारधाराएं

रहती हैं, बार एसोसियेशन के प्रस्ताव रहते हैं, हर तरह की बातें जो सरकार के खिलाफ होती हैं, उनको सरकार के पास इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट ने भेजा है। सरकार के पक्ष की बात तो प्रेस नोट में दे दी और जो जनता की भावना सरकार के खिलाफ होती है उनकी कतरनें उसने सरकार के पास भेज दीं। इसी पुस्तिका में लिखा हुआ है कि ऐसी कितनी कतरनें और कितने लेख इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट ने सरकार के पास भेजे हैं। उनकी हजारों की तादाद है।

दूसरी बात रह गई कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट का काम तो कोई विकास का काम नहीं है। तिवारी जी कह गये कि कोई जनता का फायदा नहीं होता। तो इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट कहीं स्कूल नहीं खोल सकता, कहीं अस्पताल नहीं खोल सकता, भोजन नहीं इकट्ठा कर सकता जिससे कि जनता का फायदा हो। उसका तो काम है कि चाहे सरकार आज कांग्रेस की हो, चाहे किसी की हो, उसकी जो नीति आज है उसको वह जनता में प्रसारित कर दे। कल को राजनारायण जी की सरकार हो जाय तो उनकी जो नीति होगी उसको वह प्रसारित कर देंगे। (व्यवधान) जरा सुनिये मास्टर साहब। इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट तो एक पोस्ट-आफिस है। जैसे पोस्ट आफिस चाहे जिसकी चिट्ठी आ जाय, उसको सही व्यक्ति के पास पहुंचा देने का कार्य करता है, इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट भी बिलकुल ठीक वैसे ही वही कार्य करता है। इन दो-तीन बातों पर चर्चा बड़े जोरों के साथ की गई। वह भी मैं समझता हूं कि केवल भ्रमवश ऐसी बातें होती हैं।

एक बात बहुत कही गई कि सूचना अधिकारी रखे गये और निकाल दिये गये और उनमें कुछ राजनीतिक पीड़ित भी थे। लेकिन यह भी आपको सोचना चाहिये कि वह राजनीतिक पीड़ित जो अपनी जान हथेली पर रख कर स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, उनको जो रखा गया था, वह किसके द्वारा रखा गया था? इसी सूचना मंत्री के और सूचना विभाग के मंत्रित्व काल में उनको रखा गया था। सूचना आफिसर कहां थे पहले सन् १९४६ में? इसी कांग्रेसी सरकार के इसी सूचना विभाग के मंत्रित्व काल में सूचना अधिकारी रखे गये। इसलिये जितनी हमदर्दी आपको है उनसे, उससे ज्यादा हमदर्दी इस सरकार को है। जैसे राजनारायण जी ने स्पष्ट जिक्र किया कि जब सरकार को पता चला कि सूचना विभाग के अधिकारी जो दस-दस और बारह-बारह वर्ष तक काम किये वह निकाल दिये गये तो सरकार ने तुरन्त ही, जैसा उन्होंने कहा—सूचना मंत्री और मुख्य मंत्री ने कमीशन को लिखा कि उनको दूसरी जगह दी जाय। यही नहीं, चाहे जिस विभाग में वह काम किये हों, कोई कर्मचारी अगर आठ-दस वर्ष तक काम करता है तो उसको इस तरह नहीं निकाल बहार करते हैं। ठीक यही बात शिक्षा विभाग में हुई थी। सैकड़ों आदमी निकाल दिये गये। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने गये। हटा दिये गये। तुरन्त ही शिक्षा मंत्री ने लिखा और आदेश दिया कि जितने अध्यापक और एस०डी०आई० निकाले गये हैं उनको नार्मल स्कूलों में रख दिया जाय। तो जहां तक सरकार का ताल्लुक है, ऐसे जितने कर्मचारी हैं चाहे वह राजनीतिक पीड़ित हों, चाहे न हों, उनको काम दिलाना सरकार का कर्त्तव्य है। जिस आदमी से दस बारह वर्ष तक हम काम करायें उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार कहां तक टिक सकती है? इसलिये जितनी हमदर्दी उनके साथ आपको है उतनी ही सरकार को भी है।

अब रही दूसरी बात—राजनारायण जी को राधाकृष्ण के फोटो से बड़ा प्रेम है। मैं समझता हूं कि उनको तो हर धार्मिक पुस्तक से प्रेम होता है। वह हनुमान चालीसा का भी पाठ करने वाले हैं। (व्यवधान) उस पत्रिका की बड़ी चर्चा हुई। राजनारायण जी ने कहा कि कितने रुपये क्या हुये और सूचना अधिकारी उसको घर-घर बेचते फिरे। यह गलत बात है। वह दो रुपये की पत्रिका, गांव में कौन उसे खरीदेगा और कौन ऐसा बेवकूफ आफिसर होगा जो गांवों में उसे बेचता फिरेगा? अगर शहर में या दूकानों में बेचने की बात हो, तो वह तो एक बात भी हो सकती है, लेकिन देहातों में उसको खरीदवाते फिरें वह, यह बात गलत है और न यह हुआ है कि वह पत्रिका रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयी हो। अगर आप उस पत्रिका को देखें तो मालूम होगा कि वह एक अच्छी पत्रिका है। दुबे जी ने अंग्रेजी अखबार का चर्चा किया। जिस अंग्रेजी

[श्री राजबिहारीसिंह]

अखबार टाइम्स आफ इंडिया का जिक्र किया गया था उसने खुद उसकी तारीफ की है। जहां तक उस पत्रिका के छापने की बात है अगर वह २५ हजार से कम छापी जाती तो महंगी पड़ती। जिस प्रकार के कागज पर वह पत्रिका छापी गई है वह किसी हालत में इतने से कम छापने पर और ज्यादा महंगी पड़ती। इसलिये सस्ता करने के लिये उसको इतना छापना पड़ा।

दूसरी बात यह है कि प्रचार के लिये जो काम होता है, जिस काम को फैलाने की दृष्टि से किया जाता है उसमें हिसाब-किताब नहीं देखा जाता। वह पैसा प्रचार के लिये खर्च होता है। एक बात यह भी कही गई कि क्या बिक्री का रुपया जमा किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि ४ हजार पत्रिकायें जो बेची गई हैं उनका ८,८०० रुपया सरकारी खजाने में जमा है। वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। उसको देखा जा सकता है। यह भी कहा गया कि जितनी चीजें छपती हैं वह बिकती नहीं हैं और उसका हिसाब, किताब क्या होता है। मैं समझता हूं कि सूचना विभाग से जो प्रकाशन होते हैं वह बहुत अच्छे होते हैं और वह काफी बिकते हैं। एक इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट की डायरी छपती है। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर लोग उसको न खरीदते हों। चाहे हम लोग उसको नहीं खरीदते लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और नौकरी की तलाश में घूमते हैं वे उसको जरूर खरीदते हैं। लोग सूचना विभाग के पंचाग को भी जरूर खरीदते हैं। वह इसलिये डायरी और पंचांग को खरीदते हैं कि उससे उनको जनरल नालेज का पूरा ज्ञान होता है। प्रदेश के बारे में उसमें सारी चीजें रहती हैं। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि ३० हजार डायरी हमारे सूचना विभाग में छपती हैं और इसमें से २७--२८ हजार बिकती हैं। यह जरूर है कि इसमें से हजार, दो हजार मुफ्त में बंट जाती है। ६००,७०० तो हम लोग ही हैं तो लगभग हजार तो ऐसे ही हो गईं। इसी तरह से पंचांग की बात है। उसकी भी बहुत मांग रहती है। जो पत्रिका निकलती है उसके भीतर आप देखें तो पता चलेगा कि उसमें अच्छे लेख निकलते हैं। हर पढ़ा लिखा लड़का उसको खरीदता है।

यही नहीं, इसके अलावा और भी इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट के काम हैं। जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, जो गांव में काम होते हैं विकास के सम्बन्ध में उनके विषय में वह किताब निकालता है। हमारे भाइयों को राजनैतिक पीड़ितों से बहुत प्रेम है। आपने देखा है कि सन् १९२०-२१ में जिन गानों को गाकर हमारे ऊपर डंडे पड़ते थे और जेल जाते थे उन गानों का प्रकाशन सूचना विभाग में मौजूद है। पुरानी कहावतें खेती बाड़ी के सम्बन्ध में, जो हमारे यहां प्रचलित थीं उन सब का प्रकाशन सूचना विभाग ने किया है। इसी तरह से हमारे यहां जो बड़े-बड़े पुराने कवि रहे हैं, बड़े-बड़े लेखक रहे हैं उनके बारे में सूचना विभाग बहुत सी बातें करता है। सहायता देने का काम भी उनके लिये होता है। सरकार की जो नीति होती है, अल्प-बचत योजना, उत्पादन की योजना या इसी प्रकार की जो और योजनायें हैं उन सबकी सूचना जनता को यह सूचना विभाग अपने प्रकाशनों के द्वारा देता है।

एक बात और कही गई कि सूचना विभाग जनता से सम्पर्क स्थापित नहीं रखता। बहुत-सी पुस्तकें सूचना विभाग लिखाता है जिनसे किसानों को लाभ होता है। किस तरह से बीज का प्रयोग होना चाहिये, खाद किस तरह से डालना चाहिये, रबी की फसल किस तरह से बोई जाय, इस सम्बन्ध में बहुत से प्रकाशन सूचना विभाग मिलते हैं। इसके अलावा एक बात और है जो मैं सूचना मंत्री जी से सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। हमारे सूचना मंत्री हिन्दी के कुछ बहुत प्रेमी हैं। सारा सदन यह हिन्दी का प्रेमी है किन्तु कभी-कभी यह प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि इससे नुकसान होता है। अभी दुबे जी ने कहा कि वहां अधिवेशन में पंडाल में भीड़ कम थी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस अखबार का उन्होंने जिक्र किया था उसमें यह भी लिखा हुआ था कि कांग्रेस पंडाल में इतनी भीड़ हो गई थी कि वहां पर प्रबंध करना मुश्किल हो गया था। हमारा सूचना विभाग वहां पर गया था और हमारे प्रदेश में तो हिन्दी चल सकती है लेकिन मैं सूचना मंत्री की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं वे खुद देखने के लिये भी गये थे, सारे प्रदेशों का सूचना कक्ष बहुत अच्छा था लेकिन आदमी उसमें जाते बहुत कम थे इसलिये कि वहां पर तमाम बातें हिन्दी

में लिखी हुई थीं। मैसूर का रहने वाला हिन्दी नहीं समझ सकता था कि आपके यहां क्या होता है। हिन्दी में लिखा हुआ मद्रासी तो नहीं समझ पाता। वहां बम्बई, मद्रास आदि के कक्ष थे जिनमें वहां के कार्यों का विवरण था कि उनके प्रदेश की क्या योजनाएं हैं। वहां अंग्रेजी में अच्छी खासी तैयारी थी और इतन अच्छे थे वे कक्ष कि उनमें जितना रुपया खर्च किया गया था उनका उपयोग हो जाता था और प्रदेश की सारी बातें सामने आ जाती थीं। तो मैं यह कहता हूं कि हमारी प्रदर्शनी कहीं पर जाय, चाहे वह कांग्रेस, पी० एस० पी० या जनसंघ कोई भी बुलवाये जो भी मांगे तो हमारे प्रदेश में जितनी चीजें होने वाली हों वह उस भाषा में भी रहे जिसको सभी लोग जानते हों तो अच्छा है।

भाई राजनारायण जी ने तो सबके लिये कह दिया। उन्होंने कह दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार है, अखबार वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और कहा कि वे भी भ्रष्टाचारी हैं और सरकार से पैसा ले कर लेख लिखते हैं, यह बात बिलकुल गलत है। सरकार का प्रेस का सम्बन्ध बहुत अच्छा है। प्रेस और सरकार के सम्बन्ध को अच्छा करने के लिये ही एक प्रेस समिति कायम की गयी है और उसमें ऐसे लोग हैं जो सरकार के इशारे पर चलने वाले नहीं हैं। उसके चेयरमैन ऐसे हैं जिनकी इस प्रदेश और देश में प्रतिष्ठा है और जिनका इस प्रदेश और देश के अखबारों के सम्पादकों, सम्वाददाताओं और मैनेजरों से काफी सम्बन्ध रहा है और उन सबकी हालतों से वे अच्छी तरह से परिचित हैं। सूचना विभाग भी जिनके हाथों में आज है वे ऐसे ही आदमी हैं जो सभी लोगों की हालतों से परिचित हैं।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सेंट्रल सीट गोविंद सहाय जी, शुक्ल जी के लिये छोड़ दें तो अच्छा है क्योंकि शुक्ल जी न विरोधी पक्ष में हैं और न कांग्रेस की तरफ।

श्री सीताराम शुक्ल--मैंने पहले ही इसीलिये इनसे प्रार्थना की थी और वे कृपा करके उधर चले गये। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे किनारे पर ही रहने दें।

तो हुजूरवाला, कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि यह कांग्रेस के बाहर रह कर भी क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेस से कुछ नफरत, घृणा नहीं करता बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मुझे कतरे से दरिया बना दिया इसके लिये मैं अहसानमन्द हूं। लेकिन मैं इसलिये निकला कि अब कांग्रेस, सोशलिस्ट हो गयी और मैं खाली कांग्रेसी ही रह गया। उसका वह प्रोग्राम नहीं रह गया जो पहले था। अब उसका विरोध करना है, सिर्फ इतना ही मतलब है। एक बात मैं मानता हूं कि पार्टी राज्य में इससे बढ़िया राज्य नहीं हो सकता, इससे अच्छी हुकूमत नहीं बन सकती या फिर मैं कहता हूं पब्लिक राज्य, वोटर राज्य हो, लेकिन उसको यहां अभी कहना नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी को इस बजट के लाने के लिये बधाई देता हूं, लेकिन मैं यहां पर एक चौपाई तुलसीदास जी की कहता हूं : "मिलत एक दारुण दुख देहीं, बिछुरत एक प्राण हर लेहीं।" यानी जब बुरे आदमी से मुलाकात हुई तो सारा बदन जल गया और अच्छे आदमी का साथ छूट गया तो तकलीफ हुई। लेकिन हमें अफसोस है कि अच्छे लोग हैं लेकिन इनसे मुलाकात में तकलीफ होती है। बुद्धि है, वक्तृत्वशक्ति है, विवेक है, उदारता है, सब कुछ है, लेकिन जब उनसे मुलाकात होने पर तकलीफ होती है तब मुझे हैरत होती है। इसके साथ-साथ मैं अपने कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया। इसके लिये वे मुबारकबाद के पात्र हैं।

मुझे दुबे जी पर जो अटैक हुआ उसका जवाब भी देना है और जो उन्होंने गलत बात कह दी है उसके लिये भी कहना है। दुबे जी ने कहा कि मंत्री जी के साथ लशकर क्यों जाता है सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

विभाग का। जिले में तो इंफार्मेशन देने वाले पत्रकार हैं। हुजूरवाला, आप तो राजा हैं, शासन करना जानते हैं। आप जानते हैं कि हर पत्रकार का अपना व्यू होता है। सरकार के खिलाफ भी वे सोचते हैं और उस की तरफ भी। अगर आप चाहते हैं कि आदमी ठीक-ठीक बात लिखे तो उसके लिये आप अपने को किसी की मर्जी पर न छोड़िये, ऐसा करना ठीक नहीं होगा और इसलिये यह स्टाफ ले जाना साथ में ठीक ही है।

दूसरी बात जो शिकार करने की कही गयी, जो अटैक किया गया, उसके लिये मैं कहता हूं कि यह बाजे रहे कि शिकारी शेर का शिकार जनता की रक्षा के लिये करता है। यहां राजा साहब शिकार करते हैं मूर्खता का, खुदगरजी का बेवकूफी का ताकि ये चीजें ज्यादा न फैलने पायें। यह मेरी परिभाषा नहीं है। राजा साहब बलरामपुर एक बार शिकार खेलने गये और वहां जाकर उन्होंने बंदूक उठायी और रख दी, फिर बंदूक उठायी और रख दी। उनके साथ एक कवि महोदय भी थे। उन्होंने देख कर कहा :

"क्षुधा सिंहनी उदर गिरि जीव धरे वृष भेष।
दागहु नाथ दुनालिका, नृप दिग्विजय नरेश।"

और इस पर राजा साहब ने उनको २,००० रुपया इनाम का दे दिया। तो यह मूर्खता और अयोग्यता का शिकार करते हैं ताकि बुराइयां न पैदा हों।

आपका विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन नतीजा खतरनाक हो रहा है। पब्लिक सरकार के खिलाफ होती जा रही है और वह ही नहीं, आपके अफसर और कर्मचारी भी आप के खिलाफ हैं। आप सुनें कि क्लब में क्या बातें होती हैं। सूचना विभाग का काम, जैसा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, वही नहीं है। उसे हर जगह निगाह डालनी चाहिये और कहीं भी बात बिगड़ती हो उसे ठीक करना चाहिये। अगर आप अपने अफसर और कर्मचारियों को अपने साथ न लासके तो आप फेल हो रहे हैं। आपके कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों को पेशकार गाली देते हैं और यह सर्कुलर भेजने से ठीक नहीं होगा। वहां तो रीजन, दलीलें काम देंगी। यह सब आपके विभाग को ठीक करना चाहिये। सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं, पिकेटिंग करते हैं। आपका यह सूचना विभाग कहां सोता रहता है। यह आपका काम है कि वे हड़ताल न करें। उनको बताया जाय कि सरकार के सामने क्या-क्या दिक्कतें हैं, तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ायी जा रही हैं ; और यह सब तभी होगा कि जब सरकारी कर्मचारियों को रखते समय साले, बहनोई, रिश्तेदार नहीं देखे जायेंगे, बल्कि मेरिट्स के आधार पर उनकी नियुक्ति की जायगी। पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर अगर आप आदमियों को जगह देंगे तभी काम हो ठीक सकेगा। मैं चाहूंगा कि अगर इसके लिये जरूरी हो तो संविधान को चेंज किया जाय। आज इंडिसिप्लिन बढ़ती जा रही है। मेरी गुजारिश है कि हड़ताल करने की इजाजत दीजिये। इससे उन्हीं का नुक्सान होगा। उनको हड़ताल करने दीजिये, लेकिन जब कोई व्याख्यान हो, आपके सूचना विभाग का एक आफिसर वहां बैठा रहे और ज्यों ही उनका भाषण खत्म हो, वह उसी समय उनको समझाये, उनको जवाब दे कि इसलिये हड़ताल करना ठीक नहीं है। यह उनको समझाया जाय कि इससे उनका ही नुक्सान है। बड़े जोरों से प्रचार किया जाता है कि सेंटर के कर्मचारियों की पे ज्यादा है और यू० पी० के कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है। क्लर्की वे भी करते हैं, क्लर्की यह भी करते हैं। एक मिनिस्टर साहब के यहां क्लर्की करता है, एक किसी दूसरे महाशय के यहां क्लर्की करता है। तो आपके आदमियों को यह समझाना चाहिये कि उस क्लर्की में और इस क्लर्की में फर्क है। उस क्लर्की से नुकसान पहुंच सकता है इससे नहीं। जो कीमती काम करता है उसको ज्यादा तनख्वाह दी जाती है, जो हल्का काम करता है उसको कम दी जाती है। यह आपके आदमियों को समझाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि अगर आज आप ५०० रुपये एक चपरासी की तनख्वाह कर दें। ठीक है, आप नोट छपवा लीजिये। आप दे सकते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? बाजार में ५०० रुपये गज कपड़ा

बिकने लगेगा। जो हालत चीन की हुई, वह हालत यहां हो जायेगी। तो ये बातें हैं जिनको कि आपके आदमियों को समझाना चाहिये। वे लोग इन बातों को सुनकर खुद हड़ताल नहीं करेंगे।

चपरासी कहते हैं हम साहब के लिये चाय नहीं ले जायेंगे चाहे वे खाली बैठे रहेंगे। वे गप्प लड़ाते हैं, खाली बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं, लेकिन यह तय किया कि चाय नहीं लायेंगे। लेकिन आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं।

कुछ लोग समझते हैं हमारा मजहब खतरे में है। कुछ लोग समझते हैं हम पर हिन्दी लादी जा रही है। आप जवाब क्यों नहीं देते कि उर्दू पढ़ने पर रोक कहां है? अगर यह आप जवाब दें तो विरोध क्यों हो?

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त हो गया।

श्री सीताराम शुक्ल—मुझे केवल ५ मिनट और दिये जायं। मुझे एक दो बातें और कहनी हैं। सूचना विभाग का काम है कि वे हमारे वहम को दूर करें। हम तो सरकार की जो खराबी है सुनायेंगे, क्या खूबी है सुनायेंगे; कैसे ठीक किया जाय, यह भी सुनायेंगे:

स्वराज्य मिल गया लेकिन सुधार बाकी है,
अभी बहुत से दिलों में गुबार बाकी है।
सही है यह कि बहुत-सी बनी सड़कें नहरें,
खेती बारी की तरक्की हुई फसलें लहरें।
जमीन जल में हवा में जहाज उड़ान उड़ते हैं,
नजारे टेलीविजन में दिखाई पड़ते हैं।
मगर गरीबी घूसखोरी कामचोरी के,
सुनाई देते हैं किस्से हरामखोरी के।
लुटता जाता है कैरेक्टर का खजाना अपना,
समझते वे हैं तरक्की का जमाना अपना।
कम्युनलिज्म व कम्युनिज्म, सोशलिज्म कहीं,
दिखाते सब्जबाग आइडियलिज्म कहीं।
लीडरी के लिये आपस में लड़े जाते हैं,
हसद की आग में जल जल के मरे जाते हैं।
यह दोनों ही तरफ के लोग ऐसा करते हैं
इधर से भी और उधर से भी।
मेम्बरी दिल में जबां से कहें हड़ताल करो,
गोली चलने दो मगर ट्रेन को पामाल करो।
बेखता इनकी शरारत से सजा पाओगे,
चाहे जितना भी सियासत से जी चुराओगे।
बिरादराने वतन अक्ल संभालो अपनी,
सोके जर खो चुके, इज्जत तो बचालो अपनी।
पहले खुद नेक बनो बाद में तकरीर करो,
कबूल कर लो अगर तुम कहीं तकसीर करो।
ख्याल गैर का पहले करो पीछे अपना,
खिदमते कौम में कुर्सी का न देखो सपना।
उनके पीछे तो सीट आप चली आती है,
जिस तरह नदी समुन्दर में बही जाती है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

तभी गुरबत व जहालत न दिखाई देगी,
भाई-भाई में लड़ाई न सुनाई देगी।
चमन के फूल सितारों से चमक जायेंगे,
हरएक दिल में हमेशा बहार लायेंगे।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बोलने के लिये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मगर अपने मित्र की स्पीच सुन कर मैं अपने आप को कुछ थोड़ा-सा रला हुआ पाता हूं। फिर भी जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह इस सिलसिले में है कि आज-कल की दुनिया में कोई भी सरकार, चाहे डेमोक्रेटिक हो या टोटेलिटेरियन हो, इस बात का गुरेज नहीं करती कि कितना रुपया इस मुहकमे पर प्रचार में खर्च होना चाहिये, काफी रुपया खर्च करती हैं और इस मुहकमे का फैलाव किया जाता है। क्योंकि हम जितना रुपया प्रदेश पर खर्च करते हैं, उसके प्रति अगर लोगों की जानकारी नहीं है, लगाव नहीं है, उनमें कोई उमंग नहीं है तो वह रुपया बेकार हो सकता है। इसलिये इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट या पब्लिसिटी डिपार्टमेंट एक जरूरी मुहकमा है।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह मुहकमा डाकखाने की तरह है, इस माने में कि आज की दुनिया में इसकी एक जिम्मेंदारी है और उसको पूरा करने के लिये हमको देखना है कि क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? मुहकमे में एक चीज आती है कि उसकी पब्लिसिटी की टेक्नीक क्या हो। मुझे यहां कला के खिलाफ एक वातावरण दिखलायी दिया, लेकिन कला का जीवन के हर क्षेत्र में एक स्थान है, उसकी पब्लिसिटी की एक टेक्नीक बन गई है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो हमें देखना है कि क्या वह वाकई लोगों की प्राब्लम्स के बारे में जानकारी कराता है, लोगों में उमंग और लगाव पैदा करता है और जो प्राजेक्ट्स हैं उन पर खर्च करने के लिये कुछ कुर्बानी करने के लिये तरबियत भी पैदा करता है? मैं समझता हूं कि इस मुहकमें का पिछले १० सालों में गैर मामूली फैलाव हुआ है और अच्छी चीजें देखने को मिली हैं। इसका लिट्रेचर लोगों में घर करता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ और भी करने की काफी जरूरत है। मुझे इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के काफी लोगों के कम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एग्जामिन करने का मौका हुआ और मैंने उनसे सीधी जानकारी करनी चाही कि हमारे समाज और स्टेट के क्या ध्येय हैं और सरकार की विभिन्न पालिसियां कैसे उस ध्येय की तरफ ले जा रही हैं। मुझे हिचक नहीं है यह कहने में कि मुश्किल से १० परसेंट ऐसे इनफार्मेशन आफिसर होंगे जिनको व्यवस्थित तरीके से इन चीजों की जानकारी हो। तो मेरा सुझाव यह है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर जो लोग काम करें उनको आइडियोलाजी की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार हो या टोटलिटेरियनिज्म की आइडियोलाजी रखने वाली सरकार हो। जो पालिसी स्टेट की होती है उसकी झलक सब लोगों में पापुलर करनी होती है। तो मेरा इसरार है कि ट्रेनिंग के ऊपर और उसमें एक स्पष्ट तस्वीर सामने हो, जैसा कि बहुत-सा लिट्रेचर निकला है। लेकिन कोशिश होनी चाहिये कि एक सहल जबान में हो जिससे एक मामूली आदमी समझ सके कि १२ साल के अन्दर जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से इतनी तरक्की हुई। अगर ऐसी तस्वीर उसे नहीं मिलेगी तो यह डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है। जो हमारे ५०-६० साल से लेखक पैदा हुये हैं, जो सोचने का ढंग पैदा हुआ है व एक मुहकमे का-सा ढंग है। इस कारण बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग काफी हम करें और इनफार्मेशन आफिसर का नहीं, सारे मुहकमे का जो प्रतिक्षण का बायस है उसको बदलना होगा।

मुझे एतराज नहीं कि फोटोज किसी के खींचे जायं। सबही देशों में लीडर्स के फोटो छपते हैं, उनको पापुलर बनाया जाता है, लेकिन जो सोशलिस्ट सोसाइटी के माने हैं कि आय वर्कर भी ऊपर उठे, उसे समाज से इज्जत हो और वह कोई काम करता है तो उसका आप काफी प्रदर्शन करें। अगर कोई किसान इन्वेन्शन करता है, ज्यादा अन्न पैदा करता है तो आप के डिपार्टमेंट का बायस क्या है? वह किनकी तस्वीरें ज्यादा लेता है? आम वर्कर की लेता है, मजदूर की लेता

है, किसान की लेता है, कार्यकर्ता की लेता है या लोहार की लेता है जोकि सोसाइटी में दौलत पैदा करते हैं ? उनको आप पब्लिसिटी देते हैं या जो दौलत पैदा करते नहीं उनको पब्लिसिटी देते हैं ? मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट सोसाइटी में और कैपिटेलिस्ट सोसाइटी में यही फर्क है कि सोशलिस्ट सोसाइटी कार्यकुशल लोगों को तरजीह देती है और समाज में आस्था और सम्मान पैदा करती है। इसलिये इसके बायस ही बदलना चाहिये, पब्लिसिटी का जो बायस हो वह किन लोगों को ज्यादा पब्लिसिटी दे इस पर थोड़ा-सा डाइरेक्शन बदलने की जरूरत है। आपकी मौजूदा हालत कोई संतोषप्रद नहीं है। इससे इर्रीटेशन भी होता है। यह बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसेस हो गया है इसलिये विभाग को इस तरफ थोड़ी सी तब्दीली करने की जरूरत है।

दूसरी चीज इस विभाग के संघटन के बारे में है। मेरा खयाल है कि इन १०-१२ सालों में हम अपना दिमाग तय नहीं कर पाये हैं। मुझे इसके कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट सरकार के लिये पोलीटिकल मशीनरी होनी चाहिये, वह अपने आदमियों को रखें। अमरीका ऐसे बड़े मुल्क में भी इस विभाग का पूरा का पूरा काफिला हुकूमत के साथ बदल जाता है। तो मेरी निश्चित राय है कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की मशीनरी को ऐसे लोगों से मैन किया जाय जिनको प्रेरणा और लगाव हो, जिनको इस बात में आस्था हो।

जहां तक यह बात है कि इस विभाग के लोगों ने १५-१५ साल तक सेवा का उनको कमीशन के सामने जाना पड़ा, मैं समझता हूं कि जब हमारा १५ साल तक उनका जज करना मानी नहीं रखता तो फिर वह अगर १५ मिनट के लिये कमीशन के सामने गये, चेयरमैन ने गर्दन उठाई और कुछ लिख दिया, उसके क्या मानी हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कमीशन ने उनके लिये कोई सिफारिश भी की हो तो उसे सरकार को नहीं मानना चाहिये। मैं इस बात को नहीं मानता कि हम लोग बहुत नीचे हैं, और कमीशन के लोगों का स्टैंडर्ड कोई बहुत हाई है। आखिर डाइरेक्टर कोई सर्विस के आदमी नहीं हैं, अगर ऊपर की हेरारकी में ऐसे आदमी रह सकते हैं तो नीचे की हेरारकी में भी रखे जा सकते हैं, हम को उन आदमियों को भी कमीशन की तहत से निकाल लेना चाहिये। फिर हमारी जो पालिसी है उसके हिसाब से कारकुनों को बदलना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि किस तरह के प्रश्नों द्वारा दिल और दिमाग को मोड़ा जाता है और लोगों में आस्था पैदा की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात का जवाब एक मिनट में देना चाहता हूं। आज मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां पर नृत्य, कला और नाच गाने की तरफ से थोड़ी एवर्सनेस की गई। मेरा खयाल है कि सूचना विभाग ने कल्चरल एक्टीविटीज का जो फैलाव किया है वह आज की दुनिया में जरूरी है। वह प्राचीन से टक्कर भी नहीं खाता है। वैदिक काल हो या अशोक-काल हो, नाचने और गाने से सबको प्रेम रहा है। थोड़े से पीरियड में धर्म के नाम से इन चीजों को टैबू किया गया था और उस दृष्टिकोण को मैं ज्यादा मुनासिब नहीं समझता हूं। यह आप कह सकते हैं कि कलाकार ऐसे स्टैंडर्ड के हों लेकिन कनटेम्प्ट की जहनियत से इन्हें देखना मैं अच्छा नहीं समझता। मुझे तो शिकायत यह होती है कि हमारे सोचने के ढंग में हमारी कल्चर भी एग्रीकल्चर में ढक गई है। हमारा नृत्य और गाना कैसा हो, यह हम अवश्य बता सकते हैं।

मुझे राजनारायण जी के साथ हमदर्दी है। उन्हों ने कहा कि वह सदन में इतनी अच्छी बातें कहते हैं मगर उनकी बदकिस्मती है कि इधर के लोग गलत समझते हैं। मैं उनको यह दोस्ताना मशविरा देता हूं कि १० अमृत जैसी बातों में अगर एक या दो बूंद भी जहर की मिला दी जावे तो सारी बात तलख हो जाती है और उसका वजन कम हो जाता है। अगर वह तुरशी निकाल कर अपनी बात रखें तो उनकी बात अच्छी जरूर हो सकती है।

इस मुहकमे को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है और उसे दूसरे सरकारी मुहकमों में भी फैलाने की जरूरत है क्योंकि आज की दुनिया में एक महकमा दूसरे मुहकमों से अलहदा नहीं रह सकता है। आर्थिक, समाजिक और राजनैतिक जीवन जैसे जुड़े हुये हैं वैसे ही विभाग भी आपस में जड़े

[श्री गोविन्दसहाय]

हुये हैं। हमारे सर्विस वाले लोगों को मौलिक रूप से सरकार की पालिसीज में विश्वास न होने का एक कारण यह भी है कि हम उनके सामने संयुक्त तस्वीर नहीं पेश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह विभाग ऐसा साहित्य और नजरिया पेश करेगा जिससे लोगों को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके और सही मानों में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें।

*श्री शिवप्रसाद नागर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह जो एक पत्रिका सन् १९६० के बारे में बंटी है, इसमें पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में जो सूचना दी है उसके बारे में दो-एक बातें कहना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि पत्रिकाएं निकलती हैं--"नया दौर", "उत्तर प्रदेश", और "ग्राम्या"। मगर इसमें एक पत्रिका का, जिसका जिक्र राजनारायण जी ने किया है, नाम भी नहीं है। उसे छिपाया गया है। "प्रोग्रेस" नाम की पत्रिका का कोई जिक्र नहीं है। वह अंग्रेजी में सन् १९५९ में अप्रैल के महीने में निकाली गई थी। यह कहा गया था कि हर तीन महीने बाद वह निकला करेगी मगर एक बार ही निकल कर रह गई, जिसमें ५०,००० रुपया लगा जब कि केवल २५,००० प्रतियां इसकी छापी गईं। इसकी एक कोई एडीटर हैं--कुमारी कुसुम। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता हूं। उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता मगर यह जरूर जानता हूं कि वह इसका प्रूफ देखने के लिये बम्बई गईं और वह भी हवाई जहाज से। बम्बई में यह छपी। अब लखनऊ से बम्बई तक हवाई जहाज से जाने की क्या जल्दी या जरूरत थी और कितना इसमें खर्च हुआ होगा? क्या सूचना विभाग में यहां कोई ऐसा मुद्रणालय नहीं है? क्या लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह नहीं छप सकती थी जो कि उसको बम्बई में छपाया गया। १० पन्ने की किताब और उसका दाम रखा गया २ रुपया। जब नहीं बिकी तो यह पत्रिका उन लोगों को दी गयी जिनको रेडियो सेट दिये गये थे। यह अंग्रेजी की पत्रिका उन लोगों को दी गई जो कि अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं जानते थे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जितने भी अन्य विभागों के प्रकाशन हुये हैं उनसे इस पर जो खर्चा आया है वह चौगुना अठगुना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतना खर्चा क्यों आया?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने समर्थन मूल प्रस्ताव का करते हुये भी हमारी ही बातों का समर्थन किया।

मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को अवश्य देना चाहता हूं। मैंने यह अनुभव किया है कि दिल्ली में, जो देश का केन्द्र है, वहां अन्य-अन्य राज्यों के सूचना विभागों की ओर से एक उच्च अधिकारी उपस्थित है। लेकिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से वहां कोई भी अनुभवी पत्रकार इस सूबे की सारी गतिविधियों की सूचना देने के लिये नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वहां पर माननीय मंत्री जी एक अनुभवी पत्रकार रखेंगे।

हमारे मित्र गोविन्द सहाय जी ने कहा कि इनफार्मेशन डिपार्टमेंट पोलीटिकल होना चाहिये। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर सूचना विभाग राजनैतिक दृष्टि से चलाया गया तो टोटेलीटेरियन राज्य के निर्माण की पहली सीढ़ी होगी। डेमोक्रेटिक राज्य में सूचना विभाग का कार्य तो सरकार के कार्यकलाप की सूचना देना होता है। लेकिन अगर यह पोलीटिकल विभाग हो गया तो इस प्रान्त का कल्याण उससे हो नहीं सकता (व्यवधान)। हमारे मित्र अमेरिका के बारे में कह रहे हैं। मैं इन्डो-अमेरिकन नहीं बनना चाहता। मैं भारतीय हूं और भारतीय ही रहना चाहता हूं।

हमारे एक मित्र ने कहा कि सूचना विभाग इसलिये होता है ताकि जनमत का पता लग जाय। अगर केवल वह इसलिये होता है तो मेरे विचार से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि ये प्रान्त के अखबार हैं किस लिये? उनकी खबरों में, शीर्षकों में और सम्पादकीय लेखों में और होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या है ? उसके लिये तो एक प्रेस कटिंग डिपार्टमेंट खोल देना चाहिये जो खबरों को संबंधित मंत्री के पास भेज दिया करें। मेरे विचार में उसका कार्य केवल यही है कि वह सरकार के कार्यकलाप के बारे में जनमत को बताये। परन्तु आज इस कार्य के नाम पर होता यह है कि सरकार के कार्यकलाप के बारे में तो बताया नहीं जाता है बल्कि पार्टी के बारे में प्रचार किया जाता है।

कल्चरल प्रोग्राम का जिक्र हुआ। मेरा खयाल है इस बारे में मैंने जो कुछ कहा था उससे मेरे मित्रों को कदाचित कोई गलतफहमी हो गयी। मैं कला के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मेरा कहना यह था कि यहां इस विभाग की ओर से जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें कोई रीति नीति नहीं है, वे हमारे देश और प्रदेश के लोगों को, आशाओं और आकांक्षाओं को प्रोत्साहित नहीं करते हैं जब कि वे केवल भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिये ही होते हैं। इसलिये मेरा विचार है कि उनके ऊपर एक चेक होना चाहिये ।

अन्त में मुझे आशा है कि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने जो बातें कहीं थीं उनकी ओर ध्यान दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा कटौती का प्रस्ताव पास किया जाय।

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, यह विभाग पहले जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है उसी के साथ, उसी के हेड में, जहां तक बजट का ताल्लुक है सम्बद्ध था। गत वर्ष और उसके एक वर्ष और पूर्व विरोधी दल के नेताओं की ओर से यह मांग हुई कि इस विभाग का बजट अलग कर दिया जाय। उनके इस आदेश के अनुसार इस बार इस विभाग का बजट अलग कर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी कृपा से दो ढाई घंटे इस पर विचार-विमर्श के लिये मिल भी गये।

जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि जब इसकी एक निष्ठुर टीका होती है, अगर कठोर टीका हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब निष्ठुर टीका होती है तो मुझे यह देख कर बड़ा खेद होता है कि यह तो बड़ा बेचारा निर्दोष विभाग है, स्वयंसेवकों का विभाग है। इसका कोई अपना काम नहीं है। दूसरों के काम का प्रचार करना और जो कुछ भी उनके कार्य जनहित में हो रहे हों किसी भी विभाग के, उन कार्यों को जनता के सामने उन तमाम कामों के द्वारा लाना जिससे कि सूचना प्रदान की जा सकती हो, यह इसका काम रहता है। हमारे माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी कदाचित हैं नहीं, वे चले गये, उनको इसका कोई काम दिखलायी ही नहीं देता। विभाग ही ऐसा है कि इसका कोई काम नहीं दिखलायी देता। इसका तो अनुभव होता है हृदय में। जैसे भगवान् दिखलायी नहीं देता, उसका अनुभव हृदय में किया जाता है, उसी तरह से जब इसका अनुभव होता है तो विरोधी दल के लोग पिनपिनाने लगते हैं। यह बात उसमें होती है। यह विभाग ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर कोई सड़क बनवानी हो या कोई स्कूल कालेज या यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग जो कार्य करता है उसको वह करे, या पुलिस की तरह से कोई काम हो, जैसे कहीं डकैती पड़े या किसी का सर फूटे तो वह दफा ५२ के जरिये या ऐडजर्नमेंट के जरिये, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में यहां प्रश्न उठाया जा सके। इस विभाग का कोई काम है भी नहीं। यह तो दूसरे विभाग के कामों का प्रचार करता है। जैसे कृषि विभाग है—अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये वह हर प्रकार से प्रचार करता है, पत्रों के द्वारा, अपनी पुस्तिकाओं के द्वारा कि कितना पैदा होता है, हमारे प्रदेश में कितने खाने वाले हैं, कितना हमको और पैदा करना चाहिये और किन-किन तरीकों से हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं, यह कार्य वह शुरू करता है। सहकारिता के सम्बन्ध में भी वह प्रचार करता है कि सहकारिता के आधार पर किस तरह से समाज तरक्की कर सकता है। इसी तरह से प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क हो जाय, इस तरह की बातों का प्रचार यह विभाग शुरू करता है। यह काम है उस विभाग का। फिर वह बेचारा विभाग तो सब की सेवा करता है। जैसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण से पूछा गया कि आपको कौन काम दिया जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उन्होंने कहा कि मुझे चरण धोने का काम दिया जाय। इस तरह से वहां पर जितने राजे महाराजे आये थे उनके चरण धोने का काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। उसी तरह से यह विभाग तो सब के चरण धोने की सेवा करता है। चाहे विरोधी हो, चाहे गैरविरोधी हो, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, यह विभाग सबके चरणों को धोता है और उनकी सेवा करता है। फिर उसके काम करने के ढंग में कमजोरी हो और उसकी टीका-टिप्पणी की जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन निष्ठुर टीका न की जाय।

राजा साहब जौनपुर के भाषण को मैंने सुना। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन मैंने देखा कि वे अबकी बार तैयार होकर कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिये नहीं आये थे। उन्होंने वही पुरानी बात दोहरा दीं जैसे ग्रामोफोन में रेकार्ड की सूई लगा देने पर वह पों-पों करना शुरू कर देता है उसी तरह उन्होंने भी शुरू कर दिया। श्रीमन्, उनके पास कोई मसाला नहीं था। तीन चार वर्ष से जो बात वे कहते आ रहे हैं, जो बात उन्होंने सन् १९५७ में कही उसी को फिर १९५८ में, १९५९ में कही और सन् १९६० में भी फिर उसी को दोहरा दिया है और यह लांछन लगाया पार्टी प्रोपेगैन्डा चलता है। हमारे भाई गोविन्दसहाय जी ने कहा कि यह तो पार्टी गवर्नमेन्ट है उसका जवाब भी हुआ कि तुम तो प्रोलीटेरिएट के भक्त हो। यह कहने से कौन इन्कार करता है कि यह पार्टी गवर्नमेन्ट है, अगर हमारे कुछ लैप्सेज हैं तो वह भी हमें स्वीकार करने होंगे, उस की भी कुछ कमजोरियां हैं लेकिन अगर उसके डेबिट में कुछ है तो क्रेडिट में भी कुछ जरूर है, कांग्रेस गवर्नमेन्ट की तरफ से कुछ अच्छे काम भी होते हैं। इस दृष्टि से लाभ भी पहुंच जाता है, यह हो सकता है। लेकिन एक प्रमाण भी ऐसा कोई नहीं दे सकता कि कांग्रेस पार्टी एज-सच के प्रोपेगैन्डा में कहीं भी इस विभाग का प्रयोग किया गया हो। मंत्रियों के सम्बन्ध में समाचार, दिये जाते हैं। मैं तो सूचना विभाग से ही सम्बन्धित हूं लेकिन कोई मेरा प्रोपेगैन्डा करता हो, जितनी पब्लिसिटी मुझे मिलनी चाहिये वह भी मुझे तो नहीं मिलती। मेरा कोई प्रचार नहीं होता। गवर्नमेंट के हर फंक्शन में उसकी पालिसी का अनाउन्समेंट हो जाता है जैसे कोई कनवोकेशन ऐड्रेस में कुछ कहे उसकी पब्लिसिटी हो पत्रों के द्वारा, पत्रकार जिलों में होते हैं, वह करते हैं, लेकिन बहुत सों के पास साधन नहीं होते, देहात में जाते हैं वह लोग कोशिश करते हैं कि कौन जा रहा है, सूचना विभाग के अधिकारी से उनको समाचार मिल जाते हैं, वह दे देते हैं। इसमें कौन-सा पार्टी प्रोपेगैन्डा चल गया? ऐसी बात कह दी गई जिससे मालूम हो कि न मालूम किस तरह से सरकार लाभ उठा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको सरकार चलाना पड़ती है, इतना बड़ा मित्रों का दल सामने मौजूद है, सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित, फिर किस की हिम्मत हो सकती है कि कोई कुछ करे, जिसको इतनी शक्ति हो कि जहां सूचिका प्रवेश न हो सकता हो वहां मूसल प्रवेश करने की बात सोचें। जहां ऐसे बलशाली लोग हों वहां सरकार को वह कैसे छोड़ सकते हैं। फिर यह भी सोचना चाहिये कि सूचना विभाग के ३०-४० अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी संस्था का प्रचार करके जहां कि लाखों कार्यकर्ता कोने-कोने में मौजूद हैं उनसे प्रचार हमारा नहीं हो सकता है, १५-२० व्यक्तियों के प्रचार से हमारा बल नहीं बढ़ेगा, हमें भी ४० वर्ष हो गये हम जानते हैं कि किसी संस्था का बल कैसे बढ़ता है, आप की पार्टी अभी नई पार्टी बनी है, आप अभी सीखिये कि कैसे बल बढ़ता है। केवल गलत बात कह कर महज लिपटा देने की बात है।

हमारे भाई दुबे जी ने एक-दो बात का और जिक्र किया। वह तो कर गये लेकिन उसका जिक्र मैं नहीं करता, किसी अधिकारी के बारे में उन्होंने कहा, पुलिस के बजट के वक्त भी शायद उन्होंने कुछ कहा था; उसके बारे में वह स्वयं सब कुछ जानते हैं कि किसने क्या किया है और क्या हो रहा है, सब मसाला उनके पास है, क्या बात है हर बात उनके पास गुप्त रूप से है, वह जानते हैं, वह स्वयं नहीं चाहते कि मैं उसका जिक्र यहां करूं। इसलिये जिस सत्य को घोषणा में उनकी भी नियत नहीं है, मैं न कहूंगा तो अखबारों में टीका होगी कि मैंने जिक्र नहीं किया और अगर करता हूं तो सत्य की घोषणा के लिये उनकी भी नियत नहीं है। अगर प्रवेश

के कल्याण में किसी समय सूचना देने की आज्ञा होगी तो मैं दे दूंगा लेकिन इस समय उसका जिक्र करना उचित नहीं है। और हम अगर उसका जिक्र नहीं करना चाहते तो आपको भी नहीं करना चाहिये। संकेत मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। अगर आप स्पष्टतः उस बात को कहें तो उसका उत्तर भी होता है। इसलिये इस तरह का एक गुबार पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती।

आपने अधिकतर दो, चार बातें कह दीं कि पार्टी का प्रचार होता है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सब रिश्तेदार भर दिये जाते हैं और खाली मिनिस्टरों का प्रचार करता है। इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं है। एक निर्दोष विभाग को इस प्रकार लांछन लगा देना उचित नहीं है। बहरहाल में समझता हूं इस विभाग के द्वारा जितने माध्यम हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है सरकारी नीति के प्रचार के लिये। यह कोई कहे कुछ नहीं हो रहा है, निकम्मा है, यह गलत है। हां साधन इसके पास कम हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी देश में इस विभाग की उतनी उपेक्षा नहीं की गई है जितनी हमारे प्रदेश में है और वह भी आर्थिक साधन न होने की वजह से। मैं भी जानता हूं दुनिया में किस प्रकार से सरकारें अपना प्रचार करती हैं जिन पर काफी धन खर्च हो रहा है। ऐसे देश हैं जिनके सूचना विभाग, पब्लिसिटी ब्यूरोज, हमारे देश में मौजूद हैं, दर्जनों देशों में जिनमें हिन्दुस्तान भी एक है। मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश के बजट का आधा तो कम से कम वह अवश्य पब्लिसिटी पर खर्च करते हैं। लाखों रुपया खर्च करते हैं बड़े-बड़े अधिकारियों पर, आलीशान इमारतें हैं, तमाम ऐसी पुस्तिकायें ५००, ६०० पृष्ठ की ५, ५ आने में बांटते हैं और अपनी चीजों का प्रचार करते हैं, अपनी पुस्तकें देते फिरते हैं, जहां बुलाइये वहां दौड़े चले जाते हैं। हमारे देश में पब्लिसिटी के जो सेन्टर्स हैं, ३०, ४० लाख रुपये से जो काम करते हैं उनको देखा जाय। हमारे ब्यूरोज भी हैं, सैकड़ों प्रेस नोट्स निकलते हैं, पचासों पुस्तकें निकाली। रेडियो से हमारे सम्वाद दिये जाते हैं। सायंकाल में जो रेडियो का सम्वाद होता है जिसमें प्रदेश की खबरें होती हैं वह सूचना विभाग की ओर से दिया जाता है। पंचायत घर के प्रोग्राम चलते हैं, अच्छे-अच्छे विषयों पर लोगों के रेडियो द्वारा भाषण कराये जाते हैं, कम्युनिटी लिसनिंग की हमारी स्कीम है। आज १० हजार से ऊपर हमारे रेडियो सेट्स लगे हुए हैं जिनके माध्यम से संवादों का वितरण लोगों तक होता है। उनकी मरम्मत के लिये हमारी यूनिट्स बनी हुई हैं, हमारे ६०, ६२ सूचना केन्द्र हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल--खाली लखनऊ की खबर सुनायी जाती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अगर ऐसा है कि खाली लखनऊ शहर और देहात यहीं की न्यूज आती है तो मुझे ताज्जुब है। कभी मैं सुनकर देखूंगा। यों तो मुझे माननीय सदस्यों की कृपा से कभी खबर सुनने का अवसर नहीं मिलता। अगर ऐसा होगा तो उसको रोकना चाहिये क्योंकि स्कीम यह है कि हमारे प्रदेश के सम्वाद पहुंचाये जायं और रेडियो विभाग इसमें हमारी सहायता लेता है, उनकी अपनी कोई एजेन्सी नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सूचना केन्द्र हमारे हैं। पंडित गोविन्दनारायण जी तिवारी कह रहे थे कि यह बताओ कि लड़कों की फीस कैसे माफ हो, तकावी कैसे मिले। शायद हमारे सूचना केन्द्रों को देखने का उनको अवसर नहीं मिला। इसी दृष्टि से उनकी स्थापना की गयी है कि जो सूचनायें और समाचार किसी एक व्यक्ति के लिये आवश्यक हों और वह कहीं न मिलती हो तो वह सूचना केन्द्र पर चला जाय और वहां के अधिकारी का यह काम है कि वह सूचना उसको दे। उसे यह पता होना चाहिये कि जिले में अगर कहीं पत्थर पड़ गये हैं तो छूट मिलेगी या नहीं। कहां-कहां टेक्निकल स्कूल हैं, किस तरह से वहां भर्ती हो सकती है, यह सारी सूचना देने का उनका काम है। इसलिये यह सूचना विभाग बड़ा लोकप्रिय हो रहा है।

हमारे नागर जी ने बताया कि तीन पत्रिकायें इस विभाग से निकलती हैं, उनका नाम तो इस पुस्तिका में दिया गया है मगर एक चौथी पत्रिका जो निकलती है "प्रोग्रेस" उसका नाम नहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लिया गया। अब वह पत्रिका निकलती नहीं है। हमने निकालने की कोशिश की मगर मुझे खेद है कि हमें बन्द करना पड़ा क्योंकि हमारे पास धन का अभाव था। उस पत्रिका को इस दृष्टि से निकाला था और यह समझ कर निकाला था कि उसके ऊपर खर्च होगा। इस दृष्टि से निकाला था कि जो पत्रिकायें आज बाहर से आती हैं, विदेशों से हमारे देश और प्रदेश में जो आती हैं, जो अत्यन्त उच्च कोटि की पत्रिकायें होती हैं और जिनका बड़ा आकर्षण होता है, बड़े-बड़े लोग खरीद कर उनको पढ़ते हैं और सस्ती से सस्ती आती हैं और विदेशों का प्रचार हो रहा है। उसी प्रकार हमारी कोशिश थी कि हम अपने प्रदेश के लोगों के लिये जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं और जिन्हें यह भी नहीं मालूम हो पाता कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर सकें जिसकी तरफ वह आकृष्ट हों और जो उनके बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो; उसकी छपाई वैसी ही हो, उसकी सज्जा वैसी ही हो, उसकी पूरी रचना उसी किस्म की हो। फोटोग्रेफ्योर उसकी छपाई होती है, बम्बई के अलावा वैसी और कहीं छपाई होती नहीं है। २५ हजार कापियां छपवाई थीं। ४५-४६ हजार रुपया उस पर हमारा खर्च हुआ। यदि हम देखते कि इतना धन हम उस पर लगा सकते तो उस पत्रिका को बन्द न करते। २५ हजार से कम छपवाते तो और खर्चा बढ़ता। उस पत्रिका की तारीफ हुई, अंग्रेजी पत्रों ने की, हिन्दी पत्रों ने की, उसकी तारीफ दिल्ली में हुई, दूतावासों में हुई, केन्द्रीय सरकार में हुई और कहा लोगों ने कि सुन्दर चीज है। यह कहना कि कोई हवाई जहाज से बम्बई गया था खाली प्रूफ देखने, यह निराधार बात है, कोई नहीं गया था हवाई जहाज से प्रूफ देखने। छपाई में उतना खर्च हुआ और जैसा हमारे भाई राजबिहारी सिंह जी ने कहा, वह गांवों में बिकेगी नहीं, वहां २ रुपये की पत्रिका कोई खरीदेगा नहीं लेकिन हमने ऐसे लोगों को भेजा है जो उसको खरीद सकते हैं और साढ़े ८, ९ हजार रुपये की बिक भी चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि और बिकेंगी। हमारे पास पैसा होता तो उसको बढ़ाते। उसमें न कोई घपला है न कोई ट्रिक थी। हमारे भाई राजनारायण जी ने कहा कि तुम इसे तोड़ दो। इस विभाग के ऊपर अगर उनकी कृपा होती, कुछ रुपया वह और देते तो हम उस पत्रिका को निकालते, अभी अंग्रेजी में ही है फिर हिन्दी में भी निकालते। तो कोई बात उसमें ऐसी नहीं थी। मान्यवर, समय थोड़ा रह गया है। हमारी पत्रिकायें निकलती हैं। "ग्राम्या" का काफी सर्कुलेशन है। हम एक पत्रिका निकालते हैं, "त्रिपथगा"। अब यह मानी हुई बात है और इसकी टीकायें देख लें जिनमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में इस विषय की उच्चकोटि की दूसरी पत्रिका नहीं है। आप कहें कि कल्चर का तुम्हारा क्या काम है? १५ अगस्त का प्रोग्राम है, २६ जनवरी का प्रोग्राम है, महात्मा गांधी जी का जन्म-दिवस का कार्यक्रम होता है और बाल-दिवस का कार्यक्रम भी इस सूचना विभाग द्वारा होता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहता है। कभी-कभी विदेशों से भी डेलीगेशन्स आते हैं। जैसे रशियन कल्चर का डेलीगेशन आया, ड्रामेटिक पार्टियां आती रहती हैं और एशियन कल्चर का डेलीगेशन आदि आते रहते हैं। अब यह आते हैं तो इनका आयोजन भी किया जाता है। हमारा काम है कि लोगों को दिखायें और यह प्रोग्राम हम चलाते हैं। अब आपने कहा कि खाली उन लोगों को दिखाते हैं जिनके ऊपर आपकी कृपा होती है। यह बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि दुबे जी की बहुत सी टीका तो उनके अज्ञान के कारण है। मेरा एक दोष है और मैं उसको स्वीकार करता हूं। दुनिया भर में सूचना विभाग प्रचार का काम करता रहा। लेकिन उसने विधान सभा के माननीय सदस्यों को नहीं बताया कि वह क्या काम कर रहा है। उनको वहां ले जाना चाहिये था। अगर ऐसा होता तो बहुत शंकायें लोगों की दूर हो जातीं। मेरे पास राजबिहारी सिंह जी ने कागजात भेजे हैं, मैं उनको देखूंगा। मैं चाहता हूं कि सूचना विभाग दस-दस पांच-पांच आदमियों को आमंत्रित करे और उनको दिखाये कि वह क्या काम कर रहा है? हम रिहन्द डैम तो दिखाने ले जाते हैं लेकिन इस विभाग का काम दिखाते नहीं हैं। अज्ञान के कारण बहुत सी टीकायें की जाती हैं।

श्री राजनारायण––इसलिये नहीं ले जाते हैं कि इनका परदा खुल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष––मेरा ख्याल यह है कि अपने शरमीलेपन से वह नुकसान उठा रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी––जितने कम हमारे साधन हैं उनको देखते हुये यह देखने की आवश्यकता है कि यह कितना अधिक काम कर रहा है। श्रीमन्, समय कम रहा है। पांच बजने में ५ मिनट बाकी रह जायंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

एक बात पब्लिक सर्विस कमीशन की माननीय राजनारायण जी ने कही, इधर और उधर के सदस्यों ने भी कही। श्रीमन् को स्मरण होगा कि पिछले तीन साल से इसी हाउस म बराबर यह बात चली आती है। जब हमने सिलेक्शन लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई संकेत नहीं किया और अपना कार्य करते रहे तो यह कहा जाता रहा कि सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों नहीं कराया जाता है। यह इस हाउस में भी और प्रदेश के उस हाउस में भी और मेरा खयाल है कि प्रश्न भी पूछे जाते थे और कहा जाता था कि अपने आदमियों को भरने की तिकड़म होती है। हमने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी और उसके द्वारा सेलेक्शन होता था और सूचना अधिकारी भर्ती किये जाते थे। अब हमने सारे का सारा काम पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया है। मैं माननीय गोविन्द सहाय जी की बात से सहमत हूं कि इसको सोचना चाहिये कि क्या यह सोचने की बात नहीं है कि इस विभाग में कुछ पोलिटिकल पोस्ट्स हों। जिस नीति को सरकार चला रही है, जो उसको समझते हों और उससे सहमत हों उनके द्वारा उस नीति को जनता के सामने रखा जाय। दूसरे डाइरेक्टर से लेकर नीचे तक फील्ड वर्कर्स को इनसे अलग रखने का भी प्रश्न हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह लोग सार्वजनिक धन का उपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। यह दो दृष्टियां हैं। जिन को हमने रखा उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे, जिन्होंने तकलीफ उठायी। उन के लिये कहा गया कि बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के पूछे रख लिया। तब हम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास गये। उसने कुछ लोगों को लिया और कुछ को छांट दिया। अब हम से कहा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने ठीक नहीं किया, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात मत मानो। सरकार के लिये काम करना मुश्किल हो जाता है। न आगे चलने देंगे, न पीछे चलने देंगे। अब क्या सरकार कपूर की तरह एवापोरेट हो जाय, कहां जाय? मुख्य मंत्री जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है कि भाई फिर से इन को देखो, आठ-आठ, दस-दस साल की इनकी सर्विस है। कैरेक्टर रोल देखने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुतों का कैरेक्टर रोल बहुत अच्छा होगा और बहुतों के कैरेक्टर रोल में ऐसी बातें रही होंगी, जिनकी ओर माननीय राजनारायण जी ने संकेत किया, क्योंकि पोलिटिकल सफरर्स का काम करने का एक ढंग होता है। कोई संतुष्ट नहीं हुआ उसने टीका टिप्पणी कर दी। लेकिन इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने रेफर किया। अब उनके ऊपर है कि चुनें या न चुनें। पहले आपने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को दो और अब कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों दे दिया?

अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह निरीह विभाग है, यह सब का सेवक है। इसका यही काम है कि जनता की सेवा करे और उन तक चीजों को पहुंचाने की चेष्टा करे जो उसके कल्याण के लिये हो रही हैं। बिलकुल कलात्मक अगर कोई प्रोग्राम हो, तो राजनारायण जी ने कहा कि बहुजन हिताय होना चाहिये। मैं समझता हूं कि स्वान्तः सुखाय और बहुजन हिताय दोनों होना चाहिये। अगर कोई कला केवल स्वान्तः सुखाय या केवल बहुजन हिताय होगी तो न तो सत्य होगी न शिव होगी और न सुन्दर होगी। जो कला सत्य, शिव और सुन्दर होगी, वह स्वान्तः सुखाय भी होगी और बहुजन हिताय भी होगी।

मेरी प्रार्थना है कि दुबे जी, जो इस विभाग के पास थोड़ा सा पैसा है, उसमें कटौती का प्रस्ताव वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ३२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

सूचना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, एवं पक्षपातपूर्ण नीति की आलोचना करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--मतदान के लिये अगर आवश्यक हुआ तो अपने विशेषाधिकार से १५ मिनट में से जितना आवश्यक होगा, उतना समय बढ़ा दूंगा ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२-सूचना संचालन कार्यालय, लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ४२,६२,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ ---

पक्ष में--१५९

विपक्ष में---३८ ।)

गन्ने के क्रय मूल्य से संबंधित ८ मार्च, १९६० के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के ४---६ विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष---अब प्रदेश की चीनी मिलों के सम्बन्ध में आधे घंटे का वादविवाद होगा। यह विषय महत्वपूर्ण है और इस पर माननीय उग्रसेन जी का भी कुछ एक प्रस्ताव था और वंशीधर शुक्ल जी का भी और प्रताप सिंह जी का भी था । तो ऐसी सूरत में समय हमारे पास केवल आधे घंटे का है । जो भी माननीय सदस्य बोलें, वह थोड़ा-थोड़ा समय लें, कम से कम समय लें, तभी सबको समय मिल सकता है।

एक सदस्य---समय कुछ बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसे प्रस्ताव पर समय बढ़ाया नहीं जा सकता ।

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश के २० लाख गन्ना उत्पादकों के काज को प्लीड करने का मौका इस आदरणीय सदन के सामने मुझे दिया। मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सदस्यों को यह भी याद दिलाऊं कि इसी आदरणीय सदन ने सन् १९५७ में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि गन्ने के दाम १ रुपया १२ आने मन कर दिये जायं और उसके बाद बार बार विरोधी दलों की तरफ से खास तौर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से गन्ना उत्पादकों के केस को प्लीड करने के कई आन्दोलन हुये । इन तमाम चीजों को देखते हुये और १६ दिसम्बर को ज्वाइंट शुगर कंट्रोल बोर्ड जो बिहार और यू० पी० का है उसकी भी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी यह तय हुआ कि गन्ने का दाम १ रुपया १२ आना मन कर देना चाहिये । यही नहीं, पार्लियामेंट में जिस समय राष्ट्रीय सरकार की तरफ से उपमंत्री ने अपना बयान दिया उन्होंने कहा कि जो दाम हम दो या तीन आने बढ़ा रहे हैं वह प्रदेशीय सरकार की राय से हमने बढ़ाया है और यही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी का बार बार ध्यान दिलाने और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री गेंदासिंह के नेतृत्व में कई आन्दोलन करने के बाद, केन्द्रीय उपमंत्री के बयान के बाद, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ हलचल मची; और उन्होंने सोचा कि अब सन् १९६२ नजदीक आ रहा है तो अपनी सचवाई क्लीयर करते हुये माननीय मुख्य मंत्री ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह पत्र, जो केन्द्रीय सरकार को लिखा गया था, सदन के सामने पढ़ा। मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से उसकी दो पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि :—

"I feel that the recommendation of the two legislatures and of the Joint Sugar Control Board should be accepted by the Central Government. I would request that you may strongly reconsider last year's decision and announce reasonable price much before the crushing season starts in November next."

इसमें माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को यह लिखा कि दोनों विधान सभाओं ने इस प्रस्ताव को पास किया है और ज्वाइंट कंट्रोल बोर्ड ने भी पास किया है लिहाजा इस बात को मान लेना चाहिये। यह पत्र उन्होंने लिखा। लेकिन हम यह नहीं समझ पाये कि जो पत्र में लिखा गया वह उन्होंने कहा भी है या नहीं। वह इस बात से साबित है कि सरकारी पक्ष ने हमको बताया कि इस समय जो चीनी मिल हैं, मुजफ्फरनगर, मन्सूरपुर, खतौली, रोहाना, शामली, महौली, देवबन्द, रोसा, सखौती टांडा, मवाना, दरौला, इबबालपुर, सहारनपुर, मसौधा और बुढ़वल, ये मिल १ रुपया १२ आना मन गन्ने का दाम दे रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि जब हमारी प्रदेशीय सरकार इस बात को चाहती है जिसको कि वह इस सदन को बता चुकी है जब कि मुख्य मंत्री जी को बधाई पत्र पढ़ने के बाद सदन में चारों तरफ से दी गई थी, तो फिर उसके सामने क्या कठिनाई है? मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप केन्द्रीय सरकार को पत्र में यह लिख सकते हैं कि गन्ने का दाम १ पया १२ आना होना चाहिये तो फिर क्या दिक्कत है? जब विरोधीदल की तरफ से कहा जाता है कि जो ५०, ५४ चीनी मिल हैं इनको अपने केन कमिश्नर से या और किसी एजेन्ट से आर्डर दिलाकर १ रुपया १२ आना मन दाम किसानों को मिलने चाहिये तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। यह सरकार ऐसा नहीं कह सकती है कि जितने चीनी मिल हैं वह १ रुपया १२ आना मन गन्ने का दाम नहीं दे रहे हैं।

एक बात जरूर हमको मालूम होती है कि यदि सरकार उन मिल मालिकों के ऊपर बाव डालेगी कि वे किसानों को गन्ने का दाम १ पया १२ आना दें तो शायद मिल मालिक नाराज हो जायंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस नीति को स्पष्ट करें। अगर १ रुपया १२ आना आप मिल मलिकों से दाम देने की अपील नहीं करते हैं तो फिर किसानों को छूट होनी चाहिये कि वह अपना गन्ना बाहर ले जायं। हमारे किसानों ने अपने यहां खांडसारी बनाकर उन मिलों को मजबूर किया है कि वे किसानों को १ रुपया १२ आना गन्ने का दाम दें। लेकिन सन् १९५७ में जो प्रस्ताव इस सदन ने पास किया और जिसे के विषय में चिट्ठी १९ सितम्बर, १९५९ को यहां पढ़कर सुनाई उसकी इच्छा के अनुसार यह सरकार नहीं करना चाहती है। सरकार ने क्यों उस प्रस्ताव की उपेक्षा की? सरकार को इस हाउस को विश्वास में लेना चाहिये था, जिस प्रस्ताव को इस सदन ने पास किया था। अगर केन्द्रीय सरकार ने उस प्रस्ताव को माना नहीं था तो उसको सदन को बताना चाहिये था। मैं आपकी ओर से यह प्रोफेसर कीथ के वाक्यों में कहना चाहता हूं :—

"If he cannot keep the confidence of Commons it is clearly desirable that he should resign."

उनको इस्तीफा देना चाहिये यदि हाउस को विश्वास में न लिया जाय। सरकार को बताना चाहिये कि उसकी नीति इस सम्बन्ध में क्या है? आज केन्द्रीय सरकार की इस प्रकार की नीति २० लाख गन्ना उत्पादकों के खिलाफ है, टैरिफ बोर्ड के खिलाफ है और यहां के फैसले के खिलाफ है। इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अपने स्टैंड को साफ करेंगे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है अगर वह अपनी नीति को साफ कर दें। मैं चाहता हूं कि जो दूसरे मिल मालिक १ रुपया १२ आना गन्ने का दाम नहीं रहे हैं उनसे सरकार अपील करे जिससे कम दाम मिलने वाले किसानों को अपने गन्ने की कमाई का पूरा दाम मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष---यों तो नियम के अनुसार यह व्यवस्था है कि एक ही सदस्य इस पर अपना मत व्यक्त करे क्योंकि यह प्रश्न विशेष महत्व का है और कई माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है इसलिये विशेष परिस्थिति में मैं थोड़ा-थोड़ा समय दूसरों को भी दे दूंगा। मैं माननीय बंशीधर जी से कहूंगा कि दो मिनट वह भी ले लें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---श्रीमन्, गन्ने की परिस्थिति हमारे यहां विकट है और सब से ज्यादा गन्ना करीब १० करोड़ मन गन्ना पूरे जिले में पैदा होता है। कुछ तो बेलों में जाता है और बाकी सब गोला मिल में पहुंच जाता है। गोला मिल वालों को अगर स्वतंत्र कर दिया जाय तो एक पया से ज्यादा गन्ने की कीमत किसानों को न दें क्योंकि दूसरा मिल उस एरिया में नहीं है। वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग न जाने क्यों गोला मिल से दबे हैं। बिस्वां मिल के पास केवल २८ लाख मन गन्ना था, गोला के पास डेढ़ करोड़ मन है, फिर भी वहां बड़ी दुर्दशा कर दी गई है। आप चल कर देखें तो आप को पता चलेगा कि मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। केवल अपनी बात कर रहा हूं। मेरे पास चार एकड़ का गन्ना इस वर्ष है। सोसाइटी ने सट्टा किया केवल ८०० मन का। मैंने बहुगुणाजी से कहा, मुख्य मंत्री जी से कहा, कि पिछले ५ वर्षों की सप्लाई के अनुसार सट्टा लिखने की रीति गलत है। मेरे गन्ने का सट्टा केवल ८०० मन लिखा गया है जब कि मैं उस में से ही १,६८० मन बेच चुका हूं---१,२०० मन बेच चुका हूं बेल पर, १८ आने मन के हिसाब से और अभी १२०० मन के ऊपर खेतों में खड़ा है जिसको चूहे खा रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। हम अपना गन्ना बेचना चाहते हैं लेकिन कोई गाहक नहीं है। गोला मिल के साथ हम लोगों की गर्दन बांध दी गई है और किसी को हमारी फिक्र नहीं है। सरकार को हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। हरगांव मिल की भी यही दशा है। मैं महौली मिल का भी जिक्र कर दूं। वहां भी सट्टा लिखने की यही रीति है कि ५ साल की सप्लाई के अनुसार सट्टा लिखना गलत है। तखमीने के अनुसार होना चाहिये। इसी से बहुत बड़ी गड़बड़ी मची है।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये। दो मिनट समय समाप्त हो गया।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा। वहां १ पये १२ आने का दाम मिलता है। उसमें लखीमपुर का जिला भी शामिल है। बाकी हरगांव और गोला मिल का दाम १रुपया ४ आना और दो आने मन का ही है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठिए। (श्री उग्रसेन से) आप केवल तीन मिनट में अपनी बात कह ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय प्रतापसिंह जी ने विवाद के लिये प्रस्तुत किया है और गेंदा सिंह जी ने जो इस सदन के समक्ष रखा वह पूर्वी जिलों के लिये, वहां के किसानों के लिये बड़े महत्व का प्रश्न है। श्रीमन्, सरकार ने स्वयं इस सदन में एक प्रस्ताव पास किया था कि गन्ने का मूल्य १ पये १२ आने मन हो। उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त गन्ना बोर्ड ने भी यह प्रस्ताव पास किया था।

श्री उपाध्यक्ष---समय कम है, इस लिये रिपीटीशन कम होना चाहिये।

श्री उग्रसेन---वहां सोशलिस्ट पार्टी का दो रुपये मन का भी प्रस्ताव था लेकिन वह अमान्य कर दिया गया। पश्चिम में १५ मिलें एक रुपये ७५ और ८४ नये पैसे मन का दाम देती हैं तो कोई वजह नहीं है कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में जो चीनी मिलें हैं और जिनकी तादाद काफी ज्यादा है, वे कम से कम यह १ रुपये १२ आने का दाम न दें।

दूसरी बात, मेरठ की मिलों में जो गन्ना सेंटर पर बिकता है और जो मिलों पर बिकता है, उन दोनों का मूल्य एक हो गया है। मिल मालिक कार्टेज के नाम पर काफी पैसा किसान का काट लेते हैं, यह नहीं कटना चाहिये। हमारे यहां तो हालत बड़ी खराब है। गन्ने की पर्ची भी नहीं मिल रही है। केन कमिश्नर साहब ने जो धांधली इस मामले में पैदा कर दी है और मिल मालिकों ने जिस प्रकार उपेक्षा की है वह ठीक नहीं है और सरकार की ओर से जो बढ़ावा दिया जा रहा है वह भी निन्दनीय

है। मुख्य मंत्री जी ने जो चिट्ठी यहां पढ़कर सुनायी थी जिसमें १ रुपया १२ आने के भाव की सिफारिश की गयी थी, माननीय बहुगुणा जी मिल मालिकों से यही क्यों नहीं कहते कि यह भाव ही इनको दिया जाय। इसके माने यह है कि जो पूरब की तरफ के मिल मालिक लोग आते है माननीय मंत्री जी के पास तो उनका कान मंत्री जी स्वयं फूंक देते हैं। मैं साफ-साफ कह देता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का यह निर्णय है कि अगले साल, जब तक गन्ने का भाव किसानों को २ रुपये मन मिलेगा नहीं तब तक वह गन्ना गिरायेगा नहीं। अब चीनी मिलें इसके बिना चलने वाली नहीं है और किसान अपना २ रुपये मन का भाव ले कर रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम इस बार तो किसानों को १ रुपये १२ आने मन का भाव दिलाने की कोशिश करें। यह छोटी सी मांग है जिसको माननीय मंत्री जी को स्वयं करना चाहिये था।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--मैंने उन्हीं माननीय सदस्यों को मौका दिया है जिनका प्रस्ताव था।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मेरा भी एक प्रस्ताव था लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--आपकी पार्टी की तरफ से हो गया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--हम समझते हैं....

श्री उपाध्यक्ष--पहले आप खड़े नहीं हुए। मेरी नजर आप पर ही थी।

श्री गेंदासिंह--वह इसलिये कि मैं यह देख रहा था कि जिनकी दिलचस्पी है उनको आप खुद बुला लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--पहले आप बैठे थे लेकिन आप अब खड़े हो गए।

श्री गेंदासिंह--मैं जिद तो नहीं करता, लेकिन आप मुझे एक मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि आपका मूल प्रश्न था इसलिये मैं आपको मौका दिये देता हूं। ठीक है, बोलिये।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--हम भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। सिर्फ २ मिनट हमको भी दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--यह माननीय मंत्री जी का काम है। उनकी जिम्मेदारी आप लोग न लें। (श्री गेंदा सिंह से) अब आप बोलिये।

***श्री गेंदासिंह**--श्रीमन्, मैंने प्रस्ताव इसीलिये रखा है और मैं समझता हूं कि यह गवर्नमेन्ट की मारल रिस्पांसिबिलिटी है कि काश्तकारों की उपज का ठीक दाम गवर्नमेन्ट दिलवा दे। इस हाउस के फैसले के मुताबिक, जो उस दिन मुख्य मंत्री जी ने बताया कि १ रुपये १२ आने मन दिलाने के लिये बड़ी कोशिश उन्होंने की है, मैंने यही पूछा था कि अगर गवर्नमेन्ट अब भी उस निश्चय पर दृढ़ है तो चन्द मिलवालों ने देना शुरू कर दिया है लेकिन जो बाकी रह गये हैं, उनके लिये सरकार ने कार्यवाही नहीं की। उनके लिये कम से कम कह तो दें। कुछ ही मिलें है जैसे खड्डा, देवरिया में मुहीउद्दीनपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

और डोईवाला । यह तीनों मिलें हैं और सरकार के हाथ में है कि उनसे कहें कि २ आना मन और देना शुरू कर दो । उनको २ आना मन देने में कोई दिक्कत नहीं है । मैं सरकार की मारल रेस्पांसिबिलिटी इसलिये कहता हूं कि अगर एक बार यह सरकार उनसे कह दे तो उनको देना पड़ेगा और अगर वह नहीं देंगे ; तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस वक्त मिल वाले न देना चाहें उस वक्त सरकार जिम्मेदारी से बरी हो जाय और अपने डंडे वापस ले लें और उसको वापस लेने के बाद निश्चित रूप से गन्ने की कीमत काश्तकार हासिल कर लेंगे ।

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अगर गन्ना के मिल वाले सरकार की बात नहीं मानते तो सरकार अपना डंडा हटा ले और वह स्वयं कलेक्टिव बारगेनिंग करेंगे और जो मुनासिब कीमत होगी वह ले लेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव यूनियन्स बनी हुई हैं और उन यूनियन्स का हेड केन कमिश्नर है और जो सरकारी महकमें का हेड है । उसके जरिये से कोआपरेटिव यूनियन्स का गला दबाकर कीमत वह नहीं दे रहे हैं । अब फैसला २४ तारीख को होने वाला है गालिबन, लेकिन अगर वह न भी हो तब भी अगर सरकार के फैसले के मुताबिक मिल वाले गन्ने का दाम नहीं दे रहे हैं, तो फिर अपना डंडा हटा लीजिये किसान अपना दाम खुद वसूल कर लेगा ।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--मुझे २ मिनट दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं । अब मंत्री जो बोलेंगे ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी है कि गेंदासिंह जी ने पहले भी अपने मत को इस विषय में प्रकट किया । सच पूछिये तो उनके मत प्रकट करने का ही कारण है जो यह बहस हुई । दो तीन बार इस सदन में, इस संबंध में बात चीत हुई और जो नेक सुझाव उन्होंने हमें दिये उस पर हमने विचार किया । एक रुपये १२ आने मन कीमत करने का सुझाव भी वे दे चुके हैं । मुझे दो बातें इस संबंध में कहनी हैं । पहली बात तो यह कि इस आदरणीय सदन की भावना को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने विचारों को, जिस स्थिति में वह थी उन सारी बातों को देखते हुए, गन्ने के दामों के संबंध में, संबंधित अधिकारियों के पास अपनी मांग भेजी और जो राय इस सदन की थी, उसको भेजा । जो राय हम उनको दे सकते थे वह राय हमने उनको दी । अगर हम इस सदन की भावना के खिलाफ कोई कार्य करते तो हम दोषी थे । हम जो कर सकते थे वह हमने किया । हमारे बहुत से भाई जो राजनैतिक दलों में रहते हैं, अपने विचारों में भिन्नता रखते हैं, फिर भी जो नीति होती है उसका विरोध नहीं करते । हमने इस सदन की राय को उनके (केन्द्रीय सरकार के) सामने रखा, यह सब को मालूम है । जिन लोगों ने संविधान बनाया है और जिन लोगों के हाथ में शक्ति है जब उन लोगों ने तय कर दिया कि गन्ने के दाम १ रुपया १० आना मन होंगे तो यह सरकार उलट कर यह कहे कि यह नहीं, यह होना चाहिये, ऐसा नहीं हो सकता । हमें अनुशासन में रहना होगा । अगर कोई हर निश्चय के खिलाफ चले तो वह सरकार चल नहीं सकती । इस तरह से न सरकारें चला करती हैं और न चलती हैं । एक तय हुई बात को हमने मान कर और यह मानकर कि एक कलेक्टिव विजडम के सामने हमें अपनी विजडम को सरेन्डर करना है, हमने उस कलेक्टिव विजडम के सामने अपने विचार को सरेन्डर किया । सामूहिक विचार के बाद जो चीज सामने उसका हमने समर्थन किया ।

अब यह कहा गया कि चूंकि उन्होंने (केन्द्रीय सरकार) ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिये आप चीनी मिल मालिकों के सामने अपनी अपील करते । माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में यह बात छेड़ी कि हम अपील करते । वे समझ गये होंगे कि अपील

करने के क्या मानी है। किसी भी सरकार के लिये ऐसी अपील करना, जिसे वह लोगों से मनवा न सके, मैं नहीं समझता, कोई अच्छी बात है। हर मिल मालिक नियमों को अच्छी तरह से जानता है। हम हर अपील के पीछे कानूनी शक्ति नहीं ला सकते। नैतिक शक्ति के आधार पर कोई अपील करके इस अवसर पर न हमें कोई लाभ हो सकता है और न ही होने वाला है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने का। बिजनेस करने वाले सभी अच्छी तरह से नियमों को जानते हैं। वे उनसे अनभिज्ञ नहीं होते।

एक सुझाव यह दिया गया कि हम पुलिस का डंडा किसान के सर पर से उठा लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मीठी चुटकी कोई लेना जानता है तो वह माननीय गेंदासिंह जी जानते हैं। एक ऐसा लान्छन उन्होंने लगा दिया जिसको वे स्वयं ही समझते हैं कि वह लान्छन सही नहीं है। मान्यवर, न पुलिस का डंडा कहीं चलता है और न ही उसका कोई संबंध है। क्योंकि अगर यही बात सही होती तो जिन जगहों पर किसानों के दाम बढ़े हैं, वे कैसे बढ़ते और फिर वहां पुलिस का डंडा क्यों नहीं रहा? अगर पुलिस के डंडे का ही भय होता तो जहां दाम बढ़े हैं वहां कैसे बढ़ते। डंडे का प्रश्न नहीं है। यह तो आर्थिक खिंचाव और तनाव है, जोड़ तोड़ की बात है कि एक जगह के किसानों के हाथ में किन्हीं कारणों से ऐसी शक्ति है कि वह रोक सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। मेरठ के किसानों ने मवाना मिल से कहा कि हम गन्ना कम मूल्य पर नहीं बेंचेंगे। कोई किसान क्रशर के पास नहीं गया, उन्होंने तय कर लिया कि चाहे गुड़, खांड न बने, जला देना पड़े लेकिन इतने से कम दाम पर नहीं देंगे और इस प्रकार उन्होंने मिल को दबा दिया। जहां इतनी शक्ति नहीं है, उसको हमारे डंडे की शक्ति के नाम पर भुलावे में डालना कोई खास बात नहीं है। जहां तक गन्ने के दाम का सवाल है हमारा डंडा न किसान के ऊपर है, न मिल मालिक के ऊपर है।

यह कहा गया कि सरकारी मिलों में क्यों नहीं बढ़ाते दाम? इस सरकार ने मिलों को जिस हालत में लिया उसकी जानकारी गेंदासिंह जी को भी है। उनका आर्थिक ढांचा अस्त-व्यस्त है, उनके मुनाफे की गड़बड़ी, पैसे की खराबी, बैलेंश-शीट के लासेज, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह देखा गया कि प्राइवेट हाथों में मिल चलने वाली नहीं है तो सरकार ने उछल कर सारी आर्थिक जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिया। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम चेरिटेबिल होना शुरू कर दें। कहना आसान है, लेकिन चेरिटी के लिये हमारे अन्दर शक्ति होनी चाहिये, जो कि इस समय नहीं है।

एक बात कही गयी कि गन्ना मिलों में जो हमारे पूर्व के क्षेत्रों में गन्ना खड़ा है उसका इन्तजाम नहीं हो रहा है। लेकिन हम इन्तजाम कर रहे हैं। जो हमें गन्ना मिल रहा है उसे हम क्रश कर रहे हैं। १५ मार्च, ३० अप्रैल, चाहे किसी तारीख में हमारे पास पहुंचे, हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसको क्रश करेंगे, लेकिन गर्मी की वजह से अगर रिकवरी कम हो तो कटौती देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, उसी दाम पर गन्ने को क्रश करना पड़ेगा। यह तो बहुत पहले से स्पष्ट हो चुका है, सीधी-सी बात है। पिछले साल २५.१६ करोड़ मन गन्ना पेरा गया और इधर २२ तारीख तक २६.८६ करोड़ मन गन्ना हम पेर चुके हैं। जब मार्च की २२ तारीख तक इतना है तो जाहिर है कि अप्रैल के अन्त तक हम बहुत ज्यादा गन्ना पेर चुके होंगे। यह गन्ना किसानों के खेतों से आया है, इसलिये अगर उनका हित और लाभ नहीं हो रहा है तो किसका हो रहा है? आज अच्छे दाम का लालच देने के बावजूद भी किसान अपने स्थान पर खड़ा रहा है। हमारी लाचारी है कि हम अपनी राय को इसी आधार पर कायम कर रहे हैं। कोई दूसरी चीज करना हमारे लिये संभव नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—इस बात को देखते हुए कि गन्ना मिलों की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि पौने दो रुपये मन वह दे सकें, लेकिन कुछ मिलों के इतना दाम देने के बाद यह सिद्ध हो गया कि वह दे सकते हैं, तो सरकार इस तरह की सिफारिश करने को तैयार है भारत सरकार को कि आने वाले सीजन में दाम पौने दो रुपये कर दे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अभी से कह सकना, सीजन से पहले संभव नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी उस अव्यवस्था और असंतोष को दूर करने की कृपा करेंगे जो कि केन कमिश्नर के नवीन आदेश से तमकुही रोड मिल के कुछ गांवों—अरुसंग, वरदहा बाजार, बेलवा कारखाना, दर्जिया, लक्ष्मीपुर, बढ़हरा, आदि—को भटनी चीनी मिल को देने से उत्पन्न हुआ है, जबकि भटनी चीनी मिल वहां से काफी दूर है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह गलत बात है कि हमने किसी को मजबूर किया। उसमें विलिंग ग्रोवर्स लिखा है। अगर किसान गन्ना न ले जाना चाहें तो न ले जाय, जब तक वह मिल क्रश कर पायेगा, करेगा।

श्री शिव प्रसाद—मान्यवर, तमकुही शुगर मिल में काफी गन्ना है, वह समय से नहीं पेर सकेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अगर सब गन्ना लिया तो ११२ दिन तक चल सकेगी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राइस लिंकिंग फार्मूला के अनुसार सन् १९५८-५९ में जो स्टेट्यूटरीली ड्यू है और जो प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी है वह उत्पादकों को क्यों नहीं दिलाया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—केन कमिश्नर की तरफ से सब मिलों को रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया है।

श्री बन्शीधर शुक्ल—सट्टे का ढंग बदलेगा या नहीं और गोला मिल कब बन्द होगी और दूसरी मिलें कब बन्द कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—२४ तारीख को गोला मिल बन्द होगी और २० तारीख को हरगांव मिल। सट्टे का हमारा जो पिछले सालों का फार्मूला है उससे हमें इस बात में काफी मदद मिली है कि काश्तकार गन्ना कम पैदा करे और अन्न ज्यादा पैदा करे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—जब सरकार का यह निश्चित मत है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाय तो क्या कोई कमेटी या कमीशन इस संबंध में बनाया जायगा जिसमें गन्ने के उत्पादन और बिक्री दोनों के स्टैन्डर्ड से निर्णय हो सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गवर्नमेन्ट आफ इंडिया इस संबंध में बैठाने जा रही है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि सिसवा मिल में काफी गन्ना है ? यदि हां, तो क्या वह केवलापुर में कांटा लगाने की व्यवस्था करेंगे ताकि वहां पर गन्ने की खपत हो सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कहां कांटा लगवाया जा सकता है और कहां नहीं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—सेवरही शुगर फैक्टरी के जोन का गन्ना रामकोला, पंजाबी और भटनी शुगर मिल को एलाट किया गया है तो या तो किसानों को वही दाम मिलें जो उनको अपने मिल गेट पर मिलता है और यदि नहीं तो क्या सरकार इस सेवरही क्षेत्र में क्रशर्स पर लाइसेन्स लगाने का नियम उठा लेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वह गन्ना ले जाने के लिये बाध्य नहीं हैं। इसके अलावा लाइसेन्स के हटाने से इस सीजन में तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, अगले सीजन में चाहे हो ।

श्री उपाध्यक्ष—अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव , विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ मार्च, १९६० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४ एल० ए०—१९६०–८४५ ।